बुधवार,
१६ दिसंबर, १९५३

संसदीय वाद विवाद

1st

लोक सभा

पांचवा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

भाग १—प्रश्न और उत्तर

लोक सभा

बुधवार १६ दिसम्बर १९५३

सदन की बैठक डेढ़ बजे समवेत हुई

[उपाध्यक्ष महोदय अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण

श्री माणिक्य लाल वर्मा (टोंक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

वायरलेस ट्रान्समीटर

*९९४. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या संचरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि १९५३ में कुछ वायरलेस ट्रांसमीटर बरामद किये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो कितने और कहां से ;

(ग) जिन लोगों के पास से यह यन्त्र बरामद किये हैं उनको गिरफ्तार किया गया है या नहीं ; तथा

(घ) यदि हां, तो अब तक कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं ?

संचरण उपमंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) तथा (ख). अब तक १२ गैर कानूनी ट्रांसमीटरों के पकड़े जाने की खबर मिली

है—(१) एक धुरी (पैप्सू) में, (२) एक पटियाला में, (३) एक बीकानेर में, (४) एक कायां (भरतपुर) में तथा (५) आठ दिल्ली नगर में। पूरी जानकारी प्राप्य नहीं है। सदन पटल पर यथा समय एक और विवरण रखा जायगा जिसमें वास्तविक स्थिति बताई जायेगी।

(ग) तथा (घ). चार व्यक्ति धुरी तथा पटियाला में और छः दिल्ली में गिरफ्तार किये गये हैं। बीकानेर और कायां के बारे में जांच की जा रही है।

डा० राम सुभग सिंह : ये गिरफ्तार किये गये व्यक्ति किस स्थान या स्थानों से संदेश भेजा करते थे ?

श्री राजबहादुर : मैं यह तो नहीं बता सकता कि ये लोग किन किन स्थानों ट्रांसमीटरों द्वारा संदेश भेजा करते थे ; परन्तु जिन शहरों से वे गिरफ्तार किये गये वे धुरी, पटियाला और दिल्ली हैं।

डा० राम सुभग सिंह : क्या यह सच है कि गिरफ्तार व्यक्तियों का सम्बन्ध एक पाकिस्तानी जासूसी गिरोह से था जो कि यहां कार्यवाही कर रहा है ?

श्री राज बहादुर : जांच की जा रही है। मैं जांच के परिणाम के बारे में पहले से कोई अनुमान नहीं लगा सकता।

श्री एम० एल० द्विवेदी : क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि जिन वायरलेस सटों की चोरी पकड़ी गई है वे किस देश के बने हुये हैं ?

राज बहादुर : ये सब बातें अभी तफतीश के अन्दर हैं । तफतीश पूरी होने के बाद सब कुछ मालूम हो जायेगा ।

श्री बी० एस० मूर्ति: गिरफ्तार किये गये व्यक्ति किस देश के राष्ट्रजन हैं ?

श्री राज बहादुर : शायद भारतीय हैं । परन्तु इस बात की अभी जांच करनी पड़गी : वैसे वे लगते तो भारतीय ही हैं ।

सरदार हुक्म सिंह : ये सब ट्रांसमीटर एक ही स्त्रोत से आये थे या भिन्न भिन्न स्त्रोतों से ?

श्री राज बहादुर : इस बात को देखते हुये कि ये ट्रांसमीटर भिन्न भिन्न स्थानों में पकड़े गये थे, यह नहीं कहा जा सकता कि वे सब के सब एक ही स्त्रोत से आये होंगे । फिर भी इसकी जांच की जानी होगी ।

मोकामा घाट पर पुल

*९९५. **डा० राम सुभग सिंह**: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) मोकामा घाट पर जो पुल बनाया जाने वाला है उस पर कुल कितनी लागत आने का अनुमान है ; तथा

(ख) पुल के कब तक बन कर पूरा हो जाने की आशा है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) सम्पूर्ण परियोजना पर लगभग १६ करोड़ रुपये ।

(ख) आशा है कि पुल और उस से समबद्ध सहायक तथा अनुषंगिक कार्य लगभग मार्च १९६० तक पूरा हो जायेगा ।

डा० राम सुभग सिंह : सरकार मोकामा घाट पर इस पुल का निर्माण इस वष आरम्भ करने का विचार कर रही है या अगले वर्ष ?

श्री अलगेशन : मुख्य कार्य पालक अधिकारी (चीफ़ एक्ज़ीक्यूटिव) की नियुक्ति की जा चुकी है और उसने कार्यभार संभाल लिया है । वित्तीय परामशदाता एवं मुख्य लेखा अधिकारी भी नियुक्त कर दिया गया है और उसने भी कार्य संभाल लिया है । आशा है वास्तविक कार्य अगले नवम्बर तक आरम्भ हो जायेगा ।

डा० राम सुभग सिंह : क्या पुल के निर्माण के सम्बन्ध में आवश्यक कार्य-व्यवस्था पूरी हो गई है ?

श्री अलगेशन : विस्तृत कार्यक्रम तय्यार किया जा रहा है ।

श्री एस० एन० दास : क्या पुल के निर्माण के लिये टेन्डर विदेशियों से भी मांगे गये हैं ?

श्री अलगेशन : यह एक अत्यंत जटिल कार्य है, इसलिये विदेशी सार्थों को भी भारतीय सार्थों से प्रतियोगिता करने का अवसर दिया जायेगा ।

पंडित एस० सी० मिश्र : क्या निम्न वर्ग के कर्मचारी मौके पर ही भर्ती किये जा रहे हैं या बाहर से भी लाये जा रहे हैं ?

श्री अलगेशन : यदि माननीय सदस्य का अभिप्राय चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों से है, तो उनकी भर्ती वहीं से की जाती है । शायद कुछ ही कर्मचारी अन्य रेलवे से लाये गये हों । उनकी भर्ती अन्यत्र तो नहीं की जाती, परन्तु जो पहले से ही किसी अन्य रेलवे में लगे हुये हैं, हो सकता है वे लाय गये हों ।

लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज

*९९६. **श्री वी० पी० नायर** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगीं :

(क) क्या भारत सरकार को लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज, नयी दिल्ली के एक्सरे विभाग की अध्यक्ष के विरुद्ध कोई शिकायत मिली है ; तथा

(ख) क्या सरकार ने इस पदाधिकारी के बारे में कोई जांच पड़ताल की है ?

स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) तथा) (ख) जी हां ; लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज की प्रोफेसर आफ़ रेडियोलोजी के विरुद्ध प्रशासन सम्बन्धी कुछ शकायतें मिली थीं, और इस विषय में कालेज के संचालक निकाय (गवर्निंग बाडी) द्वारा जांच पड़ताल की गई थी ।

श्री वी० पी० नायर : क्या यह सच है कि भारत सरकार ने एक्सरे की एक नई मशीन खरीदने के लिये एक लाख रुपये की रकम दी थी और यह मशीन, जो १९४९ में खरीदी गई थी, कब १९५३ में जाकर ठीक हो सकी जब कि इर्विन अस्पताल के डा० गडेकर ने इसे ठीक किया ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर): यह मशीन हार्डिंग अस्पताल में लगाई गई थी । यह सच है कि यह मशीन कई बार खराब हुई ; परन्तु यह ठीक कर ली गई और अब यह बिल्कुल ठीक तरह से काम दे रही है ।

श्री वी० पी० नायर : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि यह मशीन जो १९४९ में खरीदी गई थी, तभी ठीक हुई जब इर्विन अस्पताल के डा० गडेकर नें इसे ठीक किया ?

अध्यक्ष महोदय : मंत्रिणी महोदया ने अभी कहा कि मशीन ठीक हो गई है और अच्छी तरह से काम दे रही है ।

राजकुमारी अमृत कौर : बीच बीच में भी यह ठीक की गई थी ; परन्तु अन्तिम बार जब यह ठीक हुई तब से अब तक ठीक तरह से काम दे रही है ।

श्री वी० पी० नायर : क्या सरकार को विदित है कि बम्बई तथा जोधपुर दोनों जगहों से, जहां कि यह पदाधिकारी पहले सेवायुक्त थीं, उसके विरुद्ध शिकायतें की गई थीं और जोधपुर में तो वह बरख्वास्त कर दी गयी थीं और पुलिस के पहरे में भेजी गयी थीं ?

राजकुमारी अमृत कौर : जोधपुर की घटना के बारे में तो मुझे कुछ मालूम नहीं परन्तु मैंने यह जरूर सुना था कि जोधपुर में उसका कार्य सन्तोषजनक नहीं था ।

श्री मूनिस्वामी : क्या यह सच है कि एक पदाधिकारी, जो कि इस कालेज की प्रबन्ध समिति (मैनेजिंग कमेटी) के सदस्य के रूप में कार्य कर रहा था, भ्रष्टाचार के आरोप में निकाल दिया गया था ?

अध्यक्ष महोदय : यह चीज़ मूल प्रश्न के अधीन पैदा नही होती ।

श्री वी० पी० नायर : क्या यह सच है कि यह पदाधिकारी विशेष के अधीन कार्य करने वाले एक एक्सरे एसिस्टेंट और दो डाक्टर, डा० नायर और डा० तरकुंडी दास, को त्याग पत्र देने के लिये मजबूर किया गया और एक्सरे टेकनिकल एसिस्टेंट को तो बिना कोई कारण बताये ही बरख्वास्त कर दिया गया ?

राजकुमारी अमृत कौर : यह कहना ठीक नहीं है कि किसी की नौकरी अकारण ही समाप्त की गई । सच तो यह है कि जो स्त्रियां इस अस्पताल में आती थीं उन्हें रेडियो-

लोजीकल विभाग में पुरुष असिस्टेंटों का होना पसन्द नहीं था और इस लिये ज्यों ही हमें अपेक्षित स्त्रियां मिल गईं, पुरुष एसिस्टेंटों की सेवायें समाप्त कर दी गईं ।

श्रीमती कमलेंदुमति शाह : क्या यह सच है कि इस अस्पताल में कर्मचारी, जब उन्हें किसी रोगी की देखभाल करनी पड़ती है, रुपया मांगते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : यह बात मूल प्रश्न के अन्तर्गत पैदा नहीं होती ।

कुमारी एनी मस्करीन : क्या डा० नायर, जिन्हें बिना किसी कारण त्यागपत्र देने के लिये मजबूर किया गया, अब त्रावन-कोर-कोचीन सरकार के अधीन कार्य कर रहीं हैं ?

अध्यक्ष महोदय : क्या वह एक्सरे विभाग में कार्य करती थीं ?

कुमारी एनी मस्करीन : यह श्री नायर के प्रश्न से संलग्न है ।

(उत्तर नहीं दिया गया)

श्री दामोदर मेनन : मंत्रिणी महोदया ने बताया कि संचालक निकाय द्वारा जांच पड़ताल की गई थी । क्या मैं जान सकता हूं कि जांच का परिणाम क्या निकला ?

राज कुमारी अमृत कौर : जी हां । उच्च-तम न्यायालय के दो पूर्व न्यायाधीशों से जांच करने के लिये कहा गया था और हमने उनके विनिश्चय का पालन किया । उन्होंने कहा कि इस बात को ध्यान में रखते हुये कि जिस पदाधिकारी के विरुद्ध आरोप लगाये गये हैं उसने यह शिकायत की है कि सभी आरोप, या उनमें से बहुत अधिक, उसके तथा प्रिंसिपल के बीच सम्बन्ध बिगड़ जाने के कारण लगाये गये हैं और इस लिये भी कि नयी प्रिंसिपल अब आने ही वाली हैं, जांच उस समय तक उठा रखी जाये जब तक कि नयी प्रिंसिपल न आ जायें और अपना प्रतिवेदन न दे दें ।

श्री वी० पी० नायर : क्या यह सच नहीं है कि दिल्ली के एक न्यायालय ने टेकनिकल एसिस्टेंट की बरख्वास्तगी सम्बन्धी एक मुकदमें में यह फैसला दिया कि क्योंकि लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज एक सरकारी संस्था नहीं है इसलिये न्यायालय इस मामले में दखल नहीं दे सकता ?

राजकुमारी अमृत कौर : न्यायालय ने क्या कहा यह तो मैं नहीं जानती । मैं तो केवल इतना कह सकती हूं कि लेडीहार्डिंग मेडिकल कालेज को किसी को बरख्वास्त कर देने के लिये दोषी नहीं ठहराया गया ।

रेलवे कुलियों से लायसेंस फ़ीस

*९९७. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) चालू वर्ष में उत्तर रेलवे को कुलियों से लिये लायसेंस फीस के रूप में कितनी आय हुई ; तथा

(ख) यह राशि किन किन चीजों पर व्यय की जा रही है ?

रेल तथा यातायात उपमन्त्री (श्री अलगेशन) : (क) चालू वर्ष में अक्तूबर तक उत्तर रेलवे द्वारा लायसेंस शुदा कुलियों से लायसेंस फीस के रूप में ६४,७०३ रुपये वसूल किये गये ।

(ख) यह राशि निरीक्षक संगठन और कुलियों को दी जाने वाली वर्दियों पर व्यय की जा रही है ।

श्री० डी० सी० शर्मा : कितने व्यक्तियों ने लायसेंस फीस दी है ?

श्री अलगेशन : यह उत्तर रेलवे के पांच स्टेशनों में लागू की गई है और सब स्टे-शनों में लाइसेंस शुदा कुलियों की संख्या १,६३५ है ।

श्री डी० सी० शर्मा : क्या इन कुलियों को गर्म वर्दियां दी जाती हैं ?

श्री अलगेशन : जी हां ।

पंडित डी० एन० तिवारी : ये कुली ठेकेदारों द्वारा रखे जाते हैं या रेलवे द्वारा?

श्री अलगेशन : वे रेलवे कर्मचारी तो नहीं होते । उन्हें रेलवे द्वारा लायसेंस दिये जाते हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : रखे जाने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री बूबराघ सामी : लायसेंस किन शर्तों के अधीन दिये जाते हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न लायसेंस से होने वाली आय के सम्बन्ध में है । शर्तों के बारे में दूसरी बार प्रश्न पूछा जा सकता है । अगला प्रश्न ।

गुड़

*९९८. **श्री के० पी० सिन्हा :** (क) क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत में १९५०-५१, १९५१-५२ तथा १९५२-५३ के वर्षों में क्रमश: कितना गुड़ तैयार किया गया है तथा इसके दाम क्या रहे थे ?

(ख) क्या यह सत्य है कि १९५१ तथा १९५२ के मुकाबले में इस वर्ष गुड़ की कीमत अधिक रही ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा : १९५०-५१ १९५१-५२ तथा १९५२-५३ के वर्षों में गुड़ का अनुमानित उत्पादन इस प्रकार था :-

	(लाख टनों में)
१९५०-५१	३२·५४
१९५१-५२	३२·४०
१९५२-५३	२८·७७

एक विवरण, जिसमें कि ऊपर-उल्लिखित वर्षों में हापुड़ तथा मुजफ्फर नगर मंडियों में प्रचलित गुड़ की औसत मासिक कीमतें दी गई हैं, सदन पटल पर रख दिया जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ६८]**

श्री के० पी० सिन्हा : क्या मैं जान सकता हूं कि इस वर्ष का अनुमानित उत्पादन क्या है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : इस वर्ष के उत्पादन के सम्बन्ध में अन्तिम आंकड़े अभी प्राप्त नहीं हो सकते हैं ।

श्री के० पी० सिन्हा : क्या यह सच है कि यातायात की कठिनाइयों के कारण गुड़ बेचा नहीं जा सकता है तथा इसकी कीमतें कम हो रही हैं ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : कीमतों के गिर जाने का यह भी एक कारण है ।

श्री थानुपिल्ले : क्या कीमतें इस लिये गिर गई हैं कि निर्यात पर रोक लगाया गया है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : कीमतें गिर जाने का कभी कभी यह भी कारण होता है । परन्तु गुड़ के निर्यात पर इस समय कोई रोक नहीं ।

श्री मुनिस्वामी : ताड़-के गुड़ का अधिकतम उत्पादन किस राज्य में होता है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : गुड़ अधिकतर उत्तर प्रदेश में तैयार किया जाता है । कुल उत्पादन का ५० प्रतिशत उत्तर प्रदेश में ही बनता है ।

श्री मुनिस्वामी : ताड़ का गुड़ ।

श्री एम० वी० कृष्णप्पा यह प्रश्न कैसे उत्पन्न होता है ?

डा० राम सुभग सिंह : गत वर्ष जब कि गन्ने की कीमत में २५-प्रतिशत कमी की गई थी, तो यह कहा गया था कि चीनी के कारखानों को और अधिक गन्ने की आवश्यकता नहीं । इस बात के होते हुये भी गुड़ के उत्पादन में गत वर्ष कमी क्यों हुई थी ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : गत वर्ष गुड़ का उत्पादन इसलिये कम हुआ कि उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों में विशेषकर मेरठ डिवीजन में गन्ने की फसल बहुत कम रही ।

डा० राम सुभग सिंह : मैं जानना चाहता हूं कि उत्पादन क्यों कम हुआ । माननीय मंत्री ने बताया कि १९५२-५३ में गुड़ का उत्पादन २८·७७ लाख टन रहा जबकि १९५१-५२ में यह ३२·४० लाख टन था । इस कमी का कारण क्या था ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : चूंकि गत वर्ष फसल विशेषकर मेरठ डिवीजन में खराब थी, इसलिये चीनी तथा गुड़ का उत्पादन कम रहा ।

पागल कुत्ते के काटे के इलाज का अनुसंधान केन्द्र

*९९९. **सरदार हुक्म सिंह** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् तथा पास्चर इन्स्टीच्यूट आफ इंडिया ने इस बात पर जोर दिया है कि कसौली में 'पागल कुत्ते के काटे' के इलाज का एक अनुसंधान केन्द्र खोला जाये ; तथा

(ख) क्या वह केन्द्र खोला गया है ?

स्वास्थ्य उप मंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर): (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

सरदार हुक्म सिंह: क्या इस प्रकार का यह पहला केन्द्र खोला गया है या ऐसा कोई और भी केन्द्र पहले से मौजूद भी है ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : एक केन्द्र कूनूर में है । अन्य विभागों के अधीन और भी केन्द्र होंगे ।

सरदार हुक्म सिंह : इस केन्द्र की स्थापना पर कुल कितनी लागत आई है तथा क्या पास्चर इन्स्टीच्यूट ने इस लागत का कोई भाग दिया है ।

श्रीमती चन्द्रशेखर : जी हां । २,२३,२०० रुपये तक की राशि के लिये मंजूरी दी गई थी तथा इसमें से दो लाख रुपये की राशि पास्चर इन्स्टीच्यूट की संस्था से वसूल किया जायगा ।

श्री वी० पी० नायर : भारत में पागल कुत्ते के काटने के परिणाम स्वरूप कितने व्यक्तियों की मृत्यु होती है ; तथा क्या मैं यह भी जान सकता हूं कि इस प्रस्थापित इन्स्टीच्यूट में किन किन विशिष्ट बातों के सम्बन्ध में अनुसन्धान होगा;

श्रीमती चन्द्रशेखर : प्रथम भाग का उत्तर यह है कि मुझे इस सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं । जहां तक दूसरे भाग का सम्बन्ध है, इस रोग से सम्बन्धित वैक्सीन बनाने की विधि में सुधार करना तथा इन वैक्सीनों की अनचित प्रतिक्रियाओं आदि की जांच करना इस केन्द्र का मुख्य काम होगा ।

सरदार हुक्म सिंह: क्या इस केन्द्र के लिये विदेशों से कोई विशेषज्ञ सहायता प्राप्त हुई है

श्रीमती चन्द्रशेखर : नहीं, श्रीमान् ।

श्री बी० एस० मूर्ति : क्या कसौली तथा कूनूर दोनों स्थानों पर एक ही प्रकार का अनुसंधान किया जा रहा है ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : हां, श्रीमान् ।

हवाई अड्डों पर रात्रि में वायुयानों के उतरने से सम्बन्धित उपकरण

*१०००. **सरदार हुक्म सिंह** : (क) क्या संचरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या दिल्ली के हवाई अड्डे उन नवीनतम उपकरणों से सुसज्जित हैं जो कि रात्रि में वायुयानों के उतरने के लिये आवश्यक हैं ?

(ख) भारत सरकार ने ऐसे उपकरणों के लिये कब अपना अन्तिम आर्डर रखा था तथा यह उपकरण उन्हें कब मिले थे ?

(ग) इन उपकरणों का मूल्य क्या था ?

संचरण उपमंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) दिल्ली के दो हवाई अड्डों में रात्रि में वाययानों के उतरने से सम्बन्धित जो उपकरण हैं वह नवीनतम प्रकार के नहीं हैं क्योंकि यह युद्ध की फालतू सामग्री से खरीदे गये थे। फिर भी सफदर जंग हवाई अड्डे का स्थान-सूचक 'बीकन' नवीनतम प्रकार का है ।

(ख) सफदर जंग हवाई अड्डे के लिये 'भू- प्रकाश' से सम्बन्धित नवीनतम उपकरणों के लिये अगस्त, १९५२ में डायरेक्टर जनरल, सप्लाइज़ एंड डिस्पोज़ल्ज़ के पास आर्डर रखा गया था । पालम हवाई अड्डे के लिये भी जल्दी ही यह सामान मंगाने की आशा है । दोनों के लिये यह सामान १९५४ के अन्त तक प्राप्त होने की आशा है ।

(ग) सफदरजंग के लिये लगभग ३·३ लाख रुपया। पालम के लिये ११ लाख रुपया।

सरदार हुक्म सिंह : इन हवाई अड्डों को नवीनतम प्रकार के उपकरणों से सुसज्जित करने के लिये कुल कितना खर्च होगा, क्या इसकी कोई जांच की गई है ?

श्री राजबहादुर : वैसे तो कोई जांच नहीं की गई है, परन्तु उपकरण की लागत क्या होगी यह तो मालूम ही है । धावन पथ की प्रकाश व्यवस्था से सम्बन्धित विनियम आई० सी० ए० ओ० द्वारा निश्चित किये गये हैं । परन्तु आवश्यक उपकरण प्राप्त करने में तथा उसे स्थापित करने में कुछ समय लगगा ।

श्री ए० एम० टामस : क्या सरकार के पास ऐसी कोई प्रस्थापना है कि सभी हवाई अड्डों में नवीनतम उपकरण की व्यवस्था की जाये ?

श्री राजबहादुर : हमारी यही आकांक्षा है ।

श्री राधेलाल व्यास : क्या मैं जान सकता हूं कि नागपुर हवाई अड्डे का उपकरण इस मामले में दिल्ली के हवाई अड्डे के उपकरण के मुकाबले में कैसा लगता है ?

श्री राजबहादुर : जैसा कि मैं निवेदन कर चुका हूं सफदर जंग हवाई अड्डे का 'बीकन' नवीनतम प्रकार का है। नागपुर में भी 'बीकन' की व्यवस्था है । भारत में केवल यही एक हवाई अड्डा है जो कि एक सीधी प्रकार को आगम-प्रकाश व्यवस्था से सुसज्जित है ।

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघटन की कोयला खान समिति

*१००१. **सरदार हुक्म सिंह** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या भारत ने नवम्बर, दिसम्बर, १९५३ में जर्मनी में हुये अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संघटन की कोयला खान समिति के पांचवें अधिवेशन में भाग लिया था ?

(ख) भारत सरकार की ओर से चुने गये प्रतिनिधि कौन थे ?

(ग) क्या प्रतिनिधियों के साथ कोई सलाहकार भी था ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरी) : (क) जी हां ।

(ख) बोन स्थित भारतीय दूतावास के द्वितीय सचिव, श्री एल० एन० रे ।

(ग) जी नहीं ।

सरदार हुक्म सिंह : क्या नियोजकों तथा कमकरों के प्रतिनिधि भी इस में शामिल थे ?

श्री वी० वी० गिरि : : जी हां ।

सरदार हुक्म सिंह : वह कौन कौन थे ?

श्री वी० वी० गिरि : श्री एल० एन० रे, सरकारी प्रतिनिधि ; श्री बी० पी० मुखर्जी तथा श्री बी० पी० अग्रवाल, नियोजकों के प्रतिनिधि; श्री बी० पी० सिन्हा, तथा श्री झा कमकरों के प्रतिनिधि ।

सरदार हुक्म सिंह : क्या नियोजकों तथा कमकरों की प्रतिनिधि संस्थाओं के साथ मशवरा करने के बाद इन्हें नामजद किया गया था ?

श्री वी० वी० गिरि : जी हां ।

सरदार हुक्म सिंह : : किन संस्थाओं से मशवरा किया गया था ?

श्री वी० वी० गिरि : नियोजकों की दो अखिल-भारतीय संस्थाओं अर्थात भारतीय नियोजक संघ तथा अखिल-भारत औद्योगिक नियोजक संघटन से प्रार्थना की गई थी कि वह कुछ व्यक्तियों के नामों की एक स्वीकृत तालिका पेश करें और उन्होंने ऐसा किया । इसी तरह कमकर प्रतिनिधियों के बारे में भातीय राष्ट्र मजदूर संघ कांग्रेस से भी अपने प्रतिनिधि नामजद करने के लिये कहा गया क्योंकि यह पाया गया कि वह कांग्रेस किसी अन्य संस्था के मुकाबले में कोयला खान कमकरों का अधिक प्रतिनिधित्व करती है ।

सरदार हुक्म सिंह : क्या सरकार ने इसका सारा खर्चा उठाया अथवा क्या किसी संघटन ने भी कुछ चन्दा दिया ?

श्री वी० वी० गिरि : सरकार ने सरकारी प्रतिनिधि का खर्चा उठाया । जहां तक कमकरों तथा नियोजकों के प्रतिनिधियों का सम्बन्ध है, अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संघटन ने उसका खर्चा उठाया ।

श्री टी० बी० विट्ठल राव : क्या मैं जान सकता हूं कि भारतीय राष्ट्रीय मजदूर संघ कांग्रेस में खनिकों की कुल सदस्यता कितनी है ?

श्री वी० वी० गिरि : मुझे इसकी पूर्व सूचना चाहिये ।

मोतीहारी कोर्ट के समीप नया स्टेशन

*१००४. **श्री विभूति मिश्र** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि मोतीहारी कोर्ट के समीप एक नया स्टेशन खोलने के सम्बन्ध में अभ्यावेदन प्राप्त हुये हैं ; तथा

(ख) यदि हुये हैं, तो यह स्टेशन कब तक खुल जायेगा ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) मोतीहारी के सीनियर डिप्टी कलेक्टर से इस प्रकार की एक प्रस्थापना प्राप्त हुई है ।

(ख) मामला विचाराधीन है ।

श्री विभूति मिश्र : सरकार यहां पर कितने समय के अन्दर स्टेशन बनायगी ?

उपाध्यक्ष महोदय : मामले की जांच हो रही है ।

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : अभी तो इसकी जांच हो रही है, अभी बनने का सवाल नहीं होता ।

श्री रघुनाथ सिंह : जांच में कितना समय लगेगा ?

श्री एल० बी० शास्त्री : असल में जांच तो होनी भी नहीं चाहिये, मगर माननीय मेम्बर के खास कहने की वजह से जांच हो रही है, यह स्टेशन मोतीहारी स्टेशन से दो मील के फासले पर है ।

ठाकुर युगल किशोर सिंह : जांच किस सिलसिले में हो रही है ?

उपाध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न ।

हैदराबाद में डाकघरों की इमारतें

*१००५. **श्री टी० बी० विट्ठल राव** : (क) क्या **संचरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि यह तथ्य है कि हैदराबाद में डाकघरों की विद्यमान इमारतों में विस्तार करने अथवा नई इमारतें बनाने के प्रयोजन से वहां के समस्त डाकघरों की इमारतों का पर्यालोकन किया गया था ?

(ख) डाकघरों में स्थान की कमी को दूर करने की दृष्टि से इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाहियां की गई हैं ?

संचरण उपमंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) जी नहीं ।

(ख) विद्यमान इमारतों में विस्तार करने तथा नई इमारतें बनाने के प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है ।

श्री टी० बी० विट्ठल राव : क्या सरकार को विदित है कि इन डाकघरों में स्थान की बहुत कमी है ?

श्री राजबहादुर : इसीलिये तो इमारतों में विस्तार करने तथा नई इमारतें बनाने का मामला लिया जा रहा है ।

श्री टी० बी० विट्ठल राव : मैं जान सकता हूं कि क्या अंतःकालीन प्रबन्ध करने के लिये सरकार का इरादा राजप्रमुख के उन भवनों को, जो इस समय खाली पड़े हैं, खरीदने या किराये पर लेने का है ?

उपाध्यक्ष महोदय : यह तो कार्य करने के लिए सुझाव है ।

अगला प्रश्न

रेलवे डाक सेवा डिब्बे

*१००६. **श्री टी० बी० विट्ठल राव** : (क) क्या **संचरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह तथ्य है कि केन्द्रीय रेलवे के भूतपूर्व निजाम राज्य रेलवे भाग पर चलने वाले रेलवे डाक सेवा के डिब्बों में अपर्याप्त रोशनी होने के कारण डाक छांटने वालों को बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है तथा कुछ डिब्बों में छंटाई-बोर्ड भी नहीं है ?

(ख) यदि हां, तो कर्मचारियों की इस कठिनाई को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

संचरण उपमंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) नियमित डाक के डिब्बों में इस समय डाक की छंटाई करने में अपर्याप्त रोशनी सम्बन्धी कोई कठिनाई अनुभव नहीं की जाती है । यह कठिनाइयां रेलवे डाक सेवा के केवल कुछ सैक्शनों में जहां डाक के डिब्बों की कमी के कारण तीसरे दर्जे के डिब्बों में काम होता है, अनुभव की जाती हैं ।

(ख) सरकार इस कठिनाई को पूरी तरह समझती है और इसके निवार्णार्थ यथा-संभव शीघ्र डाक के डिब्बे निर्मित करने के लिये कार्यवाही की जा रही है ।

श्री मुनिस्वामी : इस बात को दृष्टि म रखते हुये कि रेलवे डाक सेवा के डिब्बों में डाक छाटने वालों को आराम करने की सुविधायें प्रदान करने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है, मैं जान सकता हूं कि क्या इन सुविधाओं को छोटी और बड़ी दोनों लाइनों में प्रदान करने का विचार है ?

श्री राजबहादुर : हमारा काम दो भागों में विभाजित है : डाक के डिब्बों की कमी दूर करना और उनके डिजाइन में सुधार करना । हम दोनों पर ही ध्यान दे रहे हैं ।

आयात किया हुआ गेहूं

*१००७. **श्री गिडवानी** : (क) क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का ध्यान "बोम्बे सेन्टीनेल" में १६ अक्तूबर, १९५३ को प्रकाशित सम्पादकीय स्तम्भ की ओर आकर्षित किया गया है जिसमें कि बम्बई, सूरत, पूना तथा बम्बई राज्य के अन्य स्थानों में राशन की दुकानों में खराब गेहूं दिये जाने के सम्बन्ध में आलोचना की गई है ?

(ख) क्या यह तथ्य है कि बम्बई के रसद मंत्री ने एक पत्रकार सम्मेलन में कहा था कि गेहूं की किस्म खराब थी और वह अधिक दिन तक नहीं रक्खा जा सकता था ?

(ग) क्या उसी किस्म का गेहूं अन्य राज्यों को भी दिया गया था ?

(घ) खराब किस्म का गहूं किस प्रकार आयात किया गया ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां, श्रीमान् । उन्हों ने जनता को यह भी आश्वासन दिया था कि दिये जाने से पूर्व गहूं के अच्छी तरह से साफ कर लिये जाने की समुचित व्यवस्था की जायेगी ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) विदेशों से, वहां पर अच्छी तरह निरीक्षण कर लिये जाने के बाद, औसतन अच्छी किस्म तथा प्रमाणित निर्धारणों का गेहूं आयात किया जाता ह तथा इस बात का समस्त सम्भव प्रयत्न किया जाता है कि भारत में आने पर वह सुरक्षित रहे । देश में नजी से सुधरती हुई खाद्य स्थिति के कारण, गेहूं की मांग कम हो गई है, जिसके परिणामस्वरूप केन्द्रीय सरकार के डिपो से कम स्टाक उठाया गया है । इसलिये जो स्टाक बाजार में आया वह अधिक समय तक स्टाक में रहने के कारण स्वाभावत: ही कुछ खराब हो गया था । किन्तु ऐसा कोई गेहूं जो मानव उपभोग के लिये ठीक न हो और पोषक न हो, डिपो से नहीं दिया गया है ।

श्री गिडवानी : देश के विभिन्न गोदामों में इस प्रकार का कितने टन गहूं अभी मौजूद है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : केन्द्रीय सरकार के डिपो में लगभग ६ लाख टन गहूं है ।

श्री गिडवानी : बम्बई के रसद मंत्री द्वारा बतलाया गया उस किस्म का जो आठ दिन के बाद खराब हो जाता है, कितना गहूं मौजूद है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : सारा गेहूं अच्छी किस्म का है । यह खराब नहीं हुआ है । स्टाक को हमने चार वर्गों में बांटा है क, ख, ग और घ । वर्ग क चार मास तक ठीक रह सकता है वर्ग ख दो मास तक रह सकता है । दो मास के बाद यदि उसे साफ कर दिया जाय तो एक मास तक और रह सकता ह । इनमें से कोई भी किस्म मानव उपयोग के लिए अनुपयुक्त नहीं है ।

डा० सुरेश चन्द्र : माननीय मंत्री ने बतलाया कि गेहूं की किस्म की उन देशों में जांच की जाती है। मैं जान सकता हूं कि इस जांच कार्य के लिये हमारी वहां क्या व्यवस्था है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई): कुछ अन्तर्राष्ट्रीय सार्थ ऐसे हैं जो किस्म को प्रमाणित करते हैं।

डा० सुरेश चन्द्र : उन देशों में गेहूं की जांच करने की हमारी व्यवस्था क्या है ?

श्री किदवई : ये सार्थ आयात करने वाले देशों द्वारा नियुक्त किये जाते हैं।

श्री दाभी : क्या आयातित गेहूं देशी गेहूं से घटिया है तथा क्या उसका मूल्य देशी गहूं के मूल्य से अधिक है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : जी हां। यहां के लोग हमेशा देशी गेहूं पसन्द करते हैं और उनका कहना ह कि आयातित किस्में घटिया है।

श्री टी० के० चौधरी : मैं जान सकता हूं कि इस समय जिस दर से सरकारी डिप से गेहूं लिया जा रहा है उसे देखते हुये क्या सारा गेहूं, मानव उपयोग के अनुपयुक्त होने से पूर्व ही, वहां से उठा लिया जायगा ?

श्री किदवई : इस बात की सावधानी बरती जायेगी कि यह मानव उपयोग के लिए अनुपयुक्त न होने पाये।

श्री पी० एन० राजभोज : मैं यह पूछना चाहता हूं कि यह जो राशन में खराब अनाज मिलता है उसको हफ्ते भर खाने से कितनी डीसट्री और दूसरी-दूसरी बीमारियां होती हैं और क्या आप कह सकते हैं कि ऐसा खराब गेहूं खाने से आदमी बीमार नहीं पड़ेगा ?

उपाध्यक्ष महोदय : सरकार यह ध्यान रखेगी कि कुछ भी गेहूं बरबाद न हो।

पंडित एस० सी० मिश्र : सरकारी गोदामों में सब से पुराने गेहूं को कितना समय हो चुका है ?

श्री किदवई : सन् १९५१ में हमने ४७ लाख टन गेहूं आयात किया था। तब से हमारा प्रति वर्ष का स्टाक बढ़ता जा रहा है। इस वर्ष हम ने प्रारम्भ मे निर्धारित मूलतः की गई मात्रा से कम आयात किया। इस वर्ष के अन्त में बचने वाला स्टाक गत वर्ष की अपेक्षा कम होगा।

पंडित एस० सी० मिश्र : मैं जानना चाहता हूं कि सब से पुराना स्टाक सन् १९५१ का है या उससे भी पहले का स्टाक मौजूद है ?

श्री किदवई : हम इतने वर्षों से गेहूं आयात कर रहे हैं इसलिये यह कहना कठिन है कि .....

उपाध्यक्ष महोदय : वह यह जानना चाहते हैं कि .....

श्री किदवई : मैं जानता हूं कि वह क्या जानना चाहते हैं जो वह जानना चहाते हैं। मैं बता नहीं सकता हूं।

श्री टी० एन० सिंह : प्रश्न के भाग (ख) के उत्तर में यह कहा गया है कि आयातित गेहूं प्रमाणित किस्म का था और सरकार खराब गेहूं को साफ करने के लिये कायवाही कर रही है। मैं जान सकता हूं कि प्रारम्भ में आयात किये गये गेहूं में अथवा स्टाक में रखने के परिणामस्वरूप कितनी और मिलावट हो गई है अथवा खराबी आ गई है ?

श्री किदवई : मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य प्रश्न को ठीक नहीं समझ सके हैं। कई श्रेणियां होती हैं : प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। आयात इन्हीं श्रणियां के अनुसार किय जाता है।

श्री मुनिस्वामी : मैं जान सकता हूं कि गहूं की नई किस्मों का उत्पादन करने के लिए हमारे देश में क्या कोई अनुसन्धान कार्य किया जा रहा है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : नई किस्मों का गेहूं खोज निकालने में हमें सफलता प्राप्त हुई है ।

श्री राघेलाल व्यास : मैं जान सकता हूं कि क्या गहूं के खराब होने का एक कारण यह भी था कि बम्बई में लाखों रुपये की लागत से बनवाये गये गोदामों में वर्षा का पानी चला गया था ?

श्री किदवई : ये हजारों रुपयों में बने थे या लाखों में, यह तो मैं नहीं बता सकता । एक प्रश्न के उत्तर में यह पहले बतलाया जा चुका है कि इस प्रकार की कुछ हानि हुई थी ।

श्री एम० एम० लिंगम : मैं जान सकता हूं कि गेहूं को कितने समय तक बिना खराब हुए अच्छी हालत में रखा जा सकता है और सरकार के पास गेहूं की जो मात्रा इस समय है क्या उसे उक्त अवधि से अधिक समय बीत चुका है ?

श्री किदवई : इस बारे में कोई निश्चित नियम निर्धारित करना कठिन है। कुछ मामलों में इसे चार वर्ष तक रक्खा जा सकता है कुछ मामलों में—यह मौसम पर निर्भर है—इसे दो वर्ष से अधिक नहीं रखा जा सकता है ।

श्री सयद अहमद : श्रीमान्, एक प्रश्न ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं बहुत काफी प्रश्नों की अनुमति दे चुका हूं । अगला प्रश्न ।

पत्तन तथा नौ परिवहन आंकड़ा समिति

*१००८. **श्री बुच्चिकोटैय्या :** (क) क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पत्तन तथा नौपरिवहन आंकड़ा समिति सरकार द्वारा कब नियुक्त की गई थी ?

(ख) अब तक समिति की कितनी बैठकें हो चुकी हैं ?

(ग) समिति अब तक किन-किन स्थानों पर दौरा कर चकी है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) :

(क) ७ मई, १९५३ को ।

(ख) एक ।

(ग) समिति के अध्यक्ष तथा सचिव कलकत्ता, विशाखापट्नम, मद्रास, कोचीन, राजकोट, कोंधला तथा भुज का दौरा कर चुके ह ।

श्री बुच्चिकोटैय्या : क्या समिति ने कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है ?

श्री अलगेशन : अभी उसका काम समाप्त नहीं हुआ है । कुछ मास में वह अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी ।

श्री राधा रमण : क्या मैं जान सकता हूं.....

उपाध्यक्ष महोदय : प्रतिवेदन अभी प्रस्तुत किया जाना है ।

औद्योगिक पेटी के क्षेत्रों का विद्युत्करण

*१००९. **श्री बुच्चिकोटैय्या :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि रेलवे बोर्ड द्वारा बिहार तथा बंगाल के औद्योगिक पेटी वाले क्षेत्रों के विद्युत्करण के संबंध में विस्तार पूर्वक परिमाप करने के प्रयोजन से नियुक्त की गई पदाधिकारियों की टुकड़ी द्वारा अब तक किये गये कार्य की क्या प्रगति है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : पड़ताल के क्षेत्र में आने वाले भागों

का प्रारंभिक परिमाप परिमाप-टुकड़ी द्वारा पूरा कर दिया गया है और अब वह प्रत्येक अंग के सविस्तर प्राक्कलन तैयार करने में लगी हुई है।

श्री बुच्चिकोटैय्या : परिमाप-टुकड़ी के सदस्य कौन-कौन हैं ?

श्री अलगेशन : वरिष्ठ पदाधिकारियों की एक समिति नियुक्त की गई है। उनके नाम यहां मेरे पास नहीं है। माननीय सदस्य यदि चाहें तो मैं उनको बता दूंगा।

श्री बी० के० चौधरी : मैं जान सकता हूं कि परिमाप कार्य करने के लिये पदाधिकारियों की यह टुकड़ी क्या एस० एन० राय समिति द्वारा की गई जांच और रिपोर्ट के बाद नियुक्त की गई थी ?

श्री अलगेशन : जी हां।

श्री एस० सी० सामन्त : मैं जान सकता हूं कि क्या पदाधिकारियोंकी टुकड़ी ने पूर्वी रेलवे के उन स्टेशनों का भी परिमाप किया था, जिनके अपने-अपने बिजली अधिष्ठापन हैं ?

श्री अलगेशन : जिन की इन्होंने पड़ताल की है। वह बहुत से सैक्शन हैं और काफ़ी बड़े बड़े हैं। मुझे ज्ञात नहीं कि माननीय सदस्य बतायें तो मैं उनको सूचना दे सकता हूं। मेरे पास केवल सैक्शनों के नाम हैं।

भू-अधिसम्पत्ति

*१०११. **श्री हेडा** : (क) क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कितने राज्यों में भूमि परिगणना योजना चालू की गई है ?

(ख) कितने राज्यों ने खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय से भू-अधिसम्पत्ति की अधिकतम सीमा निर्धारित करने के विषय में परामर्श मांगा है ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा) : (क) अब तक किसी भी राज्य में नहीं।

(ख) हैदराबाद, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश तथा पैप्सू चार राज्यों के भूमि सुधार विधेयकों के संबंध में यह प्रश्न चर्चा के लिये उपस्थित हुआ था।

श्री हेडा : मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार का ऐसी परिगणना करने का कोई विचार है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : जी हां, सदन में यह भी बताया जा चुका है कि एक परिपत्र तैयार किया गया है और एक हफ्ते के अन्दर-अन्दर हम सभी सरकारों को अगले वर्ष के मध्य तक परिमाप कार्य करने के लिये लिख रहे हैं।

श्री हेडा : सरकार को विभिन्न राज्यों से कब तक उत्तर प्राप्त होने की आशा है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : छः महीने में।

श्री एम० डी० रामास्वामी : क्या यह परिगणना विस्तृत भूमि सुधारों के लिये एक प्रारम्भिक कार्यवाही है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : यह देश में हो रहे सभी भूमि सुधारों के लिए एक प्रारंभिक कार्यवाही है।

श्री नानादास : श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि क्या किसी राज्य ने उस ऊसर भूमि की जिसके कृषि योग्य बनाये जाने की संभावना है, कोई परिगणना की है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) यह की जाने वाली जांच का एक अंग है।

डा० रामाराव : क्या यह तथ्य है कि दिल्ली राज्य ने ३० एकड़ की अधिकतम सीमा रखे जाने का सुझाव दिया था और

भारत सरकार ने इसे अस्वीकृत कर दिया था ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : हमने सही अर्थ में अभी अस्वीकृत नहीं किया है, पर उसने तीन विकल्प सुझाये थे। उसका कहना था कि यदि हिस्सेदारों की संख्या छः से दस तक हो, तो यह अधिकतम सीमा ३० प्रमाणित एकड़ होनी चाहिये और उससे अधिक होने पर वह ४० प्रमाणित एकड़ होनी चाहिये और उससे भी अधिक होन पर वह ५० प्रमाणित एकड़ होनी चाहिये, उसने वैकल्पिक सुझाव दिये थे और सारी बात सरकार के विचाराधीन है।

श्री बी० एस० मूर्ति : श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि क्या इन निदेशों के जारी किये जाने से पूर्व सरकार ने कुमारप्पा की रिपोर्ट पर ध्यान दिया था ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : मेरे विचार से ये सारी रिपोर्टें योजना आयोग के सामने थीं, और तभी उसने यह निष्कर्ष निकाला था।

डा० सुरेशचन्द्र : माननीय मंत्री ने बताया है कि भूमि या बेकार भूमि की कोई परिगणना नहीं हुई है। मैं जान सकता हूं कि केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन तथा अन्य संगठन कोई भूमि परिमाप न होने पर किस प्रकार कार्य कर रहे हैं ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : श्रीमान्, उसका इससे कोई सम्बन्ध नहीं है। यहां पर भूमि परिमाप से हमारा अभिप्राय भू-अधिसम्पत्तियों (जोतों) की संख्या और और देश की तथा इन भू-अधि-सम्पत्तियों के आकार से है। केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन को भूमि के कृष्यकरण के लिए कदाचित किसी परिमाप की आवश्यकता नहीं है। केवल ऊसर भूमि का ही कृष्यकरण किया जाता है।

डा० सुरेश चन्द्र : एक प्रश्न ऊसर जमीन के बारे में भी पूछा गया था और माननीय मंत्री ने यही उत्तर दिया है।

उपाध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न।

आदिलाबाद और कोणगोडम् में सार्वजनिक टेलिफोन काल आफिस

*१०१२. **श्री हेडा** : क्या संचरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आदिलाबाद और कोणगोडम् में सार्वजनिक टेलीफोन काल आफिस खोले जाने के विषय में क्या स्थिति है ?.

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : कोणगोडम् की योजना स्वीकृत हो चुकी है और भांडार आ रहे हैं। आदिलाबाद की योजना विचाराधीन है।

श्री हेडा : मैं जान सकता हूं कि सरकार कोणगोडम् में एक्सचेंज के कब से चालू कर देने की आशा करती है ?

श्री राज बहादुर : इस वित्तीय वर्ष के अन्त तक हम काम पूरा कर देना चाहते हैं।

श्री हेडा : क्या आदिलाबाद में सार्वजनिक टेलीफोन काल आफिस को नियमित एक्सचेंज में परिवर्तित कर देने का कोई विचार है ?

श्री राज बहादुर : उसकी वित्तीय उपलक्षणाओं पर विचार किया जा रहा है।

श्री हेडा : क्या सरकार ने इस बात को ध्यान में रखा है कि जहां तक संचरण का सम्बन्ध है आदिलाबाद, हैदराबाद या किसी अन्य स्थान से समुचित रीति से सम्बन्धित नहीं है ?

श्री राज बहादुर : नहीं, श्रीमान्। वहां एक सार्वजनिक टेलीफोन काल आफिस है, जो एक बेतार स्टेशन के रूप में कार्य करता है, और जहां तक हैदराबाद राज्य के

नगरों का सम्बन्ध है, यह सम्बन्ध है, पर यह देश की साधारण तार-प्रणाली से सम्बन्ध नहीं है ।

कृषि सम्बन्धी औजार

*१०१३. **श्री भीखा भाई** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह तथ्य है कि सर्व श्री पासाभाई पटेल एण्ड कम्पनी, लिमिटेड से चालीस लाख रुपये के मूल्य पर खरीदे गये औजार बेकार पड़े हैं ;

(ख) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर स्वीकारात्मक हो, तो उसके कारण क्या हैं ;

(ग) क्या यह तथ्य है कि खाद्य तथा कृषि संगठन (एफ० ए० ओ०) के एक विशेषज्ञ ने उनको कार्य योग्य बनाने के लिए उनमें कुछ परिवर्तन किये हैं; तथा

(घ) यदि उपरोक्त भाग (ग) का उत्तर स्वीकारात्मक हो, तो सरकार इन औजारों का उपयोग करने के लिए क्या कार्यवाही कर रही है ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा) : सूचना देने वाला एक विवरण सदन-पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ६९]**

श्री भीखा भाई : क्या मैं एफ० ए० ओ० के विशेज्ञ द्वारा किये गये परिवर्तन कार्य पर व्यय होने वाली रकम को जान सकता हूं और क्या यह रकम पासाभाई पटेल एण्ड कम्पनी से वसूल की जायेगी ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : औजारों की कुल लागत लगभग ४३ लाख रुपये है और परिवर्तन के लिए अपेक्षित रकम ज्ञात नहीं है, परन्तु कुछ व्यक्तिगत मामलों में उन्होंने परिवर्तन पर होने वाला परिव्यय बताया है । मुझे बताया गया है , यद्यपि अभिलिखित नहीं है कि कि वे यह परिवर्तन निःशुल्क करने को तयार हैं ।

डा० सुरेश चन्द्र : मैं जान सकता हूं कि ये कुल क्यों खरीदे गये थे और उसके लिये कौन उत्तरदायी था और क्या सरकार द्वारा इन अनियमितताओं की कुछ जांच की गई थी ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई): मेरे विचार से जहां तक यह प्रश्न है कि उत्तरदायी कौन था। सरकार इस खरीद के लिए उत्तरदायी थी ।

डा० सुरेश चन्द्र : सरकार का कौन सा पदाधिकारी ?

श्री किदवई : मेरे विचार से निर्णय सरकार द्वारा किया गया था--भले ही किसी पदाधिकारी ने इसके लिए परामर्श दिया हो। आर्डर देते समय सन् १९४६ में --खाद्य की बहुत कमी थी और यह यहां कहीं भी उपलब्ध नहीं थे । आयात करना संभव नहीं था । अतः, यह सुझाया गया था कि उनका निर्णय यहां किया जाये, और यह उसी सुझाव का परिणाम है ।

श्री एस० एनं० दास : मैं जान सकता हूं कि क्या इन आर्डरों को देने से पहिले सरकार ने विशेषज्ञों की सम्मति ली थी, और यदि हां, तो वे विशेषज्ञ कौन कौन हैं ?

श्री किदवई : अधिकांश अधिकारी जिन से परामर्श लिया गया था, इस समय सेवा-निवृत हो चुके हैं ।

पंडित के० सी० शर्मा : क्या यह तथ्य है कि आरम्भ में इन हलों को खरीदने के लिए आर्डर अमरीका के एक विशेष फर्म को दिये गये थे ?

श्री किदवई : यह ठीक नहीं है, क्योंकि उस समय युद्ध चल रहा था और अमरीका से आयात करना सम्भव नहीं था ।

पंडित के० सी० शर्मा : क्या यह तथ्य है कि जिन हलों के लिए आर्डर दिया गया था यह कम्पनी उन्हें बना सकने की स्थिति में नहीं थी ?

श्री किदवई : कम्पनी ने एक अवसर पर अपनी असमर्थता प्रकट की थी किन्तु भारत सरकार इस बात के लिये बहुत अधिक उत्सुक थी कि वह कम्पनी किसी भी प्रकार से उन हलों को बनाये । अतः उससे उनके बनाने का आग्रह किया गया था ।

पंडित के० सी० शर्मा : क्या यह तथ्य है कि इस कम्पनी ने इस 'बात को कभी भी नहीं' माना था कि यह इस प्रकार के हल बना सकने की स्थिति में थी ?

श्री किदवई : मुझे बताया गया है कि पहिले तो इसने—तथा अन्य फर्मों ने भी—अपनी असमर्थता प्रकट की थी और बाद में उन्हें उनको बनाने के लिये राजी कर लिया गया था ।

श्री टी० एन० सिंह : मैं जान सकता हूं कि क्या यह तथ्य है कि खाद्य तथा कृषि संगठन का विशेषज्ञ मैसर्स पाशाभाई पटेल एण्ड कम्पनी का कर्मचारी था ?

श्री किदवई : कुछ महीने पूर्व मुझ यही ज्ञात हुआ था, इसलिये हमने उसे सेवा-मुक्त कर दिया है ।

श्री टी० एन० सिंह : इस विशेषज्ञ द्वारा तथा कथित सुधार किये जाने के पश्चात् क्या इन ट्रैक्टरों को कृष्यकरण के लिये खेतों में काम में लाया गया था ?

श्री किदवई : उनका अब प्रयोग किया जा रहा है ।

श्री टी० एन० सिंह : उसका क्या परिणाम निकला है ?

श्री किदवई : उसका परिणाम यह निकला कि उनमें से कुछ बहुत अच्छी प्रकार से कार्य कर रहे हैं ।

श्री गिडवानी : और उनमें से कुछ बिल्कुल ही काम नहीं कर रहे हैं ।

श्री किदवई : इस के बारे में हमें ज्ञात नहीं है ।

श्री सिंहासन सिंह : जब वह कम्पनी सरकार की बात को पूरा नहीं कर सकती थी, और उस काम को करने के लिये तय्यार नहीं थी, तो यह ठेका किस प्रकार से किया गया था ?

श्री किदवई : उससे इस ठेके को स्वीकार कर लेने के लिये कहा गया था ।

श्री बी० एस० मूर्ति : मैं जान सकता हूं इस बात के क्या कारण थे कि जिस फर्म ने उस बात को पूरा करने में असमर्थता प्रकट की थी तो सरकार को उसीसे काम करवाने के लिये आग्रह करने की आवश्यकता क्यों पड़ी ?

श्री किदवई : जब एक दूसरे फर्म से इसके लिये कहा गया और उसने भी अपनी असमर्थता प्रकट की तब ऐसा किया गया ।

कुमारी एनी मस्करीन : जो औजार बेकार पड़े हैं इन्हे खरीदने में कितने लाख रुपये व्यर्थ गये ?

श्री किदवई : यदि इसकी जांच की जाय तो यह मालूम पड़ेगा कि हम ऐसी बहुत सी ऐसी चीजें जिन्हें हम काम में नहीं लाये हैं और जिनमें कुछ परिवर्तन या सुधार किये बिना इस देश में किये जा रहे हैं, उन्हें काम में नहीं लाया जा सकता है न केवल इसी फर्म से खरीद रहे हैं वरन् हमने संयुक्त

राज्य अमरीका तथा ग्रेट ब्रिटेन से भी आयात की है ।

हावड़ा-दिल्ली मेल पर आक्रमण

*१०१४. **श्री मुनिस्वामी :** (क) क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या १४ नवम्बर, १९५३ को हावड़ा-दिल्ली मेल पर खागा रेलवे स्टेशन पर आक्रमण किया गया था और हो, तो इसके लिये अपराधी कौन हैं ?

(ख) क्या यह तथ्य है कि बहुत से मुसाफिरों पर आक्रमण किया गया था ?

(ग) इस आक्रमण के परिणाम स्वरूप सरकार को कुल कितना नुकसान हुआ था ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी हां । २०० विद्यार्थियों की एक भीड़ ने ट्रेन पर पत्थर फेंके थे ।

(ख) सात मुसाफिरों तथा तीन रेलवे कर्मचारियों अर्थात् ट्रेन के ड्राइवर, पहिले फायर मैन तथा गार्डको हल्की चोटें लगीं ।

(ग) लगभग ७०० रुपये ।

श्री मुनिस्वामी : मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार ने इस बात का पता लगाने के लिये कि क्या अपराधियों में से कोई अभ्यस्त अपराधी भी है, कोई कार्यवाही की है ?

श्री अलगेशन : इस सम्बन्ध में सरकार ने कार्यवाही की है, और नौ आदमियों को गिरफ्तार किया गया है, किन्तु हमारे पास ऐसी कोई सूचना नहीं है कि वे अभ्यस्त अपराधी थे या नहीं ।

श्री मुनिस्वामी: मैं जान सकता हूं कि क्या जिन व्यक्तियों को नुकसान पहुंचा है उनमें से किसी ने सरकार से अपनी सम्पत्ति की हानि के सम्बन्ध में अन्य प्रकार का कोई अभ्यावेदन किया है ?

श्री अलगेशन : उनको हल्की चोटें आई थी और उनका इलाज किया गया था ; और उसके बाद वह अपनी यात्रा पर चले गये थे ।

डा० सुरेश चन्द्र : मैं जान सकता हूं कि मेल तथा अन्य गाड़ियों में मुसाफिरों पर कितनी बार आक्रमण हुये, और उनको रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

उपाध्यक्ष महोदय : यह एक व्यापक प्रश्न है ।

डा० सुरेश चन्द्र : मेरा प्रश्न संख्या के सम्बन्ध में है.....

उपाध्यक्ष महोदय: इस प्रश्न का सम्बन्ध तो केवल एक ट्रेन से है । माननीय सदस्य सामान्य रूप से सभी ट्रेनों के बारे में जानना चाहते हैं । यदि माननीय मंत्री उत्तर देना चाहें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है ।

डा० सुरेश चन्द्र : यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, और इसका कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया गया है ।

उपाध्यक्ष महोदय: इस प्रश्न का सम्बन्ध तो केवल एक घटना से है और इस प्रश्न के क्षेत्र को अन्य सैकड़ों घटनाओं तक विस्तृत नहीं किया जा सकता है ।

डा० सुरेश चन्द्र : यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है,और माननीय मंत्री इसका संतोषजनक उत्तर देगें इस की आशा की जाती है ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य इसकी अपेक्षा एक अधिक व्यापक प्रश्न पूछ सकते हैं, क्यों कि केवल एक ही प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री से अन्य प्रश्नों का उत्तर देने की आशा नहीं की जा सकती है ।

श्री जी० पी० सिन्हा: मैं जान सकता हूं कि क्या इस आक्रमण में कुछ विद्यार्थियों ने भी भाग लिया था ?

श्री अलगेशन: वास्तव में यह लगभग २०० विद्यार्थियों का एक जत्था था। यह बड़ी खेदजनक बात है कि हमारे देश के नवयुवक इस प्रकार के कामों में भाग लेते हैं।

श्री डी० सी० शर्मा: आक्रमण करने का तरीका क्या था और उन्होंने किस चीज़ से आक्रमण किया था ?

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री): उन्होंने पत्थरों से ट्रेन पर आक्रमण किया था।

गोल्डन राक रेलवे कालोनी

*१०१५. **श्री वीर स्वामी:** (क) क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दक्षिण रेलवे की गोल्डन राक रेलवे कालोनी में मकान किराया बढ़ा दिया गया है, और यदि हां, तो क्यों ?

(ख) विभिन्न प्रकार के मकानों के किराये की पहली दर क्या थी और अब विभिन्न प्रकार के क्वार्टरों के लिये किरायों की क्या दर निर्धारित की गई है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन): (क) जी हां। सरकारी रेलवे किराया नियमों के लागू किये जाने के परिणामस्वरूप किराये बढ़ा दिये गये हैं। फिर भी, वास्तविक वसूली कर्मचारियों के वेतन के १० प्रतिशत तक ही सीमित रहेगी।

(ख) एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ७०]**

श्री वीर स्वामी: इस बात को ध्यान में रखते हुये कि रेलवे कर्मचारियों के वेतन तथा रेलवे मजदूरों की मजदूरी बढ़ाई नहीं गई है किन्तु किराया बढ़ा दिया गया है, मैं जान सकता हूं कि क्या मंत्रालय इन आदेशों को वापिस लेने के विचार से इस मामले पर पुनर्विचार कर रहा है ?

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री): कर्मचारियों के वेतन पर्याप्त रूप से बढ़ा दिये गये हैं।

कुछ माननीय सदस्य उठे –

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य केवल प्रश्न ही पूछना चाहते हैं, उत्तर सुनना नहीं चाहते।

श्री एल० बी० शास्त्री: किराये में बृद्धि के सम्बन्ध में, हमने यह निर्णय किया है, क्योंकि हमें सभी कर्मचारियों से वसूल किये जाने वाले किरायों में समानता रखनी है।

श्री वीर स्वामी: क्या माननीय मंत्री को मालूम है कि गोल्डन राक रेलवे कालोनी के कर्मचारी २६ नवम्बर, १९५३ को किराये में की गई वृद्धि के विरोध में विरोध प्रदर्शित करने के हेतु काम पर आध घन्टे देर से गये थे ?

श्री एल० बी० शास्त्री: यह उनकी बहुत बड़ी गलती थी कि वे वर्कशाप में काम पर आध घंटे देर से गये।

श्री मुनिस्वामी: मैं जान सकता हूं कि क्या गोल्डन राक रेलवे वर्कशाप के कर्मचारियों की ओर से कोई अभ्यावेदन किया गया था, और यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

श्री एल० बी० शास्त्री: हमें एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है, किन्तु जैसा मैंने कहा, हम उनकी मांग को स्वीकार नहीं कर सकते हैं।

श्री बी० एस० मूर्ति: किराये में वृद्धि किस आधार पर निर्धारित की गई है, और किस आधार पर समानता के लिये किया गया है ?

उपाध्यक्ष महोदय: शांति, शांति। हमें इस मामले में कोई तर्क नहीं करने चाहियें।

श्री नाना दास: मैं जान सकता हूं कि मकानों के किराये बढ़ा दिये जाने के परिणामस्वरूप, कर्मचारियों को कौन सी अतिरिक्त सुविधायें दी गई हैं ?

श्री एल० बी० शास्त्री: उन्हे रेलवे क्वार्टर दिये जायेंगे जैसे कि रेलवे में है ।

श्री टी० बी० विट्ठल राव: मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार के लिये इन किरायों को छः गुना बढ़ा देना उचित है ?

श्री एल० बी० शास्त्री : उनकी वेतन श्रेणियां भी बढ़ा दी गई हैं और कुछ मामलों में शायद उससे भी ज्यादा बृद्धि हुई है ।

नल-कूप

*१०१७. **श्री गिडवानी :** (क) क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह तथ्य है कि सरकार अगले तीन वर्षों में नल-कूपों के बनाने में चौबीस करोड़ रुपये व्यय करने का विचार करती है ?

(ख) बनाये जाने वाले नल-कूपों की संख्या कितनी है ?

(ग) ये नल-कूप किन राज्यों में बनाये जायेंगे ?

(घ) क्या यह निर्णाण कार्य राज्य सरकारों के द्वारा उनको इस कार्य के लिये ऋण देकर करवाया जायेगा ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा) : (क) जी हां ।

(ख) सिंचाई नल-कूप २६५०
परीक्षात्मक नल-कूप ३५०

(ग) उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार तथा पेप्सू में २६५० नल-कूप बनाये जायेंगे, और मद्रास, पश्चिमी बंगाल, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, भोपाल, बम्बई, कच्छ, सौराष्ट्र, उड़ीसा, बिहार, आसाम, त्रावनकोर-कोचीन, राजस्थान तथा पेप्सू में ३५० परीक्षात्मक नल-कूप बनाये जायेंगे ।

(घ) सभी सिंचाई नल-कूप सम्बद्ध राज्य सरकारों द्वारा आंशिक रूप से ठेकेदारों द्वारा तथा आंशिक रूप से उनके ही विभागों द्वारा बनाये जायेंगे । इन नल-कूपों को बनाने के लिये राज्यों को ऋण दिये जायेंगे । परीक्षात्मक नल-कूप खाद्य तथा कृषि मंत्रालय के सीधे अधीक्षण के अन्तर्गत एक ठेकेदार या ठेकेदारों द्वारा बनाये जायेंगे । ठीक प्रकार से बनाये गये नल-कूपों का खर्च सम्बद्ध सरकारों के नाम ऋण खाते में लिखा जायगा । जो नल-कूप ठीक नहीं बन सकेंगे उनका खर्च भारत सरकार वहन करेगी ।

श्री गिडवानी : प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री ने बतलाया है कि राज्यों को ऋण दिया जायेगा । क्या सरकार इस सम्बन्ध में जागरुक रहेगी तथा हर सम्भव कार्यवाही करेगी कि नल-कूप बनाने के टेंडर नेशनल ट्यूब वेल्स कम्पनी, बम्बई, जिसका दिवाला निकल गया है तथा जिसके कारण बम्बई सरकार और भारत सरकार को बहुत हानि उठानी पड़ी है, जैसी झूठी फर्मों को दिये जायें तथा क्या मैं मालूम कर सकता हूं कि भारत सरकार को इस सम्बन्ध में कितनी हानि उठानी पड़ी थी ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : श्रीमान्, यह एक पुरानी कहानी है जिसका सम्बन्ध बम्बई सरकार से है जिसने नेशनल ट्यूब-वेल्स लिमिटेड को एक ठेका दिया था । हमारा सम्बन्ध केवल ४० लाख रुपये के उस ऋण से है जो हमने बम्बई सरकार को दिया था जो हमें वापस मिल चुका है । माननीय सदस्य की सूचना के लिये मैं बतला देना चाहता हूं कि इस वर्ष हमने पहली किस्त ब्याज के साथ ले ली है । हमारा सम्बन्ध केवल ऋण से था और किसी बात से नहीं ।

श्री राघवाचारी : माननीय मंत्री ने जो सूची पढ़ी मैंने उसमें आंध्र का नाम नहीं सुना । क्या वहां पर परीक्षण के रूप में कोई नल-कूप लगाये जायेंगे ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : जी हां, आंध्र में, परीक्षण के रूप में नल-कूप लगाये जायेंगे और उनकी संख्या ५० होगी ।

श्री एस० वी० रामास्वामी : विभिन्न राज्यों को किस आधार पर राशि दी जायेगी ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : उस क्षेत्र में, जहां अब तक कोई नल-कूप नहीं बनाये गये हैं, इनके बनाये जाने की सम्भाव्यता के आधार पर ।

डा० सुरेश चन्द्र : क्या सरकार के पास उन क्षेत्रों में कुयें खुदवाने की कोई योजना है जिनमें नल-कूप नहीं लगाये जा सकते हैं ?

श्री किदवई : पहले हम इस बात का पता लगाने का प्रयत्न करेंगे कि हम वहां पर नल-कूप लगा सकतें हैं अथवा नहीं । अन्य योजनायें इस पर निर्भर नहीं हैं, वे तो चलती ही रहती हैं ।

डा० राम सुभग सिंह : क्या नल-कूप लगाने का प्रोग्राम किसी प्रकार से १९५० के छोटी सिंचाई प्रोग्राम से सम्बन्धित है ?

श्री किदवई : इसका उससे कोई सम्बन्ध नही है ।

सेठ गोविन्द दास : किन किन राज्यों में कितने ट्यूबवेल बनाने की योजना है और यह जो संख्या निश्चित की गई है वह उन राज्यों की जमीन के अनुसार निश्चित की गई है या उन राज्यों की आबादी के अनुसार ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : पहली परियोजना के अनुसार २,००० नल-कूप चार राज्यों में बांटे गये हैं ; उत्तर प्रदेश ९९५ बिहार ३५०, पंजाब ३५५ तथा पेप्सू ३०० । दूसरी परियोजना के अनुसार परीक्षण नल-कूप समस्त राज्यों में बांटे जायेंगे--- ६५० नलकूपों में से उत्तर प्रदेश में लगभग १५०, बिहार में ७५, पंजाब में १६० और पेप्सू में १३५ लगाये जायेंगे ।

श्री मुनिस्वामी : क्या यह सत्य है कि नल-कूप लगाने की लागत के अनुसार बदलती रहती है, और यदि हां, तो इनका बटवारा किस प्रकार से किया जाता है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : जमीन के अनुसार लागत बदलती रहती है ।

श्री टी० एन० सिंह : इस योजना के अनुसार उत्तर प्रदेश में एक नल-कूप लगाने में औसतन कितनी लागत आती है , तथा अन्य स्थानों पर लगाये जाने वाले नल-कूपों की तुलना में यह लागत कैसी बैठती है ?

श्री किदवई : प्रत्येक वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में लागत बदलती रहती है ।

श्री सिंहासन सिंह : श्रीमान्, उन्होंने लागत नही बतलाई है ।

उपाध्यक्ष महोदय : औसतन लागत भी बदलती रहती है ।

पंडित एस० सी० मिश्र : इस बात को ध्यान में रखते हुये कि भारत सरकार ने असफल नल-कूपों पर हुआ व्यय अपने ऊपर लेना स्वीकार कर लिया है, क्या उन्होंने इस बात का पता लगाने की कोई व्यवस्था की है कि जिन ठेकेदारों को नल-कूप लगाने का ठेका दिया जाता है वे गड़बड़ी तो नहीं करते ?

श्री किदवई : काम देखने के लिये हर दम व्यवस्था रहती है---चाहे वह ठेकेदार द्वारा किया जाये , चाहे विभाग द्वारा । सफल नल-कूपों तथा असफल नल-कूपों के सम्बन्ध में हमेशा व्यवस्था होती है । बहुत से मामलों में भुगतान नहीं किया जाता ।

डा० राम सुभग सिंह : क्या नल-कूप लगाने के इस प्रोग्राम को शुरू करते समय सरकार इस बात पर भी विचार करेगी कि नल-कूपों से दिये जाने वाले पानी के निमित्त जो खर्चा लिया जाता है उस में बहुत अधिक वृद्धि न की जाये जैसा कि अभी हाल में किया गया था ?

श्री किदवई : यदि संसद सदस्य अपने राज्य को राजी कर सकें तो हम पानी के निमित्त लिये जाने वाले खर्चे को नियंत्रित कर सकेंगे ।

डा० राम सुभग सिंह : यदि उन पर नियंत्रण नहीं रखा जा सकता तो राशि देने से क्या लाभ ?

श्री नानादास : इस बात को ध्यान में रखते हुये कि सरकार द्वारा बनाये गये नल कूप की कुल लागत २५,००० रुपये आती है जब कि ठेकेदारों द्वारा बनाने पर ३०,००० रुपये आती है, सरकार ने किन कारणों वश नल कूपों के बनाने का काम ठेकेदारों को दिया ?

श्री किदवई : एक कारण तो यह है कि हम नल कूपों को शीघ्र से शीघ्र बनवाना चाहते हैं । बहुत कम सरकारों को विभागीय रूप से नल कूप बनवाने का अनुभव प्राप्त है । जो कुछ भी वे विभागीय रूप से बना सकती हैं उन्हें बनाने दिया जाता है ।

श्री मेघनाद साहा : नल-कूपों के लगाने का स्थान ढूनने तथा जब वे बन कर तैयार हो जायें तो उनकी उचित देखभाल करने के सम्बन्ध में क्या सरकार ने किसी वैज्ञानिक विशेषज्ञ की राय ली है ?

श्री किदवई : मैं प्रश्न नहीं समझ सका हूं । इन बातों का ध्यान रखने के लिये कि उन्हें कैसे बनाया जाये, कैसे चलाया जाये तथा कैसे देखभाल की जाये – प्रत्येक राज्य सरकार के पास प्रशिक्षित इंजीनियर होते हैं ।

श्री राधेलाल व्यास : नल कूप बनाने के प्रोग्राम में मध्य भारत को शामिल क्यों नहीं किया गया है ?

श्री किदवई : मध्य भारत को अलग नहीं रखा गया है । कल मैं मध्य भारत की राजधानी में था तथा मैंने वहां पर कुछ क्षेत्रों में परीक्षण के रूप में नल कूप लगाने के लिये कहा, किन्तु वहां पर सब लोगों ने एक आवाज में उत्तर दिया कि उक्त क्षेत्र नल कूप लगाने के उपयुक्त नहीं है । बाद में मैंने कुछ लोगों को कहते सुना कि कुछ नल कूप बना दिये गये हैं । मैंने उन से कुछ क्षेत्रों में नल-कूप लगाने के लिये कहा है ।

श्री राघवय्या : इस बात को ध्यान में रखते हुये कि इससे लोगों को विशेषकर किसानों को, बहुत अधिक लाभ होगा, तथा इन्हे बहुत शीघ्रता से बनाने की आवश्यकता है, क्या सरकार ने लोगों का सहयोग प्राप्त करके इन्हे बनाने की वांछनीयता पर विचार किया है ?

श्री किदवई : कुछ स्थानों पर किसानों से सहकारी समितियां बनाकर नल कूपों को बनाने का काम आरम्भ करने के लिये कहा गया है । केन्द्रीय तथा राज्य दोनों ही सरकारें इनकी आर्थिक रूप से सहायता करने के लिये तैयार हैं ।

डा० डी० रामचन्द्र : मद्रास राज्य में नलकूप बनाने के लिये किन किन जिलों को छांटा जायगा ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : माननीय सदस्य का जिला, उत्तरी अरकाट भी शामिल कर लिया जायेगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : दूसरा प्रश्न ।

श्री लक्ष्मय्या क्या परीक्षात्मक नल कूप रायलसीमा में भी बनाये जायेंगे ?

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछने में देर कर दी । दूसरा प्रश्न ।

मालगाड़ी के डब्बों के सम्बन्ध में स्थिति

*१०१८. **श्री सी० आर० नरसिंहन्:** (क) क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि मद्रास बन्दरगाह से खनिज पदार्थ भेजने के सम्बन्ध में मालगाड़ी के डब्बों की वर्तमान सम्भरण स्थिति क्या है ?

(ख) उन वास्तविक निर्यातकों के सम्बन्ध में क्या व्यवस्था की गई है जो अपने खनिज पदार्थों को भेजने के लिये अनेक पक्षों द्वारा मालगाड़ी के डब्बों का पंजीयन नहीं करवाना चाहते हैं ?

(ग) १५ अगस्त से १५ अक्तूबर, १९५३ तक की अवधि में उन पक्षों द्वारा कितनी कच्ची धातु भेजी गई जिन्होंने गुनटकल-बंगलौर सेक्शन पर मालगाड़ी के डब्बों के लिये पंजीयन करवाया था ?

(घ) उनमें से कितने पक्षों ने वास्तव में खनिज पदार्थों का निर्यात किया है तथा उक्त अवधि में कितनी मात्रा में ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन): (क) सारी आवश्यकताओं को देखते हुये रेल यातायात के सम्बन्ध में जो राशनिंग की गई है उसमें कच्ची धातु के भेजने को भी उचित स्थान दिया गया है। ३०-९-५३ को समाप्त होने वाले छः महीनों में मद्रास बन्दरगाह को कच्ची धातु से भरे ६७४८ डब्बे रवाना किये गये थे जब कि उससे पिछले छः महीनों में केवल ४०११ डब्बे रवाना किये गये थे, इस प्रकार ६८ प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

(ख) क्योंकि रेलवे लोक-वाहक है इस लिये वह विभिन्न प्रेषकों, अर्थात् वास्तविक निर्यातकों तथा अन्य निर्यातकों, के बीच डिब्बों के बांट के सम्बन्ध में भेदभाव नहीं कर सकती है। इस ट्रैफिक के लिये व्यादेश, जो कि पूर्णतः निर्यात के लिये है, उन प्रेषकों से स्वीकार किये जाते हैं जो निर्धारित शर्तों को, जो कि सम्बन्धित क्षेत्रों से इस ट्रैफिक के प्रेषकों के लिये एकसी हैं, पूरा करते हैं।

(ग) १५ अगस्त से १५ अक्तूबर, १९५३ तक की अवधि के लिये सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है। परन्तु १ अगस्त से ३१ अक्तूबर, १९५३ तक की अवधि में निर्यात की जाने वाली कच्ची धातु से भरे ३२०७ डिब्बे रेलवे के गुनटकल तथा बंगलौर जिलों से रवाना किये गये थे, अर्थात, ३६२३ गुनटकल से तथा २५८४ बंगलौर से।

(घ) सूचना तत्काल ही उपलब्ध नहीं है तथा इसके संग्रह करने में काफी श्रम और समय लगेगा जोकि हो सकता है इसके द्वारा होने वाले कार्य के संमेय न हो।

श्री सी० आर० नरसिंहन्: क्या निर्यातकों विशेष कर मेंगनीज धातु के निर्यातकों ने इस बात की शिकायत की है कि उन लोगों को कम डब्बे दिए जाते हैं जिन्हें अधिक धातु भेजनी होती है ?

श्री अलगेशन: जी हां, श्रीमान्। इन निर्यातकों के बीच एक प्रकार की होड़ चलती रहती है और वे शिकायतें भी करते हैं। उनमें से प्रत्यक अपने लिये अधिक से अधिक डब्बे चाहता है।

श्री टी० सुब्राह्मण्यम्: जिन शर्तों के अनुसार डब्बों का बटवारा किया जाता है उन्हें कौन निर्धारित करता है ?

श्री अलगेशन: रेलवे। लेकिन मैं माननीय सदस्य तथा सदन को यह बतलाना चाहता हूं कि वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय इस मामले पर विचार कर रहा है। सम्भव है हमें उनकी राय जल्दी ही मिल जाये और तब हम इस सम्बन्ध में निश्चय कर सकें।

श्री सी० आर० नरसिंहन् : निर्यातकों के लिये डब्बों के बटवारे के सम्बन्ध में क्या कोई कामचलाऊ तरीके हैं ?

श्री अलगेशन : यदि वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय निर्यात लाइसेंन्सों में मात्रा का उल्लेख कर दें तो निर्यात की जाने वाली धातु के अनुपात ही में डब्बे नियत कर दिये जायेंगे ।

श्री सी० आर० नरसिंहन् : क्या इस से डब्बों की मांग के सम्बन्ध में गड़बड़ी फैल गई है जिसका वास्तविक निर्यातकों पर बुरा प्रभाव पड़ा है ?

श्री अलगेशन : यह बात नहीं है । कलकत्ता बन्दरगाह से भेजी जाने वाली निर्यात वस्तुओं के सम्बन्ध में यह तरीका पहले ही से लागू कर दिया गया है और हो सकता है यही तरीका मद्रास के सम्बन्ध में भी लागू कर दिया जाये ।

टैलीग्राफ प्रदर्शनी

*१०२०. **श्री भीखा भाई** : क्या संचरण मंत्री बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली में ईस्टर्न कोर्ट में होने वाली टैलीग्राफ शताब्दी प्रदर्शनी पर कितना रुपया व्यय किया गया ?

(ख) क्या यह प्रदर्शनी भी एक एक नगर में जायेगी जैसा कि रेलवे शताब्दी प्रदर्शनी के सम्बन्ध में प्रबन्ध किया गया था ?

संचरण उपमंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) प्राप्य जानकारी के आधार पर टलीग्राफ शताब्दी प्रदर्शनी को संगठित करने तथा चलाने में लगभग १,९५,००० रुपया व्यय किया गया है ।

(ख) प्रदर्शनी को सामग्रियों को कलकत्ता बम्बई तथा मद्रास भेजने का प्रश्न विचाराधीन है

श्री भीखा भाई : क्या मैं जान सकता हूं कि प्रदर्शनी के समय में प्रवेश टिकटों की बिक्री से तथा अन्य साधनों से होने वाली आय की धन राशि कितनी है ?

श्री राजबहादुर :

	रुपया
वसूल होने वाला किराया	१६,३००
स्मारक ग्रंथों की बिक्री	४१०
पुस्तिकाओं की बिक्री	५७५
पुस्तिकाओं पर विज्ञापन	६,७००
स्मारक टेलीफून	१,७९५
टिकट	१२,५०२
विविध	१,०२५

इस के अतिरिक्त आशा की जाती है कि शताब्दी टिकटों की संकलनार्थ बिक्री से लगभग दो लाख रुपया प्राप्त होगा ।

श्री भीखा भाई : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या इसे स्थायी रूप देने का विचार है ?

श्री राजबहादुर : प्रदर्शनी तो अस्थायी है केवल एक मास के लिये । इसे स्थायी नहीं बनाया जा सकता है । जैसा मैं बता चुका हूं यही प्रदर्शनी बम्बई, कलकत्ता तथा मद्रास में भी दिखाई जायेगी ।

सेठ गोविन्द दास : बम्बई, कलकत्ता और मद्रास को छोड़ कर बाकी स्थानों को एग्ज़बीशन भेजने का विचार है या नहीं है तो क्यों नहीं है ?

श्री राजबहादुर : यह विचाराधीन है ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्नों का घंटा समाप्त हो गया ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

*१००२. **श्री माधव रेड्डी** : क्या रेल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या पुरानी

एन० एस० रेलवे में, जिसमें अभी तक साहुकारी हमाल की सहयोगी प्रणाली प्रचलित थी, माल उतारने तथा लादने के लिये, मध्य रेलवे के अधिकारियों ने हमाल की क़रार प्रणाली लागू कर दी है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : मध्य रेलवे उस भाग में जो पहले निज़ाम की रियासती रेल कहलाती थी, सिकन्दराबाद, हैदराबाद तथा कच्चेगुड़ा स्टेशनों पर 'साहुकारी हमाल' प्रणाली के स्थान पर, माल उतारने या लादने की 'क़रार प्रणाली' लागू कर दी गई है।

दरभंगा मेडीकल कालिज की एम० बी० बी० एस० उपाधि की मान्यता

*१००३. **श्री एल० एन० मिश्र** : क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दरभंगा मेडिकल कालिज (बिहार) की एम० बी० बी० एस० उपाधि को मान्यता प्रदान करने के सम्बन्ध में कोई निर्णय किया गया है ?

(ख) क्या भारतीय चिकित्सा परिषद् ने, अब इस उपाधि को मान्य ठहरा दिया है ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर) : (क) तथा (ख) भारतीय चिकित्सा परिषद् ने बिहार विश्व विद्यालय की ऐसी एम० बी० बी० एस० उपाधियों को मान्यता प्रदान करने की शिफ़ारिश की है जो १ अप्रैल, १९५३ के पश्चात दी गई हैं। भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम १९३३ के अनुसार इस उपाधि को मान्यता प्रदान करना तथा उसे इस अधिनियम की प्रथम अनुसूची में सम्मिलित करने का प्रश्न भारत सरकार के विचाराधीन है।

लखनऊ-कटिहार डाकगाड़ी में भोजन डिब्बा

*१०१०. **श्री अमजद अली** : क्या रेल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार लखनऊ कटिहार डाक गाड़ी में भोजन डिब्बे की सुविधाओं का प्रबन्ध करने का विचार करती है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : लखनऊ-कटिहार डाकगाड़ी में वैसेभी एक उपहार डिब्बा रहता है। उपहार डिब्बे के स्थान पर भोजन डिब्बे का प्रबन्ध किया जा रहा है।

आई० एल० ओ० फेलोशिप योजना

*१०१६. **श्री एम० एन० सिंह** : (क) क्या रेल मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह तथ्य है, कि आई० एल० ओ० फेलोशिप योजना के अन्तगत शिक्षा प्राप्त करने के लिये विभिन्न रेलों से उम्मीदवारों की सिफ़ारिश की जाती है ?

(ख) यदि हां तो इन उम्मीदवारों के निर्वाचन का आधार क्या है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) हां, परन्तु विचार यह है कि चतुर्थ-सूत्र कार्यक्रम का लाभ उठाया जाय।

(ख) यह विषय विचाराधीन है।

"कूलू तथा कांगड़ा" पर पुस्तिका

*१०१९. **श्री अमजद अली** : क्या यातायात मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यातायात मंत्रालय की टूरिस्ट ट्रेफिक ब्रांच द्वारा "कूलू तथा कांगड़ा" शीर्षक से एक पुस्तिका हाल ही में निकाली गई थी ?

(ख) पर्यटन करने वालों के लिये उस क्षेत्र में ठहरने की कौन सी सुविधायें दी गई हैं ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) हां ।

(ख) राज्य सरकार, पर्यटन करने वालों को, इन घाटियों के पी० डब्ल्यू० डी० तथा फारेस्ट विश्राम ग्रहों में, साधारण शुल्क पर ठहरने की सुविधा देती है ।

बनारस विश्वविद्यालय की ए० एम० एस० उपाधि

*१०२१. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नौकरियों के काम के लिये, हिन्दू विश्वविद्यालय बनारस द्वारा दी जाने वाली ए० एम० एस० उपाधि, किसी राज्य सरकार द्वारा मान्य समझी गई है ?

(ख) यदि हां, तो किन राज्यों में ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत-कौर) (क) हां ।

(ख) उत्तर प्रदेश, आसाम, उड़ीसा, मध्यप्रदेश, बम्बई, राजस्थान, हैदराबाद, पेप्सू, सौरास्ट्र, मध्य भारत, भोपाल, विन्ध्य प्रदेश तथा हिमांचल प्रदेश ।

परिवार नियोजन समिति

*१०२२. **श्री वी० मुनिस्वामी** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 'परिवार नियोजन तथा कार्यक्रम समिति' की मुख्य सिफ़ारिशें क्या हैं ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत-कौर) : सदन-पटल पर एक विवरण रखा जा रहा है जिसमें इस समिति की मुख्य सिफारिशें दी हुई हैं **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ७१]**

रेलवे वर्कशाप खडगपुर में भर्ती

*१०२३. **श्री संगण्णा** : क्या **रेल** मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५०, १९५१, १९५२ तथा १९५३ में रेलवे वर्कशाप खड़गपुर की चतुर्थ वर्ग नौकरियों में भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है ?

(ख) इन में से प्रत्येक वर्ष में भर्ती किये जाने वाले अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों की संख्या कितनी है ?

(ग) क्या गृह कार्य मंत्रालय के आदेशानुसार प्रतिशत रक्षण को कार्यान्वित करने के लिये इन जातियों के उम्मीदवारों का पृथक् चुनाव किया गया था ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) तथा (ख) . सदन पटल पर एक विवरण रखा जा रहा है **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ७२]**

(ग) नहीं ।

मोतीहारी में टेलीफून एक्सचेंज

*१०२४. **श्री विभूति मिश्र** : (क) क्या **संचरण** मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मोतीहारी के स्वचालित टेलीफ़ून एक्सचेञ्ज को बंद कर देने का क्या कारण है जो अभी तक काम कर रहा था ?

(ख) क्या सरकार मोतीहारी के स्वचालित टेलीफ़ून एक्सचेञ्ज को फिर से चालू करने का विचार कर रही है ?

संचरण उपमंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) स्वचालित एक्सचेञ्ज के स्थान पर हस्तचालित एक्सचेञ्ज स्थापित कर दिया गया था क्योंकि टेलीफ़ून की नई मांगों को

पूरा करने के लिये स्वचालित एक्सचेञ्ज की क्षमता अत्यन्त स्वल्प थी ।

(ख) नहीं ।

राजकोट में रेलवे लाईन का हटाया जाना

*१०२५. **श्री जे० एन० पारिख :** क्या रेल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनता को होने वाली असुविधाये दूर करने के लिये, राजकोट शहर (सौराष्ट्र) से जाने वाली रेलवे लाइन का स्थान बदला जाने वाला है ?

(ख) यदि हां, तो कार्य कब आरम्भ होने वाला है ?

रेल तथा यातायात उपमत्री (श्री अलगेशन) : (क) हां श्रीमान् ।

(ख) कार्य शीघ्र ही आरम्भ होने वाला है ।

देवा दासगोवान रेलवे लाईन

*१०२६. **श्री गिड़वानी** : (क) क्या रेल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या बम्बई राज्य में देवा से दासगोवान जाने वाली बड़ी लाईन का परिमाप सरकार ने पूरा कर लिया है ?

(ख) परिमाप की लगभग लागत कितनी है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) अभी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) इंजीनियरिंग परिमाप की लागत-लगभग १,९७,१०४ रुपया है तथा परिवहन परिमाप की लगभग २५,००० रुपया है ।

रेलवे वर्कशाप

*१०२७. **श्री के० पी० त्रिपाठी :** (क) क्या रेल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि डिब्रूगढ़ (उत्तर पूर्व रेलवे) की रेलवे वर्कशाप में मज़दूरों को अप्रैण्टिसी की शिक्षा देने के लिये क्या प्रबन्ध है ?

(ख) रेलवे के अन्य कौन से केन्द्रों में इस प्रकार की सुविधायें उपलब्ध हैं ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) डिब्रूगढ़ वर्कशाप में, प्रप्रैंटिस, व्यावहारिक शिक्षण', कार्य के स्थानों पर प्राप्त करते हैं। उन का सैद्धान्तिक शिक्षण वर्कशाप के तीन फ़ोर मैनों के सुपुर्द कर दिया गया है ।

(ख) उत्तर पूर्व रेलवे में काम सीखने वालों के अन्य शिक्षण केन्द्र केवल गोरखपुर तथा इज्ज़त नगर में हैं ।

सौराष्ट्र के टेलीफून एक्स्चेंज

*१०२८. **श्री जेठोलाल जोशी** : क्या संचरण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सौराष्ट्र में 'आप का अपना टेलीफ़ून' योजना के अन्तर्गत कितने टेलीफ़ोन एक्सचेन्ज हैं तथा अन्य प्रकार के कितने हैं ?

संचरण उपमंत्री (श्री राजबहादुर) :

'आपका अपना टेलीफ़ून' योजना के अंतर्गत १

'आपका अपना टलीफ़ून योजना के अतिरिक्त २७

पश्चिमी बंगाल में चीनी के भाव

*१०२९. **श्री एन० बी० चौधरी :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार को ज्ञात है कि आयात की गई चीनी सम्पूर्ण पश्चिमी बंगाल में उस भाव पर नहीं बेची जा रही है जैसा कि सहायक अनुदानों के स्वीकृत किये जाने के समय पर उन्होंने कहा था; तथा

(ख) यदि ऐसा है, तो क्या सरकार ने ने कलकत्ता तथा पश्चिमी बंगाल के ग्रामीण क्षेत्रों में उसी भाव पर बेचे जाने के लिये क्या कार्यवाहियां की हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) तथा (ख) सदन के पिछले अधिवेशन में सहायक अनुदान प्राप्त करने के समय यह कहा गया था कि कलकत्ता तथा बंगाल के अन्य क्षेत्रों में आयात की गई चीनी १२ आने ६ पाई प्रति सेर के भाव से दी जायेगी। बंगाल सरकार द्वारा की गई जांचों से पता लगता है कि आयात की गई चीनी इसी भाव पर कलकत्ता तथा ग्रामीण क्षेत्रों में बिक रही है।

सियालदाह क्षेत्र में इंजन

*१०३०. **श्री एच० एन० मुकर्जी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(क) पूर्वी रेल के स्यालदाह क्षेत्र में वर्तमान में प्रयुक्त किये जाने वाले उन इंजनों का प्रतिशत क्या है जिनका समय समाप्त हो चुका है (४० वर्षों से अधिक पुराने);

(ख) क्या सरकार का ध्यान उपर्युक्त क्षेत्र में ड्राइवरों द्वारा पुराने इंजनों को लेने से अस्वीकार करने के हाल के मामलों की ओर आकर्षित किया गया है फिर भी आदेशानुसार ऐसा करने के लिये वे विवश किये गये हैं; तथा

(ग) क्या सरकार का ध्यान ऐसे इंजनों के काम में लाये जाने तथा ड्राइवरों एवं फायरमैनों पर असुविधा होने वाले यात्रियों के द्वारा किए गए हमले के परिणामस्वरूप सवारी गाड़ियों के यातायात में गड़बड़ी के मामले की ओर भी आकर्षित किया गया है ;

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) लगभग ३५ प्रतिशत।

(ख) ऐसे किसी उदाहरण की सूचना नहीं प्राप्त हुई है।

(ग) हस्तक्षेप के कुछ मामलों की सूचना प्राप्त हुई है तथा कुछ आगे के विस्तृत विवरण मंगाये गये हैं।

नागरिक-उड्डयन विभाग कर्मचारीगण

*१०३१. **श्री वल्लाथरास** : क्या **संचरण** मंत्री नागरिक उड्डयन विभाग के अस्थाई कर्मचारियों का प्रतिशत तथा उनको अस्थायी रखे जाने के कारण बताने की कृपा करेंगे ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : नागरिक उड्डयन विभाग के कर्मचारियों में राजपत्रित में से १६.९ प्रतिशत तथा अराजपत्रित में से ६२.३ प्रतिशत कर्मचारी अस्थायी हैं। वे आंशिक रूप से अस्थायी इस कारण हैं कि स्थान स्वयं अस्थायी है तथा आंक रूप में इस कारण कि कुछ समय पूर्व तक विभाग के कमचारियों के पुष्टिकरण पर सामान्यतः प्रतिबन्ध लगा था। इस प्रतिबन्ध पर हाल ही में आंशिक छूट विभाग में स्थानों के कुछ अनुपात तक विशेष रूप से भरने के लिये दे दी गई है तथा उपलब्ध रिक्त स्थानों पर योग्य व्यक्तियों के पुष्टिकरण के सम्बन्ध में की जाने वाली कार्यवाही प्रगति पर है।

सुल्तानपुर-जफराबाद रेल लाईन

*१०३२. **श्री गणपति राम** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सुल्तानपुर जफराबाद रेल लाइन का निर्माण कार्य आरम्भ हो गया है; तथा

(ख) यदि ऐसा है, तो अब तक की गई उन्नति ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) हां, श्रीमान्।

(ख) एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ७३]

वन रोपण नीति

*१०३३. **श्री कानाबज्ञे पाटिल :** **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या १२ मई, १९५२ के भारत सरकार के वन नीति संकल्प के उपबन्ध के अन्तर्गत विचारित पुनर्वनरोपण योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिये भारत सरकार ने कोई कार्यवाहियां की हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : राष्ट्रीय वन नीति, जैसा कि पैरा ३४ में कहा गया है, सामान्य सिद्धान्तों की व्याख्या मात्र है, जिसके लिये राज्यों से उनकी नीतियों तथा वनोत्पत्तियों के संरक्षण के लिये विधान निर्माण में ध्यान रखने का निवेदन किया गया है । वनरक्षण राज्य का विषय है । वन रक्षण केन्द्रीय मण्डल ने जिसमें सभी राज्यों का मंत्रालय स्तर पर प्रतिनिधित्व है, इस नीति का अनुमोदन किया है । इस विषय पर मण्डल के प्रस्ताव सदन पटल पर रखे हैं । [देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ७४.]

गाड़ियों में प्रकाश का प्रबन्ध

*१०३४. **श्री आर० सी० माझी :**
श्री संगण्णा :

(क) क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि क्या पूर्वीय रेल के पूर्वीय तट की सवारी गाड़ियों में अपर्याप्त प्रकाश के सम्बन्ध में प्रादेशिक समाचार पत्रों में प्रकाशित आलोचना की सूचना सरकार को दी गई है ?

(ख) यदि ऐसा है, तो इस स्थिति में सुधार करने के लिये क्या कोई कार्यवाही की गई है और यदि हां, तो क्या ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) हां ।

(ख) पूर्वी रेलवे के पूर्वीय तट पर सवारी गाड़ियों में अपर्याप्त प्रकाश का कारण पहरेदारों तथा रेल संरक्षण पुलिस के एहतियात के बावजूद भी रेलों में प्रकाश के डाइनमों की बेल्ट्स की चोरियों की कई घटनाओं का होना था, ये लोग, नागरिक पुलिस अधिकारियों के साथ ऐसे एकोन्मुख कार्य कर रहे हैं जिससे अपराधियों का पकड़ा जाना सम्भव हो सके । चोरियों का रोकना शान्ति एवं सुव्यवस्था की समस्या है तथा सम्बन्धित राज्य सरकारों का ध्यान लगातार इसी ओर आकर्षित किया जा रहा है तथा उनसे कठोर कार्यवाही करने के लिये जोर देकर कहा गया है ।

मोकामा का रेल का पुल

*१०३५. **पंडित एस० सी० मिश्र :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि मोकामा के स्थान पर गंगा नदी पर रेल का पुल बनाने के निमित्त अस्थायी कर्मचारियों के लिये कलकत्ता तथा अन्य स्थानों पर नये प्रार्थनापत्र मांगे गए हैं ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : नहीं ।

साहबगंज मुंगेर घाट स्टीमर सर्विस

*१०३६. **पंडित एस० सी० मिश्र :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि गत वर्ष मुंगेर नगर तथा जिले के लोगों की ओर से सरकार के पास एक अभ्यावेदन आया था कि साहबगंज और मुंगेर के बीच की स्टीमर सर्विस संगठित रूप से चलाई जाये; तथा

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) नहीं, श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

गंगा-ब्रह्मपुत्र जल यातायात मण्डल

*१०३७. **श्री० के० सी० सोधिया** : (क) क्या **यातायात** मंत्री गंगा-ब्रह्मपुत्र जल यातायात मण्डल का वर्तमान निर्याण तथा यह बताने की कृपा करेंगे कि यह कब स्थापित किया गया था ?

(ख) इस मण्डल ने अब तक कितनी प्रगति की है ?

(ग) इसका वर्तमान कार्यक्रम क्या है ?

(घ) इस पर आरम्भ किये जाने से अब तक का व्यय क्या है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन): (क) बाधित सूचना देने वाला एक विवरण सदन पटल पर रखा है । [**देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ७५**] .

(ख) तथा (ग). मण्डल के तात्कालिक कार्यक्रम का प्रमुख मद ऊपरी गंगा तथा घाघरा में छिछली माल ढोने वाली तथा छोटे-छोटे अन्य नावों को खींचने वाली शक्तिशाली नावें चलाने के लिये एक अग्रतर परियोजना बनाना है । २६ अक्तूबर १९५३ को हुई इसकी अन्तिम सभा में मण्डल ने परियोजना को चलाने के लिये आवश्यक कुछ प्रारम्भिक प्रबन्धों की सहमति दे दी है ।

(घ) ३,३७२ रुपये ७ आ. ० पाई।

रेल के इंजन

*१०३८. **श्री नवल प्रभाकर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) भारत में कितने समय तक रेल के इंजनों के बारे में आत्म-निर्भरता प्राप्त होगी; तथा

(ख) आत्म-निर्भरता प्राप्त करने के लिए कितने इंजन आयात किये जायेंगे और कितनों का देश में निर्माण होगा ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) तथा (ख) जहां तक इंजनों की आवश्यकता में सामान्य स्थान परिवर्तन द्वारा आत्म-निर्भरता का प्रश्न है, आशा यह की जाती है कि वह लगभग १९५७-५८ तक प्राप्त हो सकेगी । देशी उत्पादन में वृद्धि करने के यथासम्भव शीघ्रातिशीघ्र प्रत्येक प्रयत्न किया जा जा रहा है, किन्तु अतिरिक्त इंजनों की पूर्ति के लिये जिसकी आवागमन में वृद्धि के कारण आवश्यकता होगी, कुछ वर्षों तक आयात करना आवश्यक होगा । फिर भी स्थिति पर समय-समय पर पुनर्विचार होता रहेगा ।

रुक्कवक (अरगाट)

*१०३९. **डा० रामा राव** : (क) क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री भारत के वे जिले बताने की कृपा करेंगे जिनमें अरगाट बोई जाती है ?

(ख) १९५२-५३ में कुल वार्षिक उत्पादन कितना था ?

(ग) भारत में अरगाट की कुल कितनी मात्रा की आवश्यकता होती है ?

(घ) भारत में होने वाली तथा आयात की गई अरगाट में अल्कावायडल की मात्रा में क्या अनुपात है ?

(ङ) भारत में जितनी मात्रा की आवश्यकता है कम से कम उतनी मात्रा में न बोने के मुख्य कारण क्या है ?

(च) क्या किसी तटकर संरक्षण की आवश्यकता है और यदि हां, तो कहां तक ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई): (क) नीलगिरि की पहाड़ियां (मद्रास)।

(ख) लगभग २,००० पाउण्ड ।

(ग) लगभग ४०,००० पाउण्ड ।

(घ) मद्रास में उत्पादन किये गये अरगाट के अल्कालवायड की मात्रा आयात किये गये अरगाट से अधिक होती है ।

(ङ) आई० सी० ए० आर० ने मद्रास सरकार सहित अरगाट के उत्पादन में वृद्धि करने के प्रश्न को लिया था किन्तु वित्तीय कठिनाइयों के कारण वे ऐसा कर सकने में समर्थ न हो सके। आई० सी० ए० आर० ने अभी हाल ही में अरगाट की उत्पत्ति आसाम में करने के लिये एक योजना स्वीकृत की है तथा पश्चिमी बंगाल की दूसरी योजना विचाराधीन है ।

(च) अभी नहीं ।

गोसदन

***१०४०. श्री वी० जी० देशपांडे :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) गो सदन योजना पर अब तक केन्द्रीय सरकार ने कितनी धन राशि खर्च की है ; तथा

(ख) अब तक कितने पशु दाखिल किये गए हैं ?

खाद्य तथा कृषि-मंत्री (श्री किदवई) : (क) योजना के प्रथम वर्ष में व्यय की गई धन-राशि १,३५,४०५० रुपये० आ० थी। चालू वर्ष के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) ९८० ।

बिहार में तार घर

***१०४१. श्री एल० एन० मिश्र :** क्या **संचरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या बिहार की सरकार ने नरपतगंज, बल्वाबाज़ार, बीरपुर (पुर्निया-सहर से), आन्ध्र, द्वार्ही, खुटानाबाज़ार, लौकाहां तथा बिहार के लौकाहां बाज़ार (दरभंगा) में तार घर खोलने के लिये गारंटी की गई धनराशि स्वीकृत कर ली है;

(ख) यदि ऐसा है, तो इनमें कब से कार्य आरम्भ किये जाने की आशा की जाती है; तथा

(ग) यदि नहीं तो प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है ?

संचरण उपमंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) नहीं ।

(ख) तथा (ग). नरपतगंज में एक तार घर बिना गारन्टी के स्वीकृत हो गया है तथा इसी वित्तीय वर्ष में इसको शीघ्र चलाने के लिए कार्यवाहियां की जा रही हैं । यदि गारन्टी की शर्तें स्वीकृत हो जाती हैं तो अन्य प्रस्तावों को भी लिया जायेगा ।

वन गवेषणा संस्था देहरादून

***१०४२. श्री रघुनाथ सिंह :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि वनगवेषणा संस्था देहरादून में एक प्लाईवुड यंत्र आ पहुंचा है ?

(ख) क्या यह सच है कि इस यंत्र से प्रति दिन छः टन का उत्पादन हो सकता है ; और यदि हां, तो गत वर्ष में कितना उत्पादन हुआ था ;

(ग) क्या यह सच है कि इस यंत्र का पूर्ण उपयोग नहीं होता है ; तथा

(घ) यदि हां, तो इस यंत्र को पूर्ण रूप से उपयोग में लाने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री बिदवई) : (क) से (घ)। जानकारी इकट्ठी की जा रही है और यथा समय सदन पटल पर रख दी जायेगी।

बारसी लाइट रेलवे

*१०४३. **श्री एच० एन० मुकर्जी :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कर्मकरों के संघ और बारसी लाइट रेल चलाने वाले समवाय के बीच इस समय लम्बित विवाद को औद्योगिक न्यायाधिकरण को निर्देश करने के लिये क्या सरकार ने कोई कार्यवाही की है ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि) : मामला विचाराधीन है और शीघ्र ही निर्णय की आशा है।

गोल्डन राक वर्कशाप कालोनी

*१०४४. **श्री वीरस्वामी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या रेल मंत्रालय ने गोल्डन राक वर्कशाप के विभिन्न संघों की ओर से कोई संयुक्त ज्ञापन अथवा पृथक् २ ज्ञापन प्राप्त किये हैं, जिन में उनके क्वार्टरों का किराया बढ़ाने का विरोध किया गया है; और

(ख) यदि ऐसी बात है, तो सरकार इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी हां।

(ख) अभ्यावेदन विचाराधीन हैं।

पोस्ट कार्डों का विक्रय

*१०४९. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या संचरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि डाक विभाग को प्रति पोस्ट कार्ड पर चार पाई की हानि होती है और अन्तर्देशीय पत्र से लाभ होता है ; तथा

(ख) १९५२-५३ में पोस्ट कार्डों तथा अन्तर्देशीय पत्रों के विक्रय से क्रमशः कितनी हानि तथा लाभ हुआ है ?

संचरण उपमंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) लगभग यही अवस्था है।

(ख) पोस्ट कार्डों से १३३ लाख रुपये की हानि का अनुमान लगाया गया है। अन्तर्देशीय पत्रों से २५३ लाख रुपये के लाभ का अनुमान लगाया गया है।

रायला रोड स्टेशन

४४२. **श्री बलवन्त सिंह मेहता :** (क) क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या ७२ अप ट्रेन जो रेलवे शताब्दी से पूर्व रायला रोड पर ठहरा करती थी अब वहां नहीं ठहरती है ?

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी, हां। १६-४-५३ से पहले ७२ डाउन (अब नंबर ३२४ डाउन) रायला रोड स्टेशन पर ठहरा करती थी। उस तिथि से इसका ठहरना बन्द हो गया था।

(ख) ७२ डाउन (अब नंबर ३२४ डाउन) १६-४-५३ से लेकर ऐक्सप्रैस गाड़ी में बदल दी गई थी। इस गाड़ी को तेज़ करने के लिये कुछ महत्वहीन ठहरावों को समाप्त कर देना पड़ा, जिन में रायला रोड का स्टेशन भी सम्मिलित है।

केन्द्रीय गवेषणा संस्था, कसौली

४४३. **डा० सत्यवादी :** क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी :

(क) केन्द्रीय गवेषणा संस्था, कसौली में विभिन्न श्रेणियों के स्थायी तथा अस्थायी कमचारियों की संख्या क्या है ;

(ख) प्रत्येक श्रेणी में हरिजनों की क्या संख्या है ;

(ग) १९५३ में रखे गये कर्मचारियों की वर्गानुसार संख्या क्या है और उनमें से हरिजन कितने हैं, तथा

(घ) चतुर्थ श्रेणी के हरिजन कर्मचारियों में से भंगियों तथा अन्य कर्मचारियों की क्रमशः कितनी संख्या है ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर): (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है और यथा समय सदन पटल पर रख दी जाएगी।

दिल्ली बम्बई जनता ऐक्सप्रेस

४४४. **श्री यू० एम० त्रिवेदी :** (क) क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५२ में बम्बई केन्द्रीय और दिल्ली के बीच जनता एक्सप्रेस कितने मील चलती थी ?

(ख) क्या सरकार को इस बात का पता है कि इसके बन्द होने के एक सप्ताह पूर्व इस पर यात्री यातायात तिगुना हो गया था ?

(ग) इसे बन्द क्यों किया गया था ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) १-१०-५१ से १४-५-५२ (दोनों दिन मिला कर)।

(ख) जी, नहीं ; क्योंकि इसके बन्द होने के पूर्व सप्ताह में जनता ऐक्सप्रेस के यात्री यातायात के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) पर्याप्त यातायात न होने के कारण जनता ऐक्सप्रस १५-५-५२ से बन्द कर दी गई थी, जिसका १० से १२ फरवरी १९५२ तक तीन दिनों के आंकड़ों से पता चलता है।

त्रिपुरा में अस्पताल

४४५. **श्री दशरथ देव :** क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह तथ्य है कि त्रिपुरा की सरकार ने एक इनडोर अस्पताल स्थापित करने के लिये खोवाई—विभागीय मुख्यालयों के समीप खोवाई-कल्याणपुर सड़क के समीप एक भूमि-भाग की अधियाचना की थी ;

(ख) क्या यह तथ्य है कि सरकार ने अब वहां इनडोर अस्पताल बनाने की योजना त्याग दी है ;

(ग) यदि ऐसी बात है, तो किन कारणों से सरकार ने इस योजना को छोड़ दिया है ;

(घ) क्या सरकार ने खोवाई नगर के लोगों से अभ्यावेदन प्राप्त किये हैं, जिन में सरकार से इसके पिछले निर्णय को कार्यान्वित करने की मांग की गई है ; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार का इस मामले में क्या निर्णय है ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर) : (क) से (ङ)। अपेक्षित जानकारी त्रिपुरा के मुख्याआयुक्त से मंगवाई गई है और यथा समय सदन पटल पर रख दी जाएगी।

बिहार सर्किल में कर्मचारियों का कल्याण

४४६. **श्री एस० एन० दास :** क्या संचरण मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या पिछले तीन वर्षों में बिहार सर्किल में कर्मचारी-कल्याण योजनाओं के संगठन के मामले में कुछ प्रगति की गई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या; और

(ग) प्रत्येक श्रेणी के कर्मचारियों की क्या प्रतिशत संख्या है, जिन्हें अभी तक क्वार्टर दिये गये हैं ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी, हां।

(ख) तथा (ग) . अपेक्षित जानकारी देने वाला विवरण पत्र सदन पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ७६.]**

गहरे समुद्र में मछली पकड़ना

४४७. श्री वी० पी० नायर : (क) क्या **तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के व्यवसाय को विकसित करने के निमित्त आवश्यक आंकड़े एकत्रित करने की क्या कार की कोई योजना है ?

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार सदन पटल पर ऐसी योजना का संक्षेप रखेगी ?

(ग) इस समय केन्द्रीय सरकार के अधीन कितने वैज्ञानिक तथा शिल्पिक इस प्रकार के आंकड़े एकत्र करने का कार्य कर रहे हैं ?

(घ) समुद्र का ऐसा कितना क्षेत्र है, जिसके सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार के पास इस समय गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के पूर्ण आंकड़े उपलब्ध हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) जी, हां ।

(ख) योजना का संक्षिप्त लेखा सदन पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ७७.]**

(ग) गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के स्टेशन बम्बई के जहाजों पर काम करने वाले ४ वैज्ञानिक, ३९ मछली पकड़ने वाले शिल्पिक तथा पोतिक, इन आंकड़ों को इकट्ठे करने तथा विश्लेषण करने के कार्य में सहायता दे रहे हैं।

(घ) कार्य १९४८ में प्रारम्भ किया गया था, और परिमाप किये जाने वाले विशाल क्षेत्र का विचार करते हुए, इसे प्रारंभिक अवस्था में ही समझा जा सकता है । अब तक एकत्रित आंकड़ों के विश्लेषण के द्वारा ओखा और बम्बई की बन्दरगाहों के बीच अरब सागर के विभाग का सुस्पष्ट चित्र खिंच गया है, तथा काठियावाड़ तट के पश्चिम के समृद्ध मछली पकड़ने के क्षेत्रों का अस्तित्व स्थापित हो चुका है ।

कुछ सामुद्रिक राज्यों (बम्बई, मद्रास और बंगाल) द्वारा किये गये पिछली परिमाप और पश्चिमी बंगाल द्वारा किये गये आधुनिक परिमाप द्वारा कन्या कुमारी के दक्षिण तटों के मछली पकड़ने के तटों, पाक की खाड़ी के उत्तर, मंगलौर के पश्चिम तथा महानदी के मुहाने के मछली पकड़ने के तटों सम्बन्धी कुछ आंकड़ों का पता लगा है।

मत्स्यपालन

४४८. श्री वी० पी० नायर : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री प्रथम पंच वर्षीय योजना के अध्याय २३ के "अन्तर्देशीय मत्स्य-पालन" के पद ७ की ओर निर्देश करने और यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने यूरोपीय ताज़े पानी की मछलियों को पालने का प्रशिक्षण पाने के लिये किसी अनु-सन्धान-छात्र को ब्राजील या इन्डोनेशिया में भेजा है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : अब तक नहीं ।

मछली

४४९. श्री वी० पी० नायर : (क) क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री योजना आयोग की रिपोर्ट के मत्स्य प्रालन सम्बन्धी अध्याय

२३ के पद ४ के भाग (ङ) की ओर निर्देश करने और यह बताने की कृपा करेंगे कि यह अनुमान करने के क्या आधार हैं, कि नदियों के ऊपर बंधों और पुलों के कारण ताज़े पानी का मत्स्य पालन घटिया हो गया है ?

(ख) ताज़े पानी की मछली की कितनी वाणिज्यिक विभिन्नताएं हैं, जो प्रयागत मत्स्य पालन के क्षेत्रों में प्रव्रजन करती हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) यह अनुमान सामान्य पर्यवेक्षण पर आधारित है। प्रदेश में जल सम्बन्धी अवस्थाओं में परिवर्तन होने के कारण मछलियों के कम होने तथा मछलियों के प्रव्रजन पर प्रतिबन्ध होने के कारण, जसा कि कावेरी में हिल्सा, कृष्णा और गोदावरी नदियों के मामले में।

(ख) हिल्सा, माहसेर और कार्पस (अल्प प्रव्रजन)।

उत्तर रेलवे पर भोजन के ठेकेदार

४५०. **श्री डी० सी० शर्मा** : (क) क्या रेल मंत्री यह बतान की कृपा करेंगे कि क्या उत्तर रेलवे के प्लेटफार्मों पर स्थित आमिष भोजी और निरामिष भोजी होटलों के लिये किसी ठेके दार के विरुद्ध शिकायतें आई हैं ?

(ख) यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) १९५२-५३ में उत्तर-रेल पर आमिष भोजी तथा निरामिष भोजी मनोरंजन गृहों के ठेकेदारों के विरुद्ध ३० शिकायतें आई थीं।

(ख) निम्न प्रकार की कार्यवाइयां की गई हैं :

(१) ठेका तोड़ दिया गया—१ मामला

(२) ठेकेदार को दण्ड दिया गया—९ मामले

(३) ठेकेदार को चेतावनी दी गई—११ मामले

(४) ठेकेदार के कर्मचारियों को सेवा से हटाया गया—४ मामले

(५) शिकायत जो ठीक नहीं थी अथवा वापस ली गई—५ मामले

जोड़ ३० मामले

कोयले के मैदानों में औद्योगिक विवाद

४५१. **श्री के० पी० सिन्हा** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) चालू वर्ष में न्यायनिर्णयन के निमित्त औद्योगिक न्यायाधिकरणों को निर्देशित किये गये कोयले के मैदानों के औद्योगिक विवादों की संख्या ; तथा

(ख) इन विवादों द्वारा प्रभावित मज़दूरों की संख्या ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि) : (क) चार।

(ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है और यथा समय सदन पटर पर रख दी जाएगी।

अभ्रक की खानों में काम करने वाली मजदूरनियां

४५२. **श्री नानादास** : (क) क्या श्रम मंत्री अभ्रक की खानों में काम करने वाली उन मज़दूरनियों की संख्या बताने की कृपा करेंगे जिन को सन् १९५०, १९५१, १९५२ तथा १९५३ म नैल्लोर अभ्रक कल्याण निधि के प्राधिकारियों द्वारा गर्भवती प्रमाणित किया गया था ?

(ख) इन में से कितनी गर्भवती स्त्रियों को प्रसूति सहायता भत्ता दिया गया ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि) : (क) और (ख). एक विवरण नीचे दिया जाता है ।

विवरण

वर्ष	अभ्रक खान श्रमिक कल्याण निधि संगठन नैलोर द्वारा चलाये गये विभिन्न प्रसूति केन्द्रों में पंजीबद्ध किये गये मामलों कुल संख्या	उन स्त्रियों की संख्या जिन को अभ्रक खान मालिकों द्वारा, प्रसूति की सहायता भत्ता दिया गया
१९५०	३६९	१३
१९५१	४३९	३२
१९५२	४३३	६३
१९५३ (३१-१०-५३ तक)	५३३	५८

टिप्पणी : प्रसूति केन्द्रों में पंजीबद्ध किये गये कुछ मामले श्रमिकों के तथा खान क्षेत्र में रहने वाले उन अन्य व्यक्तियों के परिवार वालों के हैं जो श्रमिक नहीं हैं । ऐसे मामलों की संख्या ज्ञात नहीं है । प्रमाणीकरण की कोई सामान्य पद्धति नहीं है और दिये गये आंकड़े उन गर्भवती स्त्रियों के हैं जिन्होंने प्रसूति केन्द्रों में अपने नाम पंजीबद्ध कराए ।

इंडोनीशियन रेडक्रास संस्था

४५३. **श्री बुच्चिकोटैय्या** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि इण्डोनीशियन रैडक्रास संस्था से खाद्य पदार्थों की कुछ मात्रा खाद्य की कमी वाले क्षेत्रों में वितरित किये जाने के लिये प्राप्त हुई थी ; तथा

(ख) यदि हां, तो वह मात्रा कितनी थी तथा कब प्राप्त हुई थी ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) और (ख) . भारत सरकार को इण्डोनीशियन रैडक्रास संस्था से कोई खाद्य उपहार प्राप्त नहीं हुए हैं, परन्तु भारतीय रैडक्रास संस्था को उस से सितम्बर १९५३ में ५६७ बोरे मकई, २०० बोरे हरी मटर तथा ११० बोरे छिली मूंगफलियां प्राप्त हुई थीं ।

मुजफ्फरपुर में कार्यालयों का हटाया जाना

४५४. **श्री सिंहासन सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) मुज़फ्फरपुर के आर० टी० एस० तथा आर० एम० ई० कार्यालय आर्थर बटलर भवन में कब हटाये गये ; तथा

(ख) क्या यह सच है कि सरकार पहले भवन का किराया उसे खाली कर देने के पश्चात् भी ६ मास तक नये भवन के किराये के साथ-साथ ६५० रुपये प्रति मास की दर से देती रही ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) आर० टी० एस० तथा आर० एम० ई० कार्यालयों का एक भाग २७ फरवरी १९५३ को हटाया गया था ।

(ख) जी नहीं । आर्थर बटलर भवन ५-१२-५२ को लिया गया । पहला भवन ३१ मई, १९५३ से पूर्व छोड़ना संभव नहीं हो सका, क्योंकि आर० टी० एस० तथा आर० एम० ई० कार्यालयों की कई शाखाओं के लिये, जिनको नवीन भवन में स्थान नहीं दिया जा सका था तथा जिनको बाद में कुछ अन्य कार्यालयों को समस्तीपुर भेज कर अपेक्षित स्थान दिया गया था, इस की आवश्यकता थी । पहिले भवन का केवल ३१-५-५३ तक का ही किराया दिया गया ।

विस्थापित सड़क यातायात संचालकों को क्षति पूर्ति

४५५. **सरदार हुक्म सिंह :**
श्री भीखा भाई :

क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या भारत सरकार सन् १९५० में संसद् में सड़क यातायात निगम विधेयक पर चर्चा होते समय दिये गये अपने आश्वासन के परिणामस्वरूप मोटर गाड़ी अधिनियम, १९३९ को संशोधित करने की प्रस्थापना करती है ;

(ख) क्या सरकार ने विस्थापित संचालकों को क्षतिपूर्त्ति दिये जाने के प्रश्न की, जैसा कि सड़क यातायात निगम के विधेयक के समबन्ध में नियुक्त की गई प्रवर समिति ने सिफारिश की थी, जांच की है ; तथा

(ग) यदि हां, तो क्या कोई निर्णय किया गया है तथा क्या उन विस्थापित संचालकों को क्षतिपूर्त्ति देने के सम्बन्ध में कोई नीति निश्चित की गई है जिनके अनुमति पत्र, उन के मार्ग सड़क यातायात निगम को सौंप दिये जाने के हेतु, मोटर गाड़ी अधिनियम १९३९ के अन्तर्गत नवीकृत न किये जा सकें।,

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) और (ख) जी हां।

(ग) यह मामला अभी विचाराधीन है।

सड़क यातायात

४५६. **श्री बहादुर सिंह :**
सरदार हुक्म सिंह :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) उड़ीसा राज्य में रेलवे की ओर से सड़क यातायात उपक्रमों में, जिन को चार सूची व्यवस्था के अनुसार चलाया जा रहा है, कितना कुल विनियोजन किया गया है ;

(ख) उक्त पूंजी पर रेलवेज़ को सन् १९५०-५१, १९५१-५२ तथा १९५२-५३ में कितना लाभ हानि हुई है ; तथा

(ग) क्या सरकार का इन उपक्रमों में कुछ और विनियोजन करने का विचार है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) उड़ीसा सड़क यातायात कम्पनी, लिमिटेड में केन्द्रीय सरकार द्वारा विनियोजित धन राशि ३ लाख रुपये है।

(ख) कम्पनी ने १ जनवरी, १९५१ से कार्य करना प्रारम्भ किया था। ३१ मार्च, १९५२ को समाप्त होने वाली १५ महीने की अवधि के लिए रेलवे को १२,६१० रुपये ११ आने का लाभांश, जो कि लगाई गई पूंजी का ५ १/२ प्रतिशत है, दिया गया।

उक्त कम्पनी ने सन् १९५२-५३ में ३,५११ रुपये १४ आने ४ पाई का कुल लाभ अर्जित किया। कम्पनी के संचालक बोर्ड ने कोई भी लाभांश न दिये जाने की सिफारिश की ताकि इस लाभ को कम्पनी की निधियों के सुस्थिरीकरण के लिये काम में लाया जा सके।

(ग) उड़ीसा सड़क यातायात कम्पनी में और विनियोजन करने का प्रश्न विचाराधीन है।

चराई शुल्क

४५७. **श्री संगण्णा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार को विदित है कि रेल के ठेकेदार उड़ीसा में पूर्वी रेल जोन के रेल लाइन के पास वाले गांवों से चराई शुल्क वसूल करते हैं ;

(ख) यदि उपरोक्त भाग (ख) का उत्तर स्वीकारात्मक हो, तो क्या ठेकेदारों को ऐसा करने की अनुज्ञप्ति प्राप्त है ; तथा

(ग) यदि हां, तो उन के द्वारा सरकार को दिये गये वार्षिक अनुज्ञप्ति शुल्क की राशि क्या है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) और (ख) . जी नहीं। केवल घास काटने के अधिकार सार्वजनिक नीलाम के द्वारा बाहर वालों को बेचे जाते हैं परन्तु खरीदार को दर-पट्टे पर उठाने की अनुमति नहीं है । अभी तक दर-पट्टे के किसी मामले की सूचना प्राप्त नहीं हुई है ।

(ग) घास काटने के अधिकार प्रति वर्ष सार्वजनिक नीलाम के द्वारा बेचे जाते हैं, अतः खरीदारों द्वारा वार्षिक अनुज्ञप्ति शुल्क के दिये जाने का प्रश्न नहीं उठता है ।

विल्लुपुरम के निकट रेल दुर्घटना

४५८. **श्री मुनिस्वामी** : (क) क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि ७ नवम्बर, १९५३ को दक्षिण रेलवे पर विल्लुपुरम तथा काटपाडि रेलवे जंकशनों के बीच गाड़ी के पटरी से उतर जाने की दुर्घटना हुई थी ?

(ख) यदि हां, तो पटरी से उतर जाने के क्या कारण थे ?

(ग) कुल अनुमानित हानि कितनी थी ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) ६ नवम्बर, १९५३ को, ७ नवम्बर, १९५३ को नहीं जैसा कि प्रश्न में कहा गया है, कोई १६.१६ बजे जब कि २१२१ डाउन माल गाड़ी काटपाडि-विल्लुपुरम सैक्शन के वेलानन्दल तथा तण्डरै स्टेशनों के बीच जा रही थी तो उक्त गाड़ी के १८ माल डब्बे पटरी से उतर कर तिरछे हो गये थे।

(ख) रेलवे के जिला अधिकारियों द्वारा की गई अन्तः विभागीय जांच, जो १३ तथा १४ नवम्बर, १९५३ को की गई थी, अभी पूरी नहीं हुई है और दुर्घटना का कारण उसके पूर्ण हो जाने पर ज्ञात होगा ।

(ग) डब्बों तथा स्थायी रेल पथ को पहुंची हानि की अनुमति लागत ९,५०० रुपये थी ।

हैदराबाद में सड़क यातायात सेवाएं

४५९. **श्री टी० बी० विट्ठल राव** : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हैदराबाद राज्य के सड़क यातायात सेवाओं में लगाने के लिये इस वर्ष के आयव्ययक में २२ लाख रुपयों का जो उपबन्ध किया गया था वह क्या अब खर्च कर दिया गया है ; और

(ख) यदि नहीं तो क्यों नहीं ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी नहीं ।

(ख) हैदराबाद सरकार ने भारत सरकार को सूचित किया है कि उन्होंने सड़क यातायात निगम बनाने का विचार छोड़ दिया है ।

भूतपूर्व मैसूर राज्य रेल के पदाधिकारियों का निलम्बन

४६०. **श्री टी० बी० विट्ठल राव** : क्या रेल मंत्री १७ नवम्बर १९५३ की पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या ३३ के उत्तर का निर्देश कर यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भूतपूर्व मैसूर राज्य रेल के उन दो अधिकारियों के विषय में क्या कोई निश्चय हुआ है जो रियायती पासों और धान्य दुकानों की सुविधाओं का दुर्पयोग करने के आरोप पर निलम्बित किये गये हैं ;

(ख) वे किस तारीख को निलम्बित किये गये थे ;

(ग) क्या उन्हें कोई निर्वास भत्ता दिया जा रहा है ; यदि हां तो कितना ; और

(घ) उन मामलों में निश्चय करने में देरी होने के कारण ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी, एक अधिकारी के मामले में ।

(ख) २८-५-१९५३ और ८-४-१९५२

(ग) जी १७५ रुपये और १५० रुपये ।

(घ) पदाधिकारियों ने ही आरोपों का उत्तर देने में २ से ले कर ५ महीने लिये ।

खड़गपुर में वर्ग ४ कर्मचारियों की भर्ती

४६१. **श्री संगण्णा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५०, १९५१, १९५२ और १९५३ में वे एन्ड वर्क्स खड़गपुर के अधीक्षक ने कितने वर्ग ४ कर्मचारियों को नियुक्त किया ; तथा

(ख) इन वर्षों में प्रत्येक वर्ष प्रत्येक श्रेणी में कितने अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति के अभ्यर्थी नियुक्त किये गये ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) बिल्कुल नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

खड़गपुर वर्कशाप में शिक्षु

४६२. **श्री संगण्णा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५०, १९५१, १९५२ और १९५३ में खड़गपुर वर्कशाप में कितने (ख) वर्ग के शिशुक्षु भर्ती किये गये थे ;

(ख) इन वर्षों में प्रत्येक वर्ष में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति के कितने अभ्यर्थी भर्ती किये गये ; तथा

(ग) क्या इन जातियों के अभ्यर्थियों का अलग से चुनाव हुआ था ?

(क) तथा (ख) . भर्ती किये गय शिशुक्षु :—

वर्ष	कुल	अनुसूचित जाति	अनुसूचित आदिम जाति
१९५०			कोई भर्ती नहीं
१९५१	९८	३	,,
१९५२	७८	६	२
१९५३	८९	११	५

(ग) जी नहीं ।

बन्दरगाह

४६३. **श्री मुनिस्वामी** : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि किन आधारों पर कोई बन्दरगाह छोटा या बड़ा बन्दरगाह घोषित किया जाता है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : बन्दरगाह को छोटा या बड़ा घोषित करने के आधार निश्चित नहीं हैं । पर इनमें जो भेद होते हैं वे साधारणतया सब कोई समझते हैं । बड़े बन्दरगाह सुरक्षित होते हैं वहां पर अच्छी एप्रोच चैनल्स होती हैं, अच्छे मार्गस्थ शेड होते हैं, रेल का अच्छा सम्बन्ध होता है । उस बन्दरगाह द्वारा काफी बड़े हिस्से का व्यापार आदि हो सकता है । उसमें काफी यातायात होता है तथा वर्ष भर जहाज आ जा सकते हैं । छोटे बन्दरगाहों में ऐसी सुविधाएं नहीं होतीं । बड़े बन्दरगाहों का उत्तरदायित्व केन्द्रीय सरकार पर होता है परन्तु छोटे बन्दरगाह राज्य सरकारों के अधीन होते हैं ।

रेल इंजन

४६४. **श्री बेलीराम दास** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५२-५३ में मीटरगेज के कितने रेल इंजन खरीदे गये थे तथा १९५३-५४ में कितने खरीदे जायेंगे ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : मीटरगेज के रेल इंजनों के आर्डर निम्न प्रकार से दिये गये :

१९५२-५३	७०
१९५३-५४	२५०

अग्नि कांड

४६५. श्री वल्लथारास : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय रेलों में १९५२ और १९५३ में कितने अग्नि कांड हुए ;

(ख) भविष्य में अग्नि कांड न हों इसके लिये क्या सावधानी की गई है ; और

(ग) १९५२ और १९५३ में भारतीय रेलों की दुर्घटनाओं में कितने लोगों की मृत्यु हुई तथा कितने व्यक्ति घायल हुये ।

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) १९५२ और १९५३ में अब तक दो भीषण दुर्घटनाएं हुई हैं । भीषण दुर्घटना से तात्पर्य उन दुर्घटनाओं से है जिन में आग से यात्री गाड़ियों को हानि हुई हो । लोगों की मृत्यु हुई हो वे घायल हुए हों अथवा रेल सम्पत्ति को २०,००० रुपये या इससे अधिक की हानि हुई हो ।

यात्रा करने वालों को निम्न बातों के परिणाम बतला कर सुरक्षा स्थापित की जा रही है :

(१) यात्रियों के बैठने के डब्बों में पैट्रोल या सिनेमा फिल्में जैसी जल्द जल उठने वाली चीजें साथ रखने का परिणाम, तथा

(२) माचिस की जली हुई तीलियां । या जली हुई सिगरेट या बिड़ी के टुकड़ों को डब्बे में फेंकने के परिणाम ।

सूचना के लिये अंग्रेजी । प्रदेशी भाषाओं में लिखे हुए नोटिसों को तथा पोस्टरों को गाड़ी के डब्बों तथा महत्वपूर्ण स्टेशनों के मुख्य स्थानों में टांगा गया है । समाचार पत्रों तथा रेलवे टाइमटेबुलों द्वारा भी प्रचार किया गया है ।

खासकर उच्च वर्ग के डब्बों में वेस्टीबूल्स तथा कोचेज़ में न जलने वाला पदार्थ लगाया गया है ।

उच्च वर्ग के डब्बों में ऐशट्रे रखे गये हैं ।

रेल कारों के बनाने में भभक उठने वाले पदार्थों का प्रयोग घटा दिया गया है अथवा बन्द कर दिया गया है ।

कुछ प्रकार के मल्टीपुल युनिट स्टाकों के छप्पर का आकार सुधार दिया गया है जिस से कि बिजली के तारों की खराबी से आग लगने में बचाव हो सके ।

कर्मचारियों को आदेश दिया गया है कि वे सामान के डब्बे के पास पार्सल उतारते रखते समय बिड़ी सिगरेट न पिएं ।

आग बुझाने वाले यंत्र पर्याप्त संख्या में गाड़ियों में रख दिये गये हैं तथा उनको ठीक हालत में रखने का प्रबन्ध किया गया है । इस तरह की अन्य और बातें की गई हैं ।

(ख) जो व्यक्ति दुर्घटनाओं में मरे अथवा घायल हुए और जिनका निर्देश भाग (क) के उत्तर में किया गया है उनकी संख्या निम्न प्रकार है :

	मरे	घायल हुए
१९५२	१	१५
१९५३ (अब तक)	५	१६

केन्द्रीय सरकार कर्मचारी संघ

४६६. श्री वल्लाथरास : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कितने केन्द्रीय सरकार कर्मचारी संघों को श्रम संघों का दर्जा दिया गया है ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि) : मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य उन केन्द्रीय

सरकार कर्मचारी संघों के बारे में सूचना चाहते हैं जिन्हें सरकार ने मान्यता प्रदान की है। यह सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथा समय सदन पटल पर रख दी जायगी।

रेल टिकट निरीक्षक

४६७. **श्री गणपति राम** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर रेलवे में कितने टिकट कलेक्टर तथा कितने टिकिट निरीक्षक हैं; तथा

(ख) उन में अनुसूचित जाति के कितने टिकिट कलेक्टर, यात्री टिकिट निरीक्षक तथा गार्ड हैं ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) :

(क)	टिकिट कलेक्टर	११८७
	यात्री टिकिट निरीक्षक	६५४
(ख)	टिकिट कलेक्टर	२३
	यात्री टिकिट निरीक्षक	११
	गार्ड	१५

अखिल भारत कृषि प्रतियोगिता पारितोषिक

४६८. **श्री विभूति मिश्र** : (क) क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अखिल-भारत कृषि प्रतियोगिता पारितोषिक तथा कृषि पंडित के प्रमाणपत्र किस आधार पर दिये जाते हैं ?

(ख) क्या यह पारितोषिक तथा कृषि पंडित का प्रमाणपत्र सारी फसलों के प्रतियोगी कृषकों को दिये जाते हैं या कि कुछ विशेष फसलों के विषय में ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई): (क) अखिल भारत कृषि प्रतियोगिता पारितोषिक तथा कृषि पंडित के प्रमाणपत्र उन व्यक्तियों को दिये जातें हैं जो कई निश्चित फसलों का प्रति एकड़ अधिकतम उत्पादन करें।

(ख) पारितोषिक तथा प्रमाणपत्र केवल छः फसलों के विषय में दिये जाते हैं, नामशः (१) धान, (२) गेहूं, (३) आलू, (४) चना, (५) ज्वार तथा (६) बाजरा।

हिन्दी में लिखे गये पते वाले पत्र

४६९. **श्री वी० मुनिस्वामी** : क्या **संचरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह बात सरकार के ध्यान में आई है कि मद्रास नगर में वह पत्र जिन पर पता नागरी लिपि में लिखा हो लापता पत्र-कार्यालय में भेजे जाते हैं ;

(ख) क्या सरकार ने इन कठिनाइयों को दूर करने के लिये कोई कार्यवाही की है; तथा

(ग) सरकार का इस मामल में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) ऐसे कुछ एक मामल सरकार के ध्यान में आये हैं।

(ख) जी हां।

(ग) ऐसी डाक की वस्तुएं लापता पत्र कार्यालय में भेजे जाने तथा इस प्रकार होने वाले विलम्ब को रोकने के लिये हिन्दी जानने वाले कर्मचारियों वाले ऐसे केन्द्र खोले गये हैं जहां नागरी में लिखे गये पते अन्य लिपियों में लिखे जाते हैं।

चीनी

४७०. **श्री बादशाह गुप्त** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५३ में अब तक किन किन देशों से कितने कितने मूल्य की चीनी आयात की गई है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : अब तक भारत आयात किये जाने के लिये क्रम किये गये २.५ लाख टन चीनी का मूल्य,

आयात शुल्क तथा पत्तन से जहाज़ छुड़ाने के सब प्रभार सहित, १७.१७ करोड़ रुपये बनता है।

इंजन

४७२. **श्री मेठालाल जोशी**: (क) क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनवरी से सितम्बर, १९५३ तक चित्तरंजन इंजन कारखाने में भारी माल ले जाने वाली माल गाड़ियों के कितने इंजनों का निर्माण हुआ है ?

(ख) इन में से कितने प्रयोग में लाये गये हैं ?

(ग) प्रति इंजन की औसत लागत तथा गति कितनी है ?

तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगशन): (क) ३८ इंजन।

(ख) २१ इंजन।

(ग) यह मालगाड़ी इंजन सामान्यत: ३० से ४५ मील प्रति घंटे की गति से चलते हैं।

प्रति इंजन औसत लागत ५·३५ लाख रुपये मानी जाती है। इस में विकास सम्बन्धी व्यय सम्मिलित नहीं जो कि सैकड़ों इंजनों पर एक साथ होता है।

पंजाब के नौकरी दफ्तर

४७३. **डा० सत्यवादी**: क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) गत वर्ष में पंजाब के नौकरी दफ्तरों में कितने व्यक्ति रजिस्टर हुये और उन में से हरिजन कितने थे ;

(ख) कितनों को नौकरी दिलाई गई और उन में हरिजन कितने थे ; तथा

(ग) इन कार्यालयों में कितने कुल कर्मचारी हैं और उन में भंगियों को छोड़, कितने हरिजन कर्मचारी हैं ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि): (क) तथा (ख) . एक विवरण सदन-पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ७८]**

(ग) कर्मचारियों की कुल संख्या २०९ है। हरिजनों की संख्या इस समय प्राप्त नहीं।

डाक तथा तार कर्मचारियों की वेतन श्रेणी

४७४. **श्री टी० बी० विट्ठल राव**: क्या संचरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या भूतपूर्व राज्यों के डाक तथा तार कर्मचारियों को पहली अप्रैल, १९५० से केन्द्रीय वेतन श्रेणी दी जाने के सम्बन्ध में कोई विनिश्चय किया गया है ;

(ख) यदि नहीं, तो विनिश्चय की जाने की कब तक सम्भावना है ; तथा

(ग) क्या सरकार जानती है कि किये गये करारों के अन्तर्गत भूतपूर्व राज्यों के कर्मचारियों को वित्तीय एकीकरण की तारीख से केन्द्रीय वेतन श्रेणी देने के बारे में सरकार वचन-बद्ध है ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर): (क) सरकार ने जो अपना विनिश्चय २१ मार्च, १९५० को जारी किये गये प्रेस-नोट में घोषित किया था वह अभी प्रभावी है। प्रेस-नोट की प्रतिलिपि संलग्न है। **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ७९]**

(ख) इस विषय में कुछ अभ्यावेदन सरकार को प्राप्त हुये हैं और उनका परीक्षण किया जा रहा है।

(ग) नहीं। राज्य सरकारों के साथ किये गये करार के अन्तर्गत सरकार की जो जिम्मेवारी है वह इस प्रकार है :

"पूर्ण रूप से अथवा मुख्यत: संघ विषयों सम्बन्धी काम पर लगाये गये स्थायी कर्मचारियों को विहित तारीख को केन्द्र द्वारा समुचित वेतन-श्रेणियों में तथा ऐसे निबन्धनों

पर जो राज्य सरकारों की नौकरी के निबन्धनों की अपेक्षा कम सुविधाजनक न होंगे लिया जाना चाहिये । इसी काम पर लगाये गये अस्थायी कर्मचारियों को इसी रूप से , उनकी उपयोगिता का उचित ध्यान रखते हुये, जहां तक सम्भव हो नौकरी में लिया जायेगा ।"

सहायक मेडिकल आफिसर

४७५. **श्री एम० एल० अग्रवाल :** (क) क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि रेलवे में सहायक मेडिकल आफिसर के पदों के लिये कैसे तथा किस के द्वारा चुनाव किया जाता है ?

(ख) उत्तरी तथा पूर्वी रेलवे के लिये सहायक मेडिकल आफिसरों का पिछला चुनाव कब हुआ था ?

(ग) उक्त दोनों क्षेत्रों में पृथक् पृथक् कितने उम्मीदवार इंटरव्यू के लिये बुलाये गये थे ?

(घ) दोनों क्षेत्रों में क्रमशः कितने कितने चुने गये थे ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) नियमानुकूल रूप से स्थापित किये गये चुनाव बोर्डों द्वारा, जिन्होंने उन सब ऐसे व्यक्तियों के बारे में जांच की जिनको गोपनीय रिपोर्टों तथा अन्य संलग्न बातों के आधार पर पदोन्नति के लिये योग्य समझा गया । बोर्डों ने फिर अपनी तजवीजें सिफारिशों के रूप में महा-व्यवस्थापक को भेजीं।

(ख) क्रमशः ३-८-५३ तथा १७-२-५३ को।

(ग) क्रमशः २३ तथा २१ ।

(घ) क्रमशः ५ तथा ६ ।

कृषकों को उधार

४७६. **श्री गौडिलिंगन गौड़ :** (क) क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि "अधिक अन्न उपजाओ" योजना के अन्तर्गत कृषकों को ट्रेक्टर अथवा अन्य कृषि-उपकरण खरीदने के लिये उधार देने के निमित्त वर्ष १९५३-५४ में मद्रास राज्य को कितनी राशि उधार दी गई ?

(ख) राज्य ने कितनी राशि ली और कृषकों को उधार के रूप में दी ?

(ग) क्या कृषकों को उधार देने के सम्बन्ध में कुछ शर्तें रखी जाती हैं ; यदि रखी जाती हैं तो क्या ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) नहीं, श्रीमान् ।

(ख) तथा (ग). प्रश्न नहीं उठते।

त्रिपुरा में नई सड़कें

४७७. **श्री दशरथ देव :** क्या **यातायात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या त्रिपुरा में कैलासहर तथ कुमारघाट और कैलासहर तथा फटिकराय के बीच नई सड़कें बनाने का सरकार का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो इन पर कितना व्यय होने का अनुमान है ; तथा

(ग) क्या अब तक प्रारम्भिक कार्य आरम्भ कर लिया गया है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) तथा (ग) . हां, श्रीमान् ।

(ख) लगभग ८·२३ लाख रुपये ।

रेल के पुलों के नीचे जमी हुई मट्टी

४७८. **श्री एच० एस० प्रसाद :**
श्री विश्वनाथ राय : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस बात

की ओर दिलाया गया है कि रेल के पुलों के नीचे खंभों के चारों ओर नदियों के रुक जाने से, विशेषकर उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों में, बाढ़ रूपी कष्ट बढ़ गया है ; तथा

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार रेल के पुलों के नीचे जमी हुई मिट्टी को साफ कराने का विचार कर रही है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) अब तक सरकार के पास ऐसी किसी बात की रिपोर्ट नहीं आई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

देहाती डाक घर

४७९. श्री रघुनाथ सिंह : क्या संचरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) २,००० या उस से अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों में खोले गये देहाती डाक घरों में से कितने घाटे पर चल रहे हैं ; तथा

(ख) १९५२-५३ में इनसे कितनी हानि हुई है ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) १०,८२४ ।

(ख) प्रश्न के भाग (क) में जिस श्रेणी के डाक घरों का निर्देश किया गया है, उनके बारे में हुई हानि के पृथक आंकड़े प्राप्य नहीं। सारे प्रयोगात्मक डाक घरों पर १९५२-५३ में कुल १७,५८,००० रुपये से कुछ अधिक हानि हुई है।

बुधवार,
१६ दिसंबर, १९५३

संसदीय वाद विवाद

1st

लोक सभा

पांचवा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

भाग २—प्रश्न और उत्तर से पृथक् कार्यवाही

लोक सभा

बुधवार, १६ दिसम्बर, १९५३

सदन की बैठक डेढ़ बजे समवेत हुई

[उपाध्यक्ष महोदय अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

प्रश्न और उत्तर

(देखिये भाग १)

२-३० म० प०

अनुपस्थिति की अनुमति

उपाध्यक्ष महोदय : श्री भारत लाल तुडू ने ज्वरग्रस्त होने के कारण इस सारे सत्र से अनुपस्थित रहने की अनुमति मांगी है।

अनुमति दे दी गई।

समितियों के लिए निर्वाचन

१. केन्द्रीय रेशम बोर्ड

२. विज्ञान की भारतीय संस्था की परिषद्

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे सदन को सूचित करना है कि केन्द्रीय रेशम बोर्ड और भारतीय विज्ञान की भारतीय संस्था की परिषद् में कार्य करने के लिये क्रमशः श्री एन० राघय्या और श्री जी० आर० दामोदरन ये सदस्य निर्वाचित किये गये हैं।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

रिजर्व बैंक आफ इंडिया और राज्य सरकारों के मध्य करार।

वित्त उपमंत्री (श्री एम० सी० शाह) : मैं भारत के रक्षित (रिजर्व) बैंक अधिनियम, १९३४ की धारा २१ की उपधारा ४ और धारा २१क की उपधारा २ के अधीन निम्न-लिखित पत्रों की एक एक प्रति पटल पर रखता हूं :—

(१) भारत के रक्षित बैंक और भाग 'क' राज्यों की सरकारों (मद्रास और आंध्र को छोड़कर) के मध्य हुए १ अप्रैल, १९५३ से लागू मुख्य तथा अनुसहायक करारों के संशोधन।

(२) भारत के रक्षित बैंक और भाग 'क' राज्यों की सरकारों (मद्रास और आंध्र को छोड़ कर) के मध्य हुए मुख्य और अनु-सहायक करार जैसे कि वे अब संशोधित रूप में हैं।

(३) भारत के रक्षित बैंक और मध्य-भारत और त्रावणकोर कोचीन की सरकारों के मध्य हुए सहायक करारों के संशोधन जो कि १ अप्रैल, १९५३ से लागू हुए हैं।

(४) भारत के रक्षित बैंक और मध्य-भारत और त्रावणकोर-कोचीन की सरकारों के मध्य हुए सहायक करार जैसे कि अब वे संशोधित रूप में हैं। **[पुस्तकालय में रख दी गई। देखिये संख्या एस—२१०/५३]**

१९५३-५४ के अनुदानों की अनुपूरक मांगों के सम्बन्ध में विवरण—(पेप्सू)

श्री एम० सी० शाह : मैं १९५३–५४ के लिये पटियाला और पूर्वी पंजाब राज्य संघ के व्यय के अनुदानों की अनुपूरक मांगों को बताने वाला विवरण प्रस्तुत करता हूं। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एस—२११/५३]**

१९५३-५४ के लिये व्यय का अनुपूरक विवरण

श्री एम० सी० शाह : मैं १९५३–५४ के लिये केन्द्रीय सरकार (रेलों को छोड़कर) के व्यय का अनुपूरक विवरण प्रस्तुत करता हूं। **[पुस्कतालय में रख दिया गया। देखिये संख्या एस—२१२/५३]**

विशेष विवाह विधेयक—जारी

उपाध्यक्ष महोदय : अब विशेष विवाह विधेयक सम्बन्धी प्रस्ताव।

डा० लंका सुन्दरम् (विशाखापटनम्) : श्रीमान् मैं आप की अनुमति से माननीय सदस्यों का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि कार्यावलि में लिखे गये कार्यक्रम में बार बार किस तरह परिवर्तन किया जाता है। श्रीमान् आपको मालूम होगा कि विगत ४८ घण्टों में तीन बार इस में परिवर्तन कर दिया गया है। ठीक है इन परिवर्तनों के कारण माननीय सदस्य वाद-विवाद में पूरी तरह से भाग नहीं ले सकेंगे। श्रीमान्, मैं आप से निवेदन करता हूं कि कम से कम भविष्य में इस तरह परिवर्तन न किये जायें।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती (बसीरहाट) : मूल संकल्प मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के रोक लेने के बावजूद फिर परिचालित कर दिया गया है। स्वाभाविक है कि इस समय तक किसी संशोधन रखने का समय नहीं था। अतः मैं जानना चाहती हूं कि इस के सम्बन्ध में क्या प्रक्रिया है; हमारे संशोधनों को रखने की अनुमति मिलने की संभावना है अथवा उन्हें रोक दिया जायेगा।

प्रधान मंत्री तथा सदन के नेता (श्री जवाहरलाल नेहरू) : जहां तक प्रस्तुत संकल्प का सम्बन्ध है यह मामला आज तक के लिये स्थगित कर दिया गया था। इसे रोकने, बदलने अथवा उस में परिवर्तन करने का कोई प्रश्न नहीं है। यह विचार के लिये फिर रखा गया है। दुर्भाग्यवश पिछले दो दिनों से मैं यहां नहीं था और मैं परिवर्तनों से भलीभांति परिचित नहीं हूं। स्पष्ट है कि कुछ मामलों में सदन में हुई कतिपय बातों के परिणामस्वरूप परिवर्तन आवश्यक हो गये। उदाहरण के लिये यह विशिष्ट मामला, विशेष विवाह विधेयक के सम्बन्ध में प्रस्तुत संशोधन स्थगित कर कुछ और लेना पड़ा। इस के बाद गृह-मंत्री के नाम से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त के प्रतिवेदन पर विचारार्थ एक संकल्प था। सदन के सदस्यों की इच्छा के अनुसार उसे दो दिन के लिये पुनः स्थगित कर दिया गया। सरकार की इच्छा उसे कदापि स्थगित करने की नहीं थी। सदन के अधिकांश सदस्य, विशेष रूप से अनुसूचित जातियों से सम्बन्धित सदस्य इसे स्थगित करना चाहते थे। सरकार ने इस विषय में उन की बात मान ली। इस का परिणाम स्वाभाविक था; कार्यावलि के दूसरे विषय लेने पड़े। अतः वस्तुतः कुछ अंश तक सरकार परिस्थितियों से विवश हो गई है। उनका इरादा पहले अथवा दूसरे किसी विषय को स्थगित करने का नहीं था। श्रीमान, यह निश्चित है कि पहले के विषय स्थगित कर देने पर दूसरे विषय चर्चा के लिये आते ही हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : पुराने संकल्प में कोई परिवर्तन नहीं है। यह विषय केवल स्थगित किया गया था, वह वापस नहीं लिया गया था। जब तक सरकार संशोधन स्वीकार

करने के लिये सहमत न हो, मैं सूचना के बिना उन्हें पेश करने की अनुमति नहीं देना चाहता।

श्री के० के० बसु (डायमण्ड हार्बर) : मैं यह जानना चाहता हूं कि न्यूनतम वेतन विधेयक पर कब चर्चा होगी ?

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : हमारा खयाल था कि सरकार हम से परामर्श करेगी। किन्तु अब वही बात फिर आगई है जिसे पहले स्थगित कर दिया गया था। मेरा विचार है कि आप के लिये और सरकार के लिये यही उचित है कि हमारे संशोधनों को रखने की स्वीकृति दी जाये ताकि वे सदन के सामने आयें तथा उन पर विचार किया जा सके।

शिक्षा व प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्री (मौलाना आज़ाद) : जनाब मैं ने उस दिन जो तहरीक की थी वो सिर्फ यह थी कि इस वक्त यह मामला मुल्तवी किया जाय और १६ तारीख को पेश हो। अगर आनरेबिल लेडी मेम्बर ने कुछ और नक्शा अपने सामने रखा हो तो उस की जिम्मेदारी मुझ पर नहीं डाली जा सकती।

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम इस विषय पर चर्चा आरम्भ करेंगे। क्या माननीय मंत्री कुछ निवेदन करना चाहते हैं ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) खड़े हुए—

श्री एस० एस० मोरे (शोलापुर) : श्रीमान्, क्या हम किसी औचित्य प्रश्न पर विचार कर रहे हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री ने कोई वक्तृता नहीं दी थी। यदि वह चाहें तो कुछ कह सकते हैं चूंकि यह विषय स्थगित कर दिया गया था।

एक माननीय सदस्य : श्रीमान्, माननीय विधि मंत्री यहां नहीं हैं।

श्री जवाहरलाल नेहरू : श्रीमान्, विधि मंत्री द्वितीय सदन में हैं। वह यहां नहीं आ सकते हैं क्योंकि राज्य परिषद् में एक विधेयक का भार उन पर है और वस्तुतः वही उस के जन्मदाता हैं। उन्हों ने अपने साथी गृह मंत्री को इस का कार्य भार सौंप दिया है। वह आज शायद यहां आ भी जायें।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या माननीय मंत्री जी अब कुछ कहना चाहते हैं ?

डा० लंका सुन्दरम् : श्रीमान्, मैं एक औचित्य प्रश्न रखना चाहता हूं।

डा० काटजू : जो भी माननीय मित्र वाद विवाद के बीच में हस्तक्षेप करना चाहें वे ऐसा कर सकते हैं।

श्री पी० एन० राजभोज (शोलापुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : श्रीमान्, पहले शेडयूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स रिपोर्ट पर डिस्कशन होने वाला था, लेकिन यह नहीं हुआ, हालांकि आज के लिये प्रामिज किया था। इस के बाद आपने मि० चैटर्जी को खड़ा कर दिया है। मैं हर वक्त खड़ा होता हूं। लेकिन आप मेरी बात नहीं सुनते। मैं चाहता हूं कि चूंकि आज नेहरू जी भी बैठे हुए हैं इस को ले लिया जाय और इस पर बहस हो।

उपाध्यक्ष महोदय : कार्यावलि के क्रमानुसार ही कार्य किया जायगा। यदि उस में कोई आपत्ति हो तो कार्यक्रम परामर्श समिति के पास भेजना चाहिये। हम कार्यावलि के अनुसार चलेंगे।

श्री पी० एन० राजभोज : यह कैसे होता है मैं यह पूछना चाहता हूं। मुझे बोलने का डिप्टी स्पीकर महोदय, समय मिलना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय : अभी नहीं मिल सकता।

श्री पी० एन० राजभोज : इस के लिये पूरा एक दिन मिलना चाहिये, यह टाइम आप को नहीं लेना चाहिये । मुझे इस का जवाब मिलना चाहिये ।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री एन० सी० चटर्जी ।

श्री एन० सी० चटर्जी (हुगली) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन को स्मरण करा दूं कि मैं विधि मंत्री द्वारा रखे गये प्रस्ताव की वैधता की चर्चा कर रहा था । यदि आप कार्यावलि को देखें तो प्रस्ताव प्रकट रूप से अत्यन्त निर्दोष मालूम होता है । किन्तु दुर्भाग्य-वश राज्य परिषद् द्वारा पारित पूर्ण संकल्प सदस्यों के सामने नहीं रखा गया है । इस संकल्प में लिखा है कि विशेष विवाह के उपबन्ध के विधेयक को संयुक्त समिति को सौंपा जाय, जिस में दोनों सदनों के ४५ सदस्य रहेंगे । आगे चल कर इस में कहा गया है कि संयुक्त समिति में राज्य परिषद् द्वारा १५ सदस्य मनोनीत किये जायेंगे और ३० सदस्य लोक-सभा की ओर से मनोनीत किये जाने चाहियें । संकल्प में कहा गया है कि संयुक्त समिति के पूरे सदस्यों की संख्या का एक तिहाई गणपूर्त्ति होगा । आगामी खण्ड अत्यन्त आपत्तिजनक और नियम विरुद्ध है कि 'अन्य सभी मामलों में राज्य परिषद् के प्रवर समिति सम्बन्धी प्रक्रिया नियम, सभापति द्वारा निर्णीत हेरफेर और संशोधन के साथ, लागू होंगे' । इस का अर्थ यह है कि उस सदन के प्रक्रिया नियम नहीं किन्तु दूसरे सदन द्वारा बनाये गये प्रक्रिया नियम लागू होंगे । इतना ही नहीं किन्तु दूसरे सदन के सभापति को उन में हेरफेर, परिवर्तन और संशोधन करने का पूर्ण अधिकार रहेगा ? यह उचित नहीं है । यह इस सदन के प्रति अशिष्टता है ।

राज्य परिषद् के नियमों के नियम ६० के अधीन प्रवर समिति के सभापति की नियक्ति परिषद् के सभापति द्वारा उक्त समिति के सदस्यों में से की जायगी । यह हमारे नियमों के विरुद्ध है । उस के पूर्व जब संयुक्त समिति बनाई गई थी तब हमारे सदन के अध्यक्ष महोदय ने सभापति की नियुक्ति की थी । यह उचित नहीं है । हमारे अध्यक्ष महोदय से यह शक्ति ली जा रही है । अनेक मामलों में विवाद हो सकते हैं और उन के विषय में निर्णय करने के लिये किसी व्यक्ति का होना आवश्यक है । हमारे नियमों के अनुसार इस कार्य के एकमात्र अधिकारी अध्यक्ष ही हैं । इसीलिये अध्यक्ष को एक विशेष स्थान दिया गया है और मेरा विचार है कि प्रस्तुत प्रस्ताव को बिना किसी संशोधन के स्वीकार करने का अभिप्राय सदन और उस के अध्यक्ष की स्थिति को हास्यास्पद बनाना होगा ।

हमारे प्रक्रिया नियमों के ७४ वें नियम में कहा गया है कि जब कभी भी सदन में विधेयक का पुरःस्थापन किया जाता है तब उसे सदन की प्रवर समिति को अथवा दोनों सदनों की संयुक्त समिति को सौंपने के हेतु प्रस्ताव रखा जा सकता है । यहां न कोई विधेयक है, न उस का पुरःस्थापन किया गया है, न उस पर विचार ही किया गया है । इस आशय की चर्चा के लिये कोई अवसर नहीं दिया गया है कि पुरःस्थापन की अनुमति दी जाये अथवा नहीं । एक विचित्र प्रक्रिया के अनुसार हम से संयुक्त समिति की स्वीकृति देने के लिये कहा गया है । यह ७४ वें नियम की स्पष्ट अवहेलना है । ये नियम संविधान के अधीन प्राप्त शक्तियों के अन्तर्गत बनाये गये हैं और संविधान के अनुच्छेदों के अधीन वे कानूनी शक्ति से युक्त हैं । ये नियम प्रत्येक सदस्य की शक्तियों और विशेषाधिकारों की सुरक्षा के लिये बनाये गये हैं । इतनी आसानी से उन का परित्याग नहीं कर देना चाहिये । विधेयक सदन के समक्ष नहीं है, वह कार्यावलि में नहीं है; उस का पुरःस्थापन नहीं किया गया है अतः उस के सिद्धान्त पर चर्चा करने

का अवसर नहीं है। और आप दूसरे सदन की संयुक्त समिति के लिये कतिपय सदस्यों को भेज रहे हैं। क्या इस का यह अर्थ है कि हम विधेयक का सिद्धान्त मानने के लिये विवश हैं। मैं जानबूझकर विधेयक के गुण अथवा अवगुणों के प्रश्न पर विचार नहीं कर रहा हूं। हमें गुणों के प्रश्न को प्रक्रिया के प्रश्न के साथ नहीं मिलाना चाहिये। 'मे' की पुस्तक संसदीय प्रथा के नवीनतम संस्करण के अनुसार लार्ड-सभा द्वारा संयुक्त समिति बनाने की स्थिति में किन्हीं सदस्यों को मनोनीत करने की पद्धति नहीं है। सर्वप्रथम लार्ड सभा दूसरे सदन को इस आशय की सूचना भेजती है कि उन का इरादा संयुक्त समिति बनाने का है और इसके लिये उन्हें उस की (दूसरे सदन की) सहमति चाहिये। यदि 'हाउस आफ कामन्स' इस विषय में एकमत हों तो वे उस आशय की सूचना लार्ड सभा के पास भेजते हैं और फिर लार्ड सभा उन से प्रार्थना करती है कि लार्ड सभा द्वारा नियुक्त संयुक्त समिति के लिये वे ('हाउस आफ कामन्स') सदस्यों की नियुक्ति कर दें।

श्रीमान्, मैं ने आप से कहा था कि यदि इंगलैंड में लार्ड सभा सदस्यों की सूची नियुक्त कर उन के नाम प्रेषित कर दे तो यह 'हाउस आफ कामन्स' के प्रति अशिष्टता समझी जायेगी।

'मे' महोदय की पुस्तक 'पार्लियामेन्टरी प्रेक्टिस' का उल्लेख करना ठीक नहीं होगा क्यों कि इंग्लैण्ड में हमारे नियम ७४ जैसा कोई नियम नहीं है। इंग्लैण्ड में यह उपबन्ध है कि संयुक्त समिति की प्रक्रिया के लिये लार्ड सभा की समिति की प्रक्रिया का अनुसरण किया जाये, किन्तु हमारे यहां यह प्रथा नहीं है। जब हमारे संविधान में जानबूझकर लोक सभा को उच्च स्थिति दी गयी है, जब हमारे अध्यक्ष को ऐसी विशेष शक्तियां और विशेषाधिकार दिये गये हैं जो इंग्लैण्ड की लोक सभा के अध्यक्ष को नहीं दिये गये तो हम इंग्लैण्ड की प्रक्रिया और प्रथा का अंधानुसरण क्यों करें ?

इस के बाद यदि हम माननीय श्री बिश्वास के प्रस्ताव को स्वीकार कर लें तो हमें इस की यह शर्त भी माननी पड़ेगी कि संयुक्त समिति का प्रतिवेदन राज्य परिषद् को भेजा जाये। इंग्लैण्ड में यह दोनों सदनों को भेजा जाता है। मैं समझता हूं कि अच्छा यही होता कि सदन के नेता नियम समिति के समक्ष सारी स्थिति रखते, उन के साथ बैठ कर इस विषय में विचार विनिमय करते, नियम बनाते और उन्हें दोनों सदनों से पारित करवाते। उस समय इस प्रकार की समिति बन सकती थी, किन्तु इस समय यह बिलकुल अनियमित और असंवैधानिक है। हमारा संविधान आस्ट्रेलिया के संविधान से भिन्न है। आस्ट्रेलिया के संविधान में हमारे अनुच्छेद १०८ जैसा कोई उपबन्ध नहीं है। अनुच्छेद १०८ में स्पष्ट लिखा है कि संयुक्त बैठक में अध्यक्ष सभापति होगा। हमें इस नियम का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। अतः मेरी सदन के नेता से यह प्रार्थना है कि सरकार को इस प्रकार के अनियमित प्रस्तावों की पुनरावृत्ति नहीं होने देनी चाहिए। अविलम्ब संयुक्त समितियों के सम्बन्ध में नियम बनाये जाने चाहिएं और उन्हें सदन से मंजूर करवाना चाहिए। विधेयक इसी सदन के समक्ष पुरःस्थापित होना चाहिए और इसी सदन को प्रतिवेदन पर चर्चा करने का अधिकार होना चाहिए। इस में स्थिति इस के विपरीत है। मेरा यह निवेदन है कि यह बिलकुल अनियमित है और हमारे नियमों और संविधान की भावना के विरुद्ध है।

उपाध्यक्ष महोदय : इस सम्बन्ध में डा० लंका सुन्दरम् ने एक औचित्य प्रश्न उठाया था। हम उस पर काफ़ी चर्चा कर कर चुके हैं। अतः उस औचित्य प्रश्न को

[उपाध्यक्ष महोदय]

निबटाने के पश्चात सदन इस बात पर विचार कर सकता है कि प्रस्ताव के सम्बन्ध में और क्या किया जाये । जहां तक इस औचित्य प्रश्न का सम्बन्ध है क्या हम इस प्रस्ताव पर सम्पूर्ण रूप से विचार कर रहे हैं ?

डा० लंका सुन्दरम् : यदि आप पिछली कार्यवाही को देखें तो आप को ज्ञात होगा कि माननीय अध्यक्ष महोदय ने यह निर्णय दिया था कि मेरा प्रस्ताव माननीय विधि मंत्री के प्रस्ताव के स्थान पर रखा जाने के लिये प्रस्तुत किया गया है और उन्हों ने प्रक्रिया सम्बन्धी और संवैधानिक आधार पर इस पर चर्चा करने की अनुमति दी थी । हम औचित्य प्रश्न पर चर्चा नहीं कर रहे हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : जहां तक समिति नियुक्त करने के विषय में सदन की अर्हता का सम्बन्ध है और इस के गुणावगुण का सम्बन्ध है, इन पर बाद में चर्चा होगी । इस विषय में मैं प्रत्येक माननीय सदस्य को दस दस मिनट दूंगा ।

श्री एस० एस० मोरे : मेरा यह निवेदन है कि प्रभारी विधि मंत्री ने इस संकल्प को प्रस्तुत कर के और राज्य परिषद् ने इस संकल्प को पारित कर के भयंकर भूल की है और राष्ट्रपति के अधिकारों पर हस्तक्षेप किया है । संविधान के अनुच्छेद १०८ के अनुसार इस बात का निश्चय राष्ट्रपति कर सकता है कि दोनों सदनों की संयुक्त समिति की बैठक कब और किन परिस्थितियों में हो सकती है । इस प्रकार की संयुक्त बैठक के लिये आवश्यक नियम बनाने का एकमात्र अधिकार भी राष्ट्रपति को है ।

उपाध्यक्ष महोदय : यह सदनों की संयुक्त बैठक तो नहीं है ।

श्री एस० एस० मोरे : अनुच्छेद ११८ के अन्तर्गत प्रत्येक सदन को अपनी प्रक्रिया के नियम स्वयं बनाने का अधिकार है । जब दोनों सदनों में किसी प्रकार का विवाद हो तो उस का निर्णय करने का अधिकार राष्ट्रपति को है । अतः इस विषय में अनुच्छेद ११८ ही निर्णायक अनुच्छेद है और हमें इस विवाद को राष्ट्रपति को सौंपना चाहिए । वह वास्तव में सदन के अध्यक्ष की सलाह लेंगे और दूसरे सदन के सभापति से भी परामर्श करेंगे और हमारे लिए एक उपयुक्त विधि निकालेंगे । हमें इंग्लैण्ड के दृष्टान्तों का अनुसरण नहीं करना चाहिये, क्योंकि वहां की प्रथायें वहां की राष्ट्रीय परम्पराओं को ध्यान में रख कर बनाई गई हैं । अतः मेरा यह कथन है कि यह विषय इस सदन और उस सदन दोनों के क्षेत्राधिकार से बाहर है और यह एकमात्र राष्ट्रपति के परमाधिकार का विषय है जैसा कि अनुच्छेद ११८ (३) में दिया हुआ है ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : मैं यह निवेदन करना चाहती हूं कि यह संवैधानिक संकट बड़े महत्वपूर्ण विधेयक के सम्बन्ध में उत्पन्न हुआ है । इस में सन्देह नहीं कि इस में कुछ संवैधानिक कठिनाइयां हैं । किन्तु सदन के नेता या उपनेता ने अन्य दलों की बैठक बुला कर इन्हें हल करने का प्रयत्न ही नहीं किया । अतः मैं समझती हूं कि यह सारी कठिनाई सदन के बहु संख्यक दल के रुख के कारण हुई है । बहुसंख्यक दल को संयुक्त प्रवर समितियों की प्रक्रिया के नियम बनाने चाहियें ताकि वैधानिक व्यवस्था ठीक प्रकार से चलती रहे । हम चाहते हैं कि इस प्रकार के प्रगतिशाली विधेयक को रोका न जाये, किन्तु इस के लिये कोई बीच का रास्ता निकाल कर ऐसे नियम बनाये जायें जिन के अनुसार दोनों सदनों के सदस्यों की संयुक्त प्रवर समिति कार्य कर सके । जब संसद् के दो सदन हैं तो हमें एक दूसरे से सहयोग करना चाहिये ।

क्योंकि प्रक्रिया के नियमों में कुछ कमी है अतः केवल इस के लिये हमारा समझौते के रूप में यह सुझाव है कि इस संयुक्त समिति को राज्य परिषद् के सभापति और इस सदन के अध्यक्ष द्वारा मिल कर बनाये गये नियमों का अनुसरण करना चाहिये.....

डा० लंका सुन्दरम् : नहीं ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : आप ने अपनी बात कह ली है, अब मेरी भी सुन लीजिये ।

अतः मेरा यह भी सुझाव है कि इस संयुक्त समिति का प्रधान पदाधिकारी सभापति और अध्यक्ष की सहमति से बनना चाहिये । क्यों कि वे दोनों एक ही दल के हैं अतः वे परस्पर सहमत हो सकते हैं और ये नियम बना सकते हैं। इसी प्रकार यह समस्या हल हो सकती है।

श्री यू० एम० त्रिवदी (चित्तौड़) : श्रीमान्, मैं सूचना के हेतु पूछना चाहता हूं कि क्या इस प्रस्ताव का यह अभिप्राय है कि हम इस विधेयक के सम्बन्ध में कुछ न कहें ?

उपाध्यक्ष महोदय : विशेष विवाह विधेयक के गुणावगुण के सम्बन्ध में ?

श्री यू० एम० त्रिवेदी : जी हां ।

उपाध्यक्ष महोदय : हम पहिले प्रक्रिया पर विचार कर रहे हैं ।

श्री जवाहरलाल नेहरू : उपाध्यक्ष जी, विरोधी पक्ष की माननीय सदस्या ने जो निरर्थक उत्साह दिखाया है मैं उस की प्रशंसा करता हूं । वे प्रायः किसी गलत उद्देश्य के लिये जो उत्साह और जोश प्रदर्शित करती हैं वह सराहनीय है ।

मैं ने इस बात को समझने का बहुत प्रयत्न किया है कि मैं ने या मेरे सहयोगी ने इस विषय में कहां गलती की है । माननीया सदस्या ने भयंकर संवैधानिक संकट और न जाने क्या क्या होने का उल्लेख किया है । क्या हुआ है ? मैं कहता हूं कि यह जो संकल्प प्रस्तुत किया गया है वह सीधा-सादा, तर्कसंगत और बिल्कुल ठीक है । (अन्तर्बाधा) । हमारे पास विधि के सम्बन्ध में हमारे थोड़े से ज्ञान के अतिरिक्त वैधानिक सलाह भी है । मैं निस्सन्देह वकीलों की सूक्ष्मताओं को तो नहीं बतला सकता । परन्तु मेरा सदन से यह निवेदन है कि यदि वे इस विषय पर शान्त बुद्धि से विचार करें तो वे देखेंगे कि इस में विरोधी पक्ष के सदस्यों या किसी अन्य की उपेक्षा करने या उस से सलाह न लेने की कोई इच्छा नहीं है । परन्तु मुझे यह नहीं सूझा कि इस विषय में कुछ सन्देह है । हो सकता है मैं गलत हूं, हो सकता है मेरा दृष्टिकोण सीमित हो या मैं ने यह न सोचा हो । परन्तु हमें यह सूझा ही नहीं कि इस विषय में जरा भी सन्देह हो सकता है । और इसलिये हम ने यह सीधा-सा संकल्प रख दिया ।

इस में जरा भी सन्देह नहीं है कि हमारे नियमों, संविधान इत्यादि में संयुक्त प्रवर समिति की व्यवस्था है ।

कुछ माननीय सदस्य : नहीं है ।

उपाध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । संयुक्त प्रवर समिति का उल्लेख है ।

श्री जवाहरलाल नेहरू : सभी जगह उल्लेख है । मेरा यह तात्पर्य नहीं है कि किसी सदन पर कोई संयुक्त समिति थोपी जा सकती है । निस्सन्देह ऐसी बात नहीं है । परन्तु संयुक्त प्रवर समिति के लिये उपबन्ध है । अतः किसी भी ऐसे निर्वचन को ठीक नहीं कहा जा सकता जिस में इस उपबन्ध को समाप्त कर दिया जाये ।

विधेयक इस सदन में अथवा दूसरे सदन में पुरःस्थापित किया जा सकता है । और यदि कोई संयुक्त प्रवर समिति बनानी होती है, तो उस के लिये उसी सदन में कार्यवाही की

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

जा सकती है, जिस में वह विधेयक पुर:स्थापित किया जाये। दूसरा सदन चाहे तो उस से सहमत हो अथवा न हो। यह बात तो स्पष्ट है। किन्तु जिस सदन में विधेयक पुर:स्थापित होता है उस के पास वह विधेयक होता है; दूसरे सदन के पास वह विधेयक नहीं होता; केवल इतना ही होता है कि वह दूसरा सदन उस संयुक्त प्रवर समिति में अपने सदस्यों को भेजने के लिये तैयार हो या न हो।

मैं इस विषय की गहराइयों में नहीं जा रहा हूं। मैं दूसरे सदस्यों का समय नहीं छीनना चाहता। मेरे सहयोगी वित्त मंत्री अथवा गृह-मंत्री इस के सम्बन्ध में विस्तार-पूर्वक कहेंगे। मैं बीच में केवल इसलिये बोला हूं क्यों कि इस सम्बन्ध में नियमों को बनाने आदि के विषय में बहुत कुछ कहा जा रहा है। नियम अवश्य बनाइये, किन्तु माननीय सदस्यों को यह बात जान लेनी चाहिये कि कुछ नियम पहले ही से बने हुए हैं, और प्रवर समितियों के सम्बन्ध में राज्य परिषद तथा इस सदन के नियम वस्तुत: एक ही से हैं।

श्री एस० एस० मोरे : किन्तु संयुक्त प्रवर समितियों के सम्बन्ध में नहीं।

श्री जवाहरलाल नेहरू : संयुक्त प्रवर समितियों के सम्बन्ध में कोई नियम नहीं है। परन्तु एक संयुक्त प्रवर समिति भी प्रवर समिति ही है। "संयुक्त" शब्द के जुड़ जाने से वह प्रवर समिति से भिन्न वस्तु नहीं हो जाती। और सब बातें तो बिलकुल साफ हैं और नियम भी हैं। इस विषय में एकमात्र प्रश्न यह उठ सकता है कि ऐसी समिति का सभापति कौन हो।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : इस सम्बन्ध में नियम नहीं है।

श्री जवाहरलाल नेहरू : प्रवर समितियों के लिये नियम हैं। वे नियम एक से ही हैं। यदि कोई संयुक्त प्रवर समिति बनती है, तो उस के सम्बन्ध में एकमात्र प्रश्न यही उठ सकता है, कि उस का सभापति कौन हो।

श्री एस० एस० मोरे : सदन के नेता का कहना है कि इस सम्बन्ध में नियम हैं। मान लीजिये कि संयुक्त प्रवर समिति में राज्य परिषद् के पन्द्रह और इस सदन के तीस सदस्य हैं, तो फिर 'कोरम' (गणपूर्ति) का क्या होगा? क्या प्रत्येक दल के लिये अलग 'कोरम' होगा?

उपाध्यक्ष महोदय : यह सब कहा जा चुका है। प्रधान मंत्री को बोलने दीजिये।

श्री जवाहरलाल नेहरू : श्रीमान्, स्पष्टत: वह एक अकेली समिति के रूप में कार्य करती है, न कि अलग अलग 'कोरम' के साथ मिलने वाले दो दलों के रूप में। इस सम्बन्ध में बहुत विस्तृत नियम बना लीजिये, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। माननीय सदस्यों ने इस मामले पर गौर नहीं किया है और वे श्री चटर्जी जैसे योग्य वकील के मिथ्या तर्क से बहक गये हैं। मैं कह सकता हूं कि उन्हों ने एक ऐसी बात की बहस की है जिस में, मुझे विश्वास है, कि विश्वास करने की कोई चीज़ ही नहीं है। किन्तु वह एक योग्य वकील हैं और अपने पक्ष को योग्यतापूर्वक प्रस्तुत कर सकते हैं। मेरा निवेदन है कि संविधान तथा नियमों के आधीन स्पष्टत: एक संयुक्त प्रवर समिति बन सकती है। इस सम्बन्ध में प्रारम्भिक कार्यवाही केवल वही सदन कर सकता है जिस में विधेयक पुर:स्थापित किया गया हो। स्पष्ट है कि दूसरा सदन ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि इस सम्बन्ध में कार्यवाही आरम्भ करने के लिये उस के सामने कुछ भी नहीं होता। वह सदन, चाहे वह कोई सा भी

हो, इस मामले में पहल करता है और कहता है, "हम चाहते हैं कि एक संयुक्त प्रवर समिति बनाई जाये ।" तब वह सदन दूसरे सदन के पास जाता है और कहता है, 'हमें बहुत प्रसन्नता होगी, यदि आप कृपा कर के प्रवर समिति में सम्मिलित हो सकें' । दूसरा सदन इस बात के लिये सहमत हो या न हो । किन्तु जिस सदन से यह चीज आरम्भ होती है, उस के पास विधेयक होता है । दूसरे सदन को तब तक विधेयक प्राप्त नहीं होता जब तक कि वह पहले सदन में पारित होने के उपरान्त अन्त में उस के पास आ नहीं जाता । चूंकि दूसरे सदन के पास विधेयक नहीं होता, अतः यह सारा तर्क निरर्थक है ।

स्पष्ट है कि संयुक्त प्रवर समिति के न तो दो पिता और न दो माताएं ही हो सकती हैं । उस का एक ही सदन से सम्बन्ध होना चाहिये । दूसरे सदन के सदस्यों को पूर्णरूपेण सहायता एवं सहयोग देने के लिये आमंत्रित किया जाता है । वास्तव में उसे न केवल सहयोग देने के लिए आमंत्रित किया जाता है बल्कि अधिक संख्या में होने के कारण अपना प्रभुत्व प्रदर्शित करने के लिये कहा जाता है । यह एक भिन्न विषय है । अतः तब तक कोई संयुक्त प्रवर समिति नहीं बनाई जा सकती जब तक कि वह उस सदन के प्रति, उत्तरदायी न हो जिस के पास विधेयक है, क्योंकि दूसरे सदन के पास विधेयक तब तक नहीं आता जब तक कि वह अंतिम रूप में पहले सदन के पास से उसे प्राप्त नहीं होता । यह एक सुभीता की बात है । समय बचाने के उद्देश्य से दोनों सदन एक साथ विचार कर सकते हैं और दोनों सदनों के बहुत से चुने हुए लोगों के मतों के आधार पर सर्वोत्तम निर्णय किया जा सकता है ।

अतः मैं फिर से यह कहता हूं कि हमारे संविधान के अधीन एक संयुक्त प्रवर समिति बनाई जा सकती है । इस में किसी प्रकार का सन्देह नहीं है । दूसरी बात यह है कि जिस सदन में विधेयक पुरःस्थापित किया जाता है, वह दूसरे सदन से उस समिति में भाग लेने की प्रार्थना करता है । यह दूसरे सदन की इच्छा पर है कि वह उस में भाग ले या न ले । कोई भी किसी सदन को भाग लेने के लिये बाध्य नहीं कर सकता । किन्तु यदि वह भाग लेता है, तो वह सदस्यों को भेज कर ऐसा करता है, फिर भी इस बात को मानते हुए कि दूसरे सदन के पास विधेयक है । वह उस विधेयक के सामन्य सिद्धान्तों को बिना स्वीकार किये हुए उस समिति में भाग लेता है, क्योंकि उस सदन में उस विधेयक पर चर्चा नहीं हुई है । आप यह कैसे कह सकते हैं कि बिना उस पर चर्चा किये हुए उन्हों ने उसे स्वीकार कर लिया है ? यह एक सर्वथा उचित तर्क है । अतः जब एक संयुक्त प्रवर समिति में आप किसी विधेयक पर विचार करते हैं, तो उस का प्रतिवेदन उस सदन के पास जाना चाहिये, जिस के पास विधेयक हो । समिति दूसरे सदन को प्रतिवेदन नहीं भेजती ।

श्री एस० एस० मोरे : यह बात आप किस आधार पर कहते हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : यह प्रस्ताव है ।

श्री जवाहरलाल नेहरू : मेरे कथन का आधार सामान्य बुद्धि है । वह समिति अपना प्रतिवेदन केवल उसी सदन को भेज सकती है, जहां उस विधेयक पर चर्चा हो रही हो । वह उस प्रतिवेदन को उस सदन के पास नहीं भेज सकती जिस में विधेयक की प्रारम्भिक अवस्थाओं पर ही विचार नहीं हुआ है । इस का कोई अर्थ नहीं होता ।

यद्यपि मैं समझता हूं कि इस सम्बन्ध में कोई सन्देह नहीं है, फिर भी इस मामले में एकमात्र अस्पष्ट बात यह है कि उस समिति का सभापति कौन हो ।

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

मैं यह कहना चाहता हूं कि सभापति के सम्बन्ध में दो रास्ते हो सकते हैं। एक तो यह है कि जिस सदन से यह बात आरम्भ हुई है, उस का अध्यक्ष अथवा सभापति इस समिति के सभापति की नियुक्ति करे अथवा दूसरा उपाय यह है कि स्वयं समिति सभापति का चुनाव कर ले। यह संभव है। माननीय सदस्य श्री एन० सी० चटर्जी ने इस सम्बन्ध में आस्ट्रेलिया की प्रथा का हवाला दिया है। पता नहीं उन्हों ने आस्ट्रलिया का उदाहरण क्यों दिया। मुझे आस्ट्रेलिया के संविधान का कुछ भी ज्ञान नहीं है, और न उस से कोई प्रभावित हुआ है। और न हम पूर्व दृष्टान्तों के लिये आस्ट्रेलिया की ओर देखते हैं। अपने संविधान के अनुसार भी हम ब्रिटिश संसद् की प्रक्रिया का हवाला देते रहे हैं। वहां पर इस सम्बन्ध में प्रक्रिया बहुत कुछ वही है जो मैं ने कही है। अर्थात् कोई भी सदन इस कार्य को आरम्भ कर सकता है और यह दूसरे सदन की इच्छा पर निर्भर है कि वह उस म सम्मिलित होना स्वीकार करे या न करे। उस समिति में वे बराबर संख्या में सदस्यों का नाम-निर्देशन करते हैं। वहां पर संयुक्त प्रवर समिति सभापति का चुनाव करती है। ऐसी प्रक्रिया रखी जा सकती है। मेरे विचार से यह एक अजीब सी बात होगी कि एक सदन तो विधेयक पर विचार करे और दूसरे सदन का अध्यक्ष अथवा सभापति, इस प्रकार की समिति के सभापति को नियुक्त करने का तथा अनुदेश जारी करने का उत्तरदायित्व ग्रहण करे, विशेषकर जब कि उस सदन के साम ने विधेयक न हो। आप उसे बड़ी विकट परिस्थिति में रख देंगे। यह बात उचित हो सकती है कि उस सदन का अध्यक्ष या सभापति संयुक्त प्रवर समिति के सभापति की नियुक्ति के सम्बन्ध में दूसरे सदन के अध्यक्ष से परामर्श करे। मैं समझता हूं कि विरोधी पक्ष के माननीय सदस्य के संशोधन का मन्तव्य संभवतः यही था। यह सर्वथा संभव और उचित बात होगी। किन्तु उन से ऐसा करने के लिए कहना उचित नहीं होगा। एक सदन का अध्यक्ष अथवा सभापति दूसरे सदन के अध्यक्ष अथवा सभापति के परामर्श से सभापति नियुक्त करे, यह एक प्रथा का विषय है। इस में कोई हानि नहीं है। यदि यह सदन एक संयुक्त प्रवर समिति बनाना चाहता है, तो हम राज्य परिषद से अपने कुछ सदस्य भेजने की प्राथना करते हैं और यदि वह उसे स्वीकार कर लेती है, तो स्वभावतः हमारे अध्यक्ष महोदय सभापति नियुक्त करते हैं। हमारे अध्यक्ष महोदय चाहें तो उस पद के लिये वह दूसरे सदन के किसी सदस्य को नियुक्त कर सकते हैं। ऐसा एक बार हुआ है। हम दो संयुक्त प्रवर समितियां बना चुके हैं। इन दोनों ही मामलों में प्रारम्भिक कार्यवाही इस सदन ने की थी। यह पहला अवसर है जब कि दूसरा सदन इस दिशा में पहला पग उठा रहा है। कोई कारण नहीं कि वही प्रथा दूसरे सदन के सम्बन्ध में भी क्यों न लागू हो। राज्य परिषद के सभापति महोदय चाहें तो, इस सदन के अध्यक्ष के परामर्श से अथवा अन्यथा इस सदन द्वारा संयुक्त प्रवर समिति के लिए भेजे गये सदस्यों में से किसी को सभापति चुन लें। मैं इस बात से पूर्ण सहमत हूं कि दोनों सदनों के पथ प्रदर्शन के हेतु तथा मिथ्या बोध एवं झगड़ों को बचाने के लिये यह सब चीजें लिपिबद्ध हो जानी चाहियें। यह विषय अध्यक्ष तथा सभापति का है। मैं समझता हूं कि कुछ मामलों में उन्हों ने ऐसा किया है। उदाहरण के लिये संयुक्त सत्र के मामले में उन्हों ने आपस में सलाह कर के नियम बनाये हैं और राष्ट्रपति ने उन्हें जारी कर दिया है। यदि कोई सन्देह हो तो यह चीज़

आसानी से की जा सकती है। मैं सदन को यह आश्वासन देना चाहता हूं कि यह दलगत विषय नहीं है। स्पष्ट है कि इस का सम्बन्ध किसी दल से नहीं है। यह दोनों सदनों का मामला है। हम इस सम्बन्ध में किसी दलगत भावना से प्रेरित हो कर नहीं चल रहे हैं। हम इस तथा दूसरे सदन की प्रतिष्ठा को बनाये रखा चाहते हैं। दोनों सदन संसद की रचना के अंग हैं। मेरा तीव्र अनुरोध है कि हमें दोनों सदनों में घनिष्ठ सहयोग के साधन निकालने चाहियें। हमें नियमों के ऐसे अर्थ नहीं निकालने चाहियें या ऐसे नियम नहीं बनाने चाहियें जिस से किसी झगड़े के पैदा होने की संभावना हो। संविधान के उपबन्धों के अन्तर्गत प्रत्येक सदन स्वतन्त्र है। यदि दोनों में तनाव रहा तो संसद को एक सजीव संस्था के रूप में हानि पहुंचेगी।

इस कारण मेरा सानुरोध निवेदन है कि एक दूसरे के प्रति हमारा व्यवहार संविधान के अन्तर्गत मैत्रीपूर्ण होना चाहिये। इस से परे जाने का कोई प्रश्न नहीं उठता। इस विशेष अवसर पर मुझे यह कदापि नहीं सूझा कि इस निर्वचन के बारे में कोई सन्देह है। हम ने इस पर बहस की तथा हम ने अपने विधिविज्ञों से परामर्श भी किया है। उन्हों ने इसे बिल्कुल स्पष्ट मामला बतलाया तथा उस कारण हम ने एक साधारण सा संकल्प प्रस्तुत किया। यदि मैं सदन को याद दिला सकूं तो यह संकल्प लगभग वैसा ही था जैसा कि इस सदन द्वारा दो बार पारित हो चुका है। हम ने दो संयुक्त समितियां भी बनाई थीं तथा उस समय किसी व्यक्ति ने कोई आपत्ति नहीं की। अब यह संकल्प भी वैसा ही है। अन्तर केवल यह है कि यह संकल्प उधर से आया है तथा पहले के दो संकल्प लोक-सभा में पेश हुए थे। हम केवल एक निश्चित की जा चुकी प्रथा का अनुसरण कर रहे हैं। उस समय किसी ने आपत्ति नहीं की थी तथा मुझे यह देख कर आश्चर्य हुआ कि अब यहां आपत्ति की गई है। मैं केवल यह जतला रहा हूं कि मैं किसी राय की उपेक्षा नहीं करना चाहता।

परसों जब यह मामला उठा तो मेरे आने से पहले यह समाप्त हो चुका था। मुझे बतलाया गया कि संकल्प को दो दिन के लिए स्थगित रखा गया है। मेरे सहयोगी ने ऐसा कहा था। किसी ने उस समय भी यह सुझाव नहीं दिया कि संकल्प में कोई परिवर्तन या और कुछ होने वाला है।

डा० लंका सुन्दरम् : मैं सदन नेता से दो महत्वपूर्ण बातों का स्पष्टीकरण चाहता हूं।

प्रथम तो यह कि दूसरा सदन जिस नियम को अब बनाना चाहता है, उस का प्रारूप ८०-ए नियम के रूप में भेजा गया था। क्या इसे फिर नियम समिति को भेजा जायगा?

मेरी दूसरी बात यह है कि नियम बन चुकने पर ही इस प्रस्ताव को लिया जा सकता है।

श्री जवाहरलाल नेहरू : माननीय सदस्य ने राज्य परिषद की नियम समिति द्वारा इस सदन की नियम समिति को भेजे गए किन्हीं नियमों के प्रारूप का निर्देश किया है। उन्हें नियम समिति द्वारा उठाई गई एक दो बातों के अन्तर्गत स्वीकार कर लिया गया था। वास्तव में एक ही बात उठाई गई थी। शेष का अभिप्राय यह था कि यह नियम वित्तीय विधानों पर लागू नहीं होगा। एक दूसरा सवाल कोरम के बारे में था अर्थात कि अलग अलग कोरम नहीं होने चाहियें। मतभेद की केवल यही बात थी---मुझे मतभेद तो नहीं कहना चाहिये क्योंकि मामले पर विचार नहीं हुआ था। यह तो प्रस्तुत किया गया प्रारूप तथा उत्तर के प्रारूप ही के बारे में था; किसी के पास इस मामले पर और विचार के लिए समय नहीं था। वास्तव में इस समय एक ही विचार-

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

णीय बात है और वह है सभापति के सम्बन्ध में। और कोई सवाल ही नहीं है क्योंकि सामान्य प्रवर समितियों के नियम लागू होते हैं। जैसा कि मैं ने कहा है, लोक सभा तथा राज्य परिषद् के नियम लगभग एक जैसे हैं। एक जैसे नियमों के बारे में कोई विवाद नहीं हो सकता। सभापति के बारे में अवश्य सवाल बाकी है तथा इस सम्बन्ध में मुझे जो कुछ कहना था, मैं कह चुका हूं।

मैं फिर कहना चाहता हूं कि हम ने इस मामले में उसी प्रकार की प्रक्रिया को अपनाया है जिस का अनुसरण इस सदन में संयुक्त प्रवर समिति की नियुक्ति के अवसर पर किया गया था। ऐसा दो बार हो चुका है तथा एक अवसर पर, जब इस सदन ने प्रक्रिया को आरम्भ किया था, अध्यक्ष महोदय ने वस्तुतः राज्य परिषद् के एक सदस्य को जिसका नाम दूसरे सदन ने भेजा था सभापति नियुक्त किया था। अतएव हमें वास्तव में यह देख कर आश्चर्य होता है कि पहले की जा चुकी बात को फिर करने से इतनी ग़लत धारणा तथा उत्तेजना पैदा हो जैसे यह कोई नई बात है या जैसे कोई सांविधानिक संकट आ पड़ा हो।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : मेरा एक प्रश्न है। एक ओर तो उन का कहना है कि कुछ नियमों के बनाने की आवश्यकता है तथा दूसरी ओर वह कहते हैं कि नियम एक ही जैसे हैं। क्या हमें किसी नियमावली के अनुसार चलना होगा या समय समय पर कुछ प्रथाओं का अनुसरण करना होगा ?

उपाध्यक्ष महोदय : उन्हों ने कहा है कि विद्यमान नियम काफ़ी हैं।

श्री जवाहरलाल नेहरू : मैं ने केवल एक विशेष मामले के बारे में कहा है। सभापति के बारे में कोई नियम नहीं है। दूसरे मामलों के बारे में कोई कठिनाई नहीं है, परन्तु यदि इस मामले पर अध्यक्ष महोदय तथा सभापति मिलकर विचार करें तो यह एक अच्छी बात होगी ताकि ये बातें नियमित रूप से निश्चित हो जायं तथा कोई ग़लत धारणा पैदा न हो। मैं ने 'एक जैसा' शब्द उस नियम को तथा इस नियम और पत्रों को ध्यान में रख कर कहा है जिस का सदस्यों ने निर्देश किया है। हमें सभी बातों को एक साथ लेना चाहिये। इसे निश्चित करना वांछनीय है परन्तु तत्क्षण कोई कठिनाई नहीं है। अच्छा होता यदि नियम इसी समय तैयार होते, परन्तु मैं समझता हूं कि अग्रेतर कार्यवाही के करने में इस समय भी कोई कठिनाई नहीं है। इन्हें बाद में निश्चित किया जा सकता है तथा मेरी यह निश्चय ही प्रार्थना है कि अध्यक्ष महोदय तथा सभापति महोदय अवश्य मिलकर इस समस्या को निपटाएं अथवा उन की नियम समितियां मिलकर इसे तय करें।

परन्तु इस में कठिनाई कोई नहीं है। मुझे विशेषतर इस विधेयक के बारे में चिन्ता है कि कोई विलम्ब न होने पाए। वास्तव में कुछ समय पहले इस संयुक्त समिति का सुझाव दिया था क्योंकि हमारे विचार से इस से समय बच जाता। कभी कभी तथाकथित संक्षिप्त कार्यवाही के करने में अधिकाधिक समय लग जाता है। कारण यह कि यदि हमने यह सुझाव न दिया होता तो सम्भवतः इस समय तक इसे राज्य परिषद् द्वारा पारित कर दिया गया होता तथा यह विधेयक इस समय तक यहां प्रस्तुत हो जाता। परन्तु यहां पर की गई आपत्तियों तथा दूसरे कारण से यह लटका रहा है तथा मैं विश्वास से नहीं कह सकता कि क्या शीघ्र कार्यवाही करने का यही तरीका है।

श्री जी० एस० सिंह (भरतपुर-सवाई माधोपुर) : क्या मैं प्रधान मंत्री से पूछ सकता हूं कि यदि सदन को विधेयक के उपबन्धों के बारे में ही सूचना नहीं है तो

वे संयुक्त समिति में जाकर इस सदन के मत व्यक्त करने के अपने कर्त्तव्य को कैसे निभा सकेंगे ?

उपाध्यक्ष महोदय : यदि अग्रेतर स्पष्टीकरण की आवश्यकता है तो मैं एक दो और प्रतिनिधियों को बोलने के लिए कहूंगा।

श्रीमती सुचेता कृपालानी (नई दिल्ली) : हम इस विधेयक के सिद्धान्तों से सहमत हैं। हमारी एकमात्र आपत्ति प्रक्रिया के सम्बन्ध में है। मुझे खेद है कि सदन नेता के वक्तव्य से स्थिति इतनी स्पष्ट नहीं हुई है।

यह विचार केवल विरोधी दल के सदस्यों का ही नहीं है कि प्रक्रिया में सांविधानिक दृष्टि से एक अनुचित बात हुई है। भले ही आज दल की सभा या सचेतक के निदेश से कांग्रेस सदस्यों का मत बदल जाय, परन्तु १४ (चौदह) को उन का विचार भी ऐसा ही था। इस से वर्तमान स्थिति में अपूर्णता अथवा त्रुटि का आभास अवश्य हो जाता है।

मेरे विचार से सभापति की कठिनाई सब से मामूली कठिनाई है। मुझे दो कठिनाइयां परेशान कर रही हैं। प्रथम तो यह कि हम ने विधेयक के सिद्धान्त को स्वीकार नहीं किया है। तब हम प्रवर समिति में कैसे जायेंगे ? संविधान के अनुसार प्रथम तो विधेयक के सिद्धान्त को स्वीकार करना होता है, तभी यह प्रवर समिति के सामने जाता है तथा बाद में इस पर विस्तारपूर्वक विचार तथा तृतीय वाचन होता है। इस विषय में विधेयक के बारे में तो हमें पता नहीं, परन्तु हम प्रवर समिति में जा रहे हैं।

दूसरी कठिनाई यह है कि प्रवर समिति में विचार के बाद यह विधेयक राज्य परिषद् के सामने जायगा, जहां पारित होने के बाद यह फिर हमारे सामने आयेगा। इस का अर्थ तो यह हुआ कि प्रवर समिति में विचार तथा द्वितीय क्रम को समाप्त कर लेने के बाद हम फिर प्रथम क्रम पर पहुंच जायेंगे।

हमें स्मरण रहना चाहिये कि संविधान आए दिन की प्रथाओं से ही बनता है। अतएव हमें प्रक्रिया के सम्बन्ध में बहुत सावधान रहना चाहिये। सदन नेता के भाषण के बाद भी हम अनुभव करते हैं कि इस में सांविधानिक अनौचित्य अवश्य हुआ है। सारे संविधान में केवल अनुच्छेद ११८ (३) में ही दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की ओर निर्देश किया गया है। संसद् को बने भी डेढ़ वर्ष हो चुका, परन्तु इस बारे में अभी तक कोई नियम नहीं बन पाए हैं। एक पिछले अवसर पर किसी विधेयक के संयुक्त प्रवर समिति को सौंपते समय राज्य परिषद् के सदस्यों ने यह आपत्ति की थी, परन्तु मामले को ठंडा पड़ने दिया गया था। बार बार सांविधानिक कठिनाइयों के उत्पन्न होने के विचार से अब समय आ पहुंचा है कि हम इन नियमों को बनाएं तथा कार्यवाही व्यवस्था के अनुसार हो।

डा० एन० बी० खरे (ग्वालियर): श्रीमान्, यदि बात इतनी ही साधारण है जैसी कि प्रधान मंत्री ने बतलाई है तो मैं पूछना चाहता हूं कि अभी उस दिन इस प्रस्ताव सम्बन्धी चर्चा को स्थगित क्यों किया गया था ?

श्री सारंगधर दास (ढेनकनाल–पश्चिम कटक) : मैं प्रधान मंत्री से पूछना चाहता हूं कि जब यह विधेयक राज्य परिषद् से पारित हो कर इस सदन के सामने आयेगा तो क्या यह सदन आवश्यक होने पर इसे अपनी प्रवर समिति को भेज सकेगा ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : संयुक्त प्रवर समिति द्वारा विचार हो जाने के बाद आप इसे दूसरी प्रवर समिति को निर्दिष्ट नहीं कर सकते।

श्री राघवाचारी (पेनुकोण्डा) : यह दुर्भाग्य की बात है कि इस प्रस्ताव द्वारा सरकार ने संविधान तथा नियमों के विरुद्ध

[श्री राघवाचारी]

कार्यवाही की है। प्रधान मंत्री ने दो कारण बतलाए हैं, एक तो यह कि पहले भी इस प्रकार के दृष्टान्त मिलते हैं, दूसरे यह कि नियमों में संयुक्त समितियों का वृत्तान्त मौजूद है। जहां तक पूर्व दृष्टान्तों का सम्बन्ध है, वे अवश्य ही मौजूद हैं, परन्तु इसका अर्थ यह नहीं कि दूसरे सदन ने इस पर आपत्ति नहीं की थी। पूर्व दृष्टान्त से अवैध कार्यवाही को सिद्ध नहीं किया जा सकता। वास्तविक प्रश्न यह है कि कार्यवाही को सांविधानिक तथा विधिवत रीति से किया जाय। जब ऐसा कोई प्रश्न उत्पन्न होता है कि यह बात नियमानुकूल नहीं है तो, उठाने वाला व्यक्ति चाहे कोई भी हो आप उस पर आपत्ति नहीं कर सकते और न ही आप उसे बुरा भला कह सकते हैं। परन्तु आप को समस्या अवश्य सुलझानी चाहिये और समस्या का हल निकालने का सर्वोत्तम ढंग नियम बनाना है। जब कभी दोनों सदनों पर लागू होने वाला नियम बनाना होता है तो राष्ट्रपति इस सदन के अध्यक्ष तथा परिषद के सभापति से परामर्श ले कर नियम बनाते हैं। किस प्राधिकार को यह करना है तथा किस प्रक्रिया के अनुसार करना है, यह तो और बात है, परन्तु, आप तो ब्रिटिश संसद् के दृष्टान्त को भी सम्मान की दृष्टि से देखना नहीं चाहते और आप इन सब अनुचित बातों की, समस्या हल किये बिना, उन की उपेक्षा करना चाहते है। केवल एकमात्र उपाय यह है कि पहिले नियमों को क्रमबद्ध किया जाये और फिर विधेयक पुरःस्थापित किया जाये।

यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि वह विधेयक, जिस पर अधिकतर दल सहमत हैं तथा जिस के सम्बन्ध में अधिकतर सदस्य इच्छुक हैं कि यह पारित हो जाये अभी तक पारित नहीं हुआ है। अतः मैं सुझाव देता हूं कि यथाशीघ्र नियमों को क्रमबद्ध किया जाये, तथा सदन पर कोई अनियमित प्रक्रिया न थोपी जाय। यह विचार सर्वथा अनुचित है कि हम ने कोई बात आरम्भ कर दी है इसलिए हम इसे बहुमत से चलायेंगे। मैं समझता हूं कि ऐसा ढंग, जहां तक सदन के अधिकारों का सम्बन्ध है, और इस से बढ़ कर जब यह संविधान तथा वर्तमान नियमों के अनुकूल न हो, अत्यधिक अनुचित है।

श्री फैंक एन्थनी (नामनिर्देशित—आंग्ल-भारतीय) : मैं समझता हूं कि इस बात पर विचार करना कि संयुक्त प्रवर समिति का सभापति कौन हो आदि, समय नष्ट करना होगा। मुझे केवल यह बात महत्वपूर्ण प्रतीत हुई है कि यदि कोई विधेयक परिषद् में प्रस्तुत होता है तो वह सदन संयुक्त प्रवर समिति की नियुक्ति के लिए एक सुझाव भेजता है, इस सम्बन्ध में मेरा यह ख्याल है कि संयुक्त प्रवर समिति की नियुक्ति के लिये प्रस्ताव भेजने के इस अधिकार पर कुछ शर्तें होनी चाहियें। मेरे ख्याल में, सदन के माननीय सदस्यों को यह बात परेशान कर रही है कि यद्यपि राज्य परिषद् के इस प्रस्ताव के पीछे कोई ऐसा विचार न हो तथापि, वास्तविकता यह है कि इस विधेयक के मूल तत्वों पर मतभेद है। इस प्रक्रिया को अपनाने का प्रभाव यह होगा कि इस सदन का अपनी स्थिति में अपने दृष्टि-कोण को पूर्ण रूप से व्यक्त करने का क्षेत्र अपेक्षतः सीमित हो जाएगा। हम संयुक्त प्रवर समिति के सिद्धान्त के विरुद्ध नहीं हैं। इस सम्बन्ध में मैं समझता हूं कि यह अच्छा होगा कि यदि हम यह पद्धति अपना लें कि यदि कोई विधेयक विवादास्पद हो तो पहिले इस पर किसी एक सदन में विचार किया जा सकता है, वह सदन अपनी प्रवर समिति

नियुक्त कर सकता है तथा इसे पारित कर सकता है। तत्पश्चात् जब यह दूसरे सदन में आता है, वे भी अपनी प्रवर समिति नियुक्त करें। इस प्रकार आप को अपने मत को पूर्ण रूप से व्यक्त करने का अवसर मिल जाता है।

सरदार हुक्म सिंह (कपूरथला-भटिंडा) : श्रीमान्, हम विवादास्पद तथा अन्य विधेयकों के सम्बन्ध में भिन्न भिन्न प्रक्रियायें नहीं अपना सकते अपितु हमें कोई ऐसी प्रक्रिया बनानी पड़ेगी जो किसी भी रूप में अंगीकार की जा सकती हो।

यद्यपि संयुक्त प्रवर समिति बनाने की बात तो है परन्तु प्रक्रिया निर्धारित नहीं की गई है। हमारे नियमों में यह उपबन्ध है कि जब तक आरम्भिक स्थिति पर विचार नहीं हो जाता, हम इस के सम्बन्ध में कुछ नहीं कर सकते हैं। यदि उन नियमों का पालन किया जाता है तो हम इस मत से सहमत नहीं हो सकते कि हमें इस स्थिति में सम्मिलित होना चाहिये। माननीय प्रधान मंत्री ने एक और तर्क दिया है कि हम इस विधेयक के सिद्धान्तों तथा उपबन्धों से वचनबद्ध नहीं होंगे। उस दशा में श्री चटर्जी द्वारा बताई गई ब्रिटिश प्रक्रिया अपनानी चाहिए थी कि राज्य परिषद अपने द्वारा नियुक्त की जा चुकी संयुक्त प्रवर समिति में हम से सम्मिलित होने की बात न कह कर हम से पूछती कि क्या हम उस प्रकार की समिति में सम्मिलित होंगे। उन्हों ने वैसा नहीं किया और वे अब आगे जा चुके हैं और जब तक अध्यक्ष तथा सभापति मिल कर प्रवर समिति के विषय में प्रक्रिया निर्धारित न करें तब तक हमें अपने प्रक्रिया-नियम मानने चाहियें। अतः हमारे लिये अब केवल यही उपाय है कि हम कुछ दिन प्रतीक्षा करें ताकि वे नियम बन जायें जिन का हम पालन कर सकें। हम इस विधेयक की प्रगति-गति मन्द नहीं करना चाहते परन्तु हम निश्चय ही यह चाहते हैं कि हमारे नियमों में जो प्रक्रिया रखी गई है उस का पूर्णतः पालन होना चाहिये।

डा० काटजू : प्रधान मंत्री के भाषण के पश्चात मुझे कुछ अधिक नहीं कहना है। परन्तु क्या मैं आरम्भ में एक बात का स्पष्टीकरण कर सकता हूं? मैं इस प्रश्न पर पूर्णतः दल के दृष्टिकोण से विचार नहीं कर रहा हूं। मैं ने इस पर, अपनी पूर्ण योग्यता से, इस सदन की स्थिति को ध्यान में रख कर, एक विधि संबंधी विषय तथा संविधानीय प्रक्रिया के रूप में विचार किया है। हम सब अब इस सदन के विशेष अधिकारों को जानते हैं। इस में कोई सन्देह नहीं कि वैत्तिक मामलों के अतिरिक्त अन्य वैधानिक क्षेत्र में दोनों सदनों की समान स्थिति है, और यही बात संविधान में कही गई है। दोनों ही अपने नियम बना सकते हैं और विधेयक एक साथ तथा एक ही समय दोनों सदनों में पुरःस्थापित नहीं किये जा सकते हैं। इस पर एक सदन में विचार होने के पश्चात् यह दूसरे सदन को भेज दिया जाता है और वह उस पर विचार करता है। यदि वह सहमत होता है, तो विधेयक राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाता है। यदि वह सहमत नहीं होता है तो मामला अनिश्चित रहता है, और तत्पश्चात न तो राज्य परिषद का सभापति और न ही अध्यक्ष इस पर विचार कर सकता है। तब संविधान बीच में आता है। विधेयक अनिश्चित स्थिति में होने पर दोनों सदनों में इस पर पृथक पृथक विचार हो चुकने के पश्चात, संविधान कहता है कि एक संयुक्त बैठक होनी चाहिये और हम सामान्य प्रक्रिया अपनाते हैं।

अब बात यह है कि इस समय विधेयक के एक स्थान पर होने पर, केवल वही सदन उस पर विचार कर सकता है और वह सदन

[डा० काटजू]

उस से परिचित है। आप अपने नियमों को लीजिये। मेरा ख्याल है कि नियम ७४ में कहा गया है कि पुरःस्थापन के पश्चात, जैसा कि श्री चटर्जी ने संकेत किया है, निम्न चार बातों में से एक की जा सकती है—विचार करना, जनमत जानना, प्रवर समिति तथा संयुक्त प्रवर समिति। वहां यह नहीं कहा गया है कि संयुक्त प्रवर समिति नियुक्त करने की प्रक्रिया क्या होगी।

श्री राघवाचारी : इस के सम्बन्ध में उपबन्ध है, श्रीमान्।

डा० काटजू : जब आप विधेयक पारित करते हैं, आप उसे राज्य परिषद को भेजते हैं। इसी प्रकार जब राज्य परिषद आप को विधेयक भेजती है तब नियम संख्या १४६ तथा १४५ में दो बातों का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है। हो सकता है कि राज्य परिषद ने एक संयुक्त प्रवर समिति नियुक्त कर दी हो, परन्तु जब विधेयक हमारे समक्ष आता है तो नियम १४५ में कहा गया है कि यह सदन पटल पर रखा जायेगा और फिर इस पर विचार करने के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया जायेगा, तथा विधेयक के सिद्धान्त तथा इस के सामान्य उपबन्धों पर बार्ता हो सकती है। इस पर मैं इस कारण जोर देना चाहता हूं कि कुछ माननीय सदस्यों ने यह प्रश्न उठाया था, नाम्ना जब हम संयुक्त प्रवर समिति से सम्मिलित हो जाते हैं, तो सामान्य सिद्धान्त पर विचार विमर्श करने के हमारे अधिकार का क्या होता है? १४५ उसे स्पष्टतः सुरक्षित रखता है। तब आप दूसरे पर आते है और मैं नियम १४६ पर इस कारण जोर देता हूं कि वहां आप देखेंगे कि संयुक्त प्रवर समिति नियुक्त करने के लिए राज्य परिषद का अधिकार स्पष्टतः स्वीकार किया गया है। यह नहीं है कि केवल लोक सभा ही एक संयुक्त प्रवर समिति नियुक्त कर सकती है। अपने नियमों में स्वयं आप ने ही स्वीकार किया है कि राज्य परिषद संयुक्त प्रवर समिति नियुक्त कर सकती है। नियम यह है कि :—

"कोई भी सदस्य (यदि विधेयक दोनों सदनों की किसी संयुक्त प्रवर समिति को निर्देशित नहीं किया गया है·····) एक संशोधन के रूप में यह प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकता है कि विधेयक किसी संयुक्त प्रवर समिति को निर्देशित किया जाये····" इस से यह स्पष्ट हो जाता है कि सदन को इस स्थिति का ज्ञान था।

श्री एस० एस० मोरे : वहां "प्रवर" शब्द नहीं है और न ही संयुक्त प्रवर समिति है। वहां केवल "संयुक्त समिति" है।

डा० काटजू : नियम यही तो कहता है....

श्री एस० एस० मोरे : कृपया इसे पढ़िये।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री अपना भाषण देते रहें। उन का निर्वचन यह है कि यह संयुक्त प्रवर समिति है।

डा० काटजू : यह नियम है। यह संयुक्त समिति है। **(अन्तर्बाधा)**। क्या वे संयुक्त प्रवर समिति के अतिरिक्त किसी और संयुक्त समिति का स्वप्न देख रहे हैं?

श्री एस० एस० मोरे : यह स्वप्न देखने का प्रश्न नहीं है।

डा० काटजू : राज्य परिषद एक संयुक्त समिति—एक संयुक्त प्रवर समिति नियुक्त करती है। यदि आप राज्य परिषद के नियमों को लेते हैं तो, प्रक्रिया समान ही है। जब कोई विधेयक वहां पुरःस्थापित होता है, तब चारों में से एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है—एक एक खण्ड पर विचार, या जनमत जानना या प्रवर समिति या संयुक्त प्रवर समिति।

अब, आप से मेरा निवेदन यह है । यह मान अथवा प्रतिष्ठा का, या हमारे बहुत बड़े तथा उन के बहुत छोटे व्यक्ति होने का प्रश्न नहीं है । हम पूर्णतः समान हैं । जब हम कोई संयुक्त प्रवर समिति नियुक्त करते हैं और अन्य सदन से भाग लेने तथा संयुक्त प्रवर समिति में सम्मिलन के लिये नाम भेजने को कहते हैं, तो हम अपने नियमों के अन्तर्गत स्पष्ट रूप से कहते है कि संयुक्त समिति हम नियुक्त करते हैं । इस का अर्थ है हमारे अध्यक्ष महोदय सभापति नियुक्त करते हैं और वह कार्यवाही की देखभाल करता है । कृपया यह याद रखिये कि हमारे नियमों के अन्तर्गत, संयुक्त प्रवर समिति अपना प्रतिवेदन हमें देती है । कृपया यह भी याद रखिये कि उत्तरदायी मंत्री या उत्तरदायी निजी सदस्य को अधिकार है कि वह विधेयक पूर्णतः वापस ले ले और इस प्रकार संयुक्त समिति का सारा परिश्रम पूर्णतः विफल कर दे क्योंकि यह एक प्रवर समिति है न कि स्वयं सदन हैं । सदन अपने खुले अधिवेशन में प्रवर समिति की प्रत्येक सिफ़ारिश को अस्वीकार कर सकता है और पुनः विचार कर सकता है ।

श्री एस० एस० मोरे : इस बहुमत से ।

डा० काटजू : यह मानते हुए कि आप एक संयुक्त प्रवर समिति लेते हैं और यह मानते हुए कि मैं श्री चटर्जी के इस तर्क को स्वीकार करता हूं कि राज्य परिषद् द्वारा नियुक्त की गई एक संयुक्त प्रवर समिति में, सभापति की नियुक्ति इस सदन के अध्यक्ष महोदय करेंगे और इस सभापति को प्रत्येक अधिकार प्राप्त होना चाहिये आदि आदि, फिर भी प्रतिवेदन यहां नहीं आयेगा, यह पूर्णतः स्पष्ट है । नियम के अनुसार प्रतिवेदन यहां नहीं आयेगा, यह राज्य परिषद को जायेगा । मैं नहीं जानता कि यह किस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है । यह राज्य परिषद के लिये हो सकता है कि, यदि वे चाहें तो, वे यहां हमारे ३० प्रतिनिधियों के प्रत्येक प्रस्ताव से असहमत हों । सर्वथा एक अन्य आधार अपनाने के लिये, क्योंकि विधेयक उन के समक्ष है, विधेयक उन के अधिकार में है, वे विधेयक से परिचित हैं तथा वे विधेयक पारित करते हैं, तो, जब यह हमें भेजा जाता है, हम इस पर औपचारिक ढंग से विचार करेंगे । पारित होने के पश्चात, यह हमारे पटल पर होता है तथा नियम १४५ के अन्तर्गत, हम सिद्धान्तों पर विचार विमर्श करते हैं और उन्हें उनके क्रम भी अपेक्षा बहुत भिन्न क्रम में रखते हैं । उपाध्यक्ष महोदय, मैं सविनय निवेदन करता हूं कि मैं एक वकील की भांति बोल रहा हूं और आप इस से जो भी समझें समझ सकते हैं--मुझे ये सब आपत्तियां पसन्द नहीं हैं । यह मानते हुए कि संयुक्त प्रवर समिति के लिये दोनों सदन नियम बनाते हैं, तो यह ठीक है परन्तु आज की स्थिति यह है कि कोई नियम नहीं है । अब, संयुक्त प्रवर समिति कौन नियुक्त कर रहा है ? राज्य परिषद संयुक्त प्रवर समिति नियुक्त कर रही है । जब हम कोई संयुक्त प्रवर समिति नियुक्त करते हैं तो यह हमारी समिति होती है और हमारे नियम लागू होते हैं । क्या आप के कहने का अभिप्राय यह है कि अब हम जो संयुक्त प्रवर समिति नियुक्त करते हैं उस पर हमारे नियम लागू होने चाहियें, परन्तु उस संयुक्त प्रवर समिति पर, जो वे नियुक्त करते हैं, किसी और के नियम लागू होने चाहियें ।

श्री एस० एस० मोरे : कुछ सामान्य नियम होने चाहियें ।

डा० काटजू : मैं यह स्वीकार करता हूं परन्तु आजकल कोई सामान्य नियम नहीं है । क्या करना चाहिये ।

श्री एस० एस० मोरे : उन्हें बनाइये ! पिछली बार जब आप ने अपनी संयुक्त प्रवर समिति नियुक्त की थी तब आप ने यह प्रश्न नहीं उठाया था ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य, आप को जो भी कहना है, मुझे सम्बोधन कर के कहिये ।

डा० काटजू : श्रीमान, मैं एक बड़ा ही भावुक व्यक्ति हूं । श्री चटर्जी ने जो बड़ा हौआ खड़ा कर रखा है, वह मेरी समझ में तो आता नहीं है । श्री चटर्जी के तर्क जैसे ही तर्क कभी कभी व्यक्ति को परेशान करते हैं, जैसा कि कहा जाता है कि वकील लोग युक्ति को गिरा देते हैं या उत्तम युक्ति को बुरी युक्ति का रूप दे देते हैं । मामला सर्वथा स्पष्ट है । इस के बारे में कुछ नहीं कहना है । एक संयुक्त प्रवर समिति है । दूसरे सदन की प्रार्थना है "क्या कृपया आप भाग लेंगे ?" इस सदन को यह कहने का अधिकार है "हम भाग नहीं लेंगे ।" हो सकता है कि हम ब्रिटेन की लोक सभा के इस दृष्टान्त का अनुसरण करें कि इस से पहिले कि हम कोई विधेयक भेजें, हम एक औपचारिक प्रार्थना करें "क्या कृपया आप हमें सहयोग देंगे ?"

डा० लंका सुन्दरम् : आप ने इस बार ऐसा क्यों नहीं किया ?

डा० काटजू : आज कठिनाई यह है कि उस प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है । यदि हम वहां जायें और अपना स्थान ग्रहण करें तो इस में कोई हीनता अथवा उच्चता है अथवा कोई बहुत ही भयानक बात होगी इस सम्बन्ध में दिये गये कारणों को मैं समझ नहीं पाया हूं । हम वहां ३० व्यक्ति होंगे और मान लीजिए राज्य परिषद् के सभापति, उस समिति के सभापति की नियुक्त करते हैं तो हमारी संख्या पर उस का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा । हमारे नामनिर्दिष्ट सदस्य अपने विचार वहां प्रकट कर सकेंगे । प्रतिवेदन जायेगा; राज्य परिषद में इस की गुणिता के आधार पर विचार किया जायगा और फिर हमारे पास आयगा । इस प्रक्रिया के अधीन निहित सिद्धान्तों को न भूलिये । यह तो समय बचाने की एक व्यवस्था है, क्योंकि नियम १४६ में जिसे मैं ने अभी पढ़ा है, कहा है कि राज्य परिषद् से भेजे गये विधेयक पर जब आप विचार कर रहे हैं, यदि उस के लिये कोई संयुक्त समिति नहीं बनी है तो आप अपनी प्रवर समिति बना सकते हैं ।

श्री राघवाचारी : यह कथन अशुद्ध है । निषेध यह है कि जब राज्य परिषद की कोई साधारण प्रवर समिति होती है तो भी हम दूसरी प्रवर समिति नहीं बना सकते ।

डा० काटजू : नियम में कहा है कि "(यदि दोनों सदनों की संयुक्त समिति को विधेयक अभी तक नहीं सौंपा गया है किन्तु अन्यथा नहीं) तो विधेयक को प्रवर समिति को सौंपने का संशोधन यदि स्वीकृत हो जाय तो विधेयक को प्रवर समिति को सौंपा जायेगा ।"

उपाध्यक्ष महोदय : श्री राघवाचारी ने जिस का निर्देश दिया है अब वह निकाल दिया गया है ।

डा० काटजू : नियम, जैसा कि हम ने उसे मूलतः बनाया था, और भी आगे जाता था, अर्थात् यदि राज्य परिषद ने केवल अपने ही सदस्यों की प्रवर समिति नियुक्त कर दी थी तो भी हम प्रवर समिति नियुक्त नहीं कर सकते थे ।

उपाध्यक्ष महोदय : किन्तु यह अधिकार अब राज्य परिषद को नहीं है । या तो आप संयुक्त प्रवर समिति नियुक्त करें अथवा आप अपनी प्रवर समिति नियुक्त करें ।

डा० काटजू : अतएव मैं निवेदन करता हूं कि जहां तक वैधानिक अथवा संवैधानिक स्थिति का मामला है, यह बिल्कुल स्पष्ट है । जहां तक कि विधेयक के सिद्धान्तों की चर्चा करने का अधिकार है, वह अधिकार नियम १४५ के अधीन आप को प्राप्त है । माननीय सदस्यों को यह कहने की छूट है कि हम वहां नहीं जायेंगे । आप कोई कारण भी नहीं दे सकते और कह सकते हैं कि हम वहां नहीं जायेंगे । किन्तु मेरा निवेदन यह है कि वर्तमान उपबन्धों के अनुसार यह संकल्प पूर्ण रूपेण शुद्ध है । इस में कोई कमी नहीं है, जब तक संयुक्त नियम नहीं बन जाते अथवा वे लागू नहीं हो जाते, तो समिति के सभापति की नियुक्ति आदि बातें वर्तमान नियमों के अनुसार यह तै होनी चाहिएं । आप अपनी संयुक्त समिति के सभापति की नियुक्ति करते हैं—किन्तु यह केवल इस लिए नहीं कि चूंकि आप ऊंचे हैं अपितु इसलिए कि वह आप की समिति है । यदि वे किसी संयुक्त समिति की नियुक्ति करते हैं, यदि संयुक्त समिति बनाने में वे अग्रभाग लेते हैं तो वे अपना सभापति भी बनायेंगे । मुझे बस यही कहना है । जहां तक गुणिता के प्रश्न की बात है तो मेरा नम्र निवेदन यह है कि इस चर्चा में अभी तक काफी समय ले लिया गया है, यदि आप यह निर्णय दे दें कि इस औचित्य प्रश्न में कोई दम नहीं है तो हम सीधे ३० सदस्यों की नियुक्ति कर सकते हैं और विधेयक के फिर वापिस आने पर इस की चर्चा कर सकते हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री का सुझाव यह है कि यदि यह सिद्धान्त स्वीकार नहीं होता या इस के बारे में यहां निपटारा नहीं होता तो इसे सीधे दूसरे सदन को भेज दें, और उस सदन से वापिस आने पर इस पर फिर चर्चा की जा सकती है । अतएव इस प्रकार सदन का समय बच जायगा । उन का कहना है कि यदि इस सिद्धान्त के बारे में यहां अन्तिम निर्णय नहीं होता तो इस संकल्प को स्वीकार करने से इस विधेयक को स्वीकार या अस्वीकार नहीं किया जाता किन्तु सामान्य सिद्धांन्तों की चर्चा के बारे में मुझे कोई आपत्ति नहीं है ।

मेरा विचार है कि उठाई गई आपत्तियों का उत्तर दे दिया गया है । केवल एक ही बात उठाई गई थी कि संविधान के अनुसार दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का उपबन्ध है किन्तु वह उपबन्ध तभी है जब कि विधेयक पर दोनों सदनों में विचार हो जाता है । यह सत्य है कि संविधान में संयुक्त समिति अथवा संयुक्त प्रवर समिति के लिए कोई उपबन्ध नहीं है किन्तु नियमों में इस का प्रबन्ध दिया गया है । संविधान के अधीन अध्यक्ष द्वारा नियम बनाये जा सकते हैं । नियमों के बारे में, कि वे अधिकारान्तर्गत है अथवा अधिकार के बाहर, कोई आपत्ति नहीं की गई है । अतएव इसे संयुक्त प्रवर समिति को भेजने के लिए नियमों के अधीन उपबन्ध हैं ।

दूसरी आपत्ति यह उठाई गई थी कि सदन में विधेयक पर विचार हो जाने के उपरान्त इसे संयुक्त प्रवर समिति को भेजा जा सकता है । कुछ अंश तक यह इस सदन के क्षेत्राधिकार की बात है—कि क्या इस स्थिति पर हम प्रवर समिति में सम्मिलित हो सकते हैं अथवा नहीं । पहले भी ऐसा हुआ है । इस सदन ने कुछ संकल्प स्वीकृत कर के दूसरे सदन को भेजे हैं । अतएव इस संकल्प के बारे में चर्चा करने की आज्ञा देने में कोई हानि नहीं है । माननीय सदस्यों को इस बात का ज्ञान होगा कि इस प्रकार के मामलों में अध्यक्ष स्वयं ही निर्णय करने का उत्तर-दायित्व अपने ऊपर नहीं लेते; वह सदन के ऊपर निर्णय छोड़ देते हैं ।

पंडित बालकृष्ण शर्मा (जिला कानपुर—दक्षिण व जिला इटावा—पूर्व) : प्रस्ताव की चर्चा करते समय क्या सदन को विधेयक की गुणिता की भी चर्चा करने का पूर्ण अधिकार है ?

उपाध्यक्ष महोदय : जी हां ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : जब हम इस प्रस्ताव की चर्चा करते हैं तो विधेयक के सिद्धान्तों की भी चर्चा कर रहे होंगे ? तो क्या प्रक्रिया सम्बन्धी चर्चा पूरी हो गई है ?

उपाध्यक्ष महोदय : जी हां । माननीय सदस्य विधेयक के सिद्धान्तों के बारे में साधारण सुझाव दे सकते हैं और फिर यह मामला दूसरे सदन को चला जायेगा ।

श्री बी० जी० देशपांडे (गुना) : उपाध्यक्ष महोदय, विशेष विवाह विधेयक, १९५२, सदन के सामने रखने के विषय में अभी सदन के नेता ने आप को बताया है कि राज्य-परिषद् की इच्छा और हमारे क़ानून मंत्री की इच्छा यह थी कि वह विधेयक जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी स्वीकार किया जाय । मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि यह विधेयक इतनी जल्दी इस सदन से स्वीकार कराने की क्या आवश्यकता उत्पन्न हुई । आप को पता होगा कि यह क़ानून १८७२ का आज तक चला आ रहा है । क़रीब क़रीब ८० साल तक यह क़ानून होने के पश्चात्, आज इस के लिये इतनी जल्दी क्यों हो रही है । हम यह भी देख रहे हैं कि यदि पुराने क़ानून को ही संशोधन कर के आप के सामने रखना चाहते हों तो उस के लिये जल्दी नहीं है । जो लोग विशेष विवाह की विधि से अपना विवाह करना चाहते हैं उन के लिये यह १८७२ का क़ानून आज भी विद्यमान है । फिर उस के लिये आज यह आवश्यकता क्यों उत्पन्न हुई, उस के लिये कुछ कारण है । आप ने देखा होगा कि चार पांच वर्ष तक एक हिन्दू दण्ड विधान, हिन्दू दण्ड संहिता, हिन्दू कोड बिल, इस सदन के सामने आया था और आप ने यह भी देखा होगा कि सदन में उस के विरुद्ध बड़ा प्रक्षोभ उत्पन्न हुआ था । सदन के बाहर भी हम ने देखा था प्राइम मिनिस्टर के विरोध में जनता ने आवाज़ उठाई थी । पिछले निर्वाचन में जब कांग्रेस के और अन्य दलों के उम्मीदवार जनता के सम्मुख गये तब जनता ने उन को पूछा कि बताओ, हिन्दुओं के विवाह के बारे में आप क्या करने वाले हो । आप को यह भी पता होगा कि स्वयं इस सदन के नेता, इलाहाबाद में जब निर्वाचन के लिये खड़े हुए थे तब यह इलैक्शन का ईश्यू किया गया था और वहां स्वयं सदन के नेता ने बताया था कि हिन्दू कोड बिल, यह ईश्यू नहीं है, शायद पार्लियामेंट में यह आवेगा भी नहीं ।

यह होने के पश्चात् और जनता को एक प्रकार का विश्वास देने के बाद हिन्दुओं के विवाह में परिवर्तन करने का क़ानून यहां आ रहा है । वह कहते हैं कि यह ज़हर का डोज़ एकदम देने के बजाय हम उस की मात्राएं बना कर डिफरेंट डोजेज़ उस की दे कर यह विष देंगे । इसी कारण हिन्दू कोड बिल की जो बड़ी आपत्ति हिन्दुओं पर आने वाली है, उस आपत्ति का पहला हिस्सा कर के यह विधेयक इस सदन के सामने रखने जा रहा है । मैं आप को यह बता देना चाहता हूं कि यह जो विधेयक है यह केवल १८७२ का जो क़ानून है, उसी के लिये नहीं रखा गया है । इस विधेयक में आगे जा कर हिन्दुओं की विवाह पद्धति पर एक बड़ा भारी आक्रमण किया गया है और मैं इस सदन का ध्यान इस बड़े आक्रमण की तरफ़ आकर्षित करना चाहता हूं । वह पहला आक्रमण यह है कि आप इस की चौदहवीं धारा को पढ़ेंगे तो आप को पता लगेगा कि इस में क्या लिखा हुआ है ।

इस धारा का अर्थ यह है कि हिन्दू पद्धति से विवाह करने के पश्चात् भारतवर्ष में यदि कोई पति अथवा पत्नी चाहे तो रजिस्ट्रेशन अफ़सर के सामने जा कर अपना विवाह रजिस्टर करा सकते हैं। इस विधेयक में यह भी दिया है कि इस प्रकार से अपने विवाह को रजिस्टर कराने के उपरान्त डाइवोर्स का ऐक्ट उन पर लागू होगा और मुझे यह कहने में तनिक भी संकोच नहीं है कि इस बिल के पास हो जाने से हिन्दू विवाह जिस मूलभूत आधार पर रक्खा गया है, उस पर बहुत बड़ा आक्रमण होगा। अभी तक हिन्दुओं में विवाह को एक कंट्रेक्ट मात्र नहीं समझा जाता रहा है, हम उस को जीवन का एक आवश्यक और पवित्र संस्कार मानते हैं और उस के लिए मनुस्मृति के दूसरे अध्याय के ६६वें श्लोक में यह दिया हुआ है कि जिस प्रकार से एक बालक के लिए विद्यार्थी जीवन में गुरू के घर रहना और विद्योपार्जन करना महत्त्व रखता है और जिस तरह से बच्चे का उपनयन संस्कार होता है, उसी तरह का यह विवाह संस्कार है और हिन्दू मात्र इस विवाह संस्कार को एक बहुत पवित्र संस्कार मानता है और इस के सेक्रेड होने के कारण हिन्दू समझता है कि विवाह विच्छेद नहीं हो सकता। हिन्दू कोड बिल चाहता है कि इस हिन्दू विवाह का विच्छेद हो और इस मौजूदा बिल के द्वारा बैक डोर से विवाह विच्छेद को लाया जा रहा है। इस बिल के पास हो जाने पर जो लोग अपने विवाह को रजिस्टर करा लेंगे, उन के लिए डाइवोर्स का विवाह विच्छेद का मार्ग खुल जायगा। मेरा सब से पहला और मुख्य विरोध इस बिल से इस कारण है कि आप इस के द्वारा हिन्दुओं की प्राचीनतम और पवित्र विवाह संस्कार प्रथा पर कुठाराघात करने जा रहे हैं और उसकी पवित्रता नष्ट हो कर वह एक पार्टीज़ के बीच कंट्रैक्ट मात्र हो कर रह जायगा, इस में विवाह विच्छेद की अनुमति दे कर आप हिन्दू समाज को एक बड़ा नुक़सान पहुंचाने जा रहे हैं।

इस बिल के समर्थकों द्वारा बहुधा यह दलील दी जाती है कि "this is a permissive legislation." (यह तो अनुमतिदायक विधान है)। इस विधान के द्वारा विच्छेद की अनुमति मात्र दी गई है और यह किसी पर ज़बरन लादा नहीं जा रहा है, जिस की इच्छा हो उस को ग्रहण करे अथवा न करे, लेकिन मैं आप को चेतावनी देना चाहता हूं कि ऐसा कर के आप देश का बहुत बड़ा अहित करने जा रहे हैं। यह तो तर्क ठीक उसी प्रकार है जैसे आप यह कहें कि मैं कोई हर एक सदस्य से यह तो कहता नहीं हूं कि वह हाउस को जला दे, हां अगर कोई उस को जलाना चाहता हो, तो मैं उस को इस की अनुज्ञा दूंगा, जिस तरह से हनुमान ने सारी लंका को जला डाला, उसी प्रकार से यहां हमारे हनुमान महाराज आ गये हैं और वह उन को अनुज्ञा दे रहे हैं कि वह जा कर सब जगह नाश करें और हिन्दू समाज को छिन्न भिन्न कर दें। मेरा तो कहना है कि अगर वह इस विच्छेद की प्रथा को लाना चाहते थे, तो सीधे साधे जैसे पहले आप हिन्दू कोड बिल लाये थे, उसी प्रकार का बिल ले आते, और जनता के सम्मुख रखते कि हम हिन्दुओं की विवाह प्रथा में, उत्तराधिकार के सम्बन्ध में और उन के पर्सनल ला में यह परिवर्तन करना चाहते हैं। मैं जहां तक मेरा सम्बन्ध है, मैं तो अपने प्राचीन धर्मग्रन्थों और शास्त्रों के ऊपर चलता हूं, और उन को अपना आधार मानता हूं और शास्त्रों पर मेरा पूर्ण विश्वास है। लेकिन मैं पूछता हूं कि आखिर आप देश में किस प्रकार की व्यवस्था निर्माण करने जा रहे हैं? कोई भी स्त्री, पुरुष रजिस्ट्रार

[श्री वी० जी० देशपांडे]

के सामने जा कर कहे कि मैं इस को पत्नी स्वीकार करता हूं, अथवा स्त्री कहे कि मैं इस को अपना पति स्वीकार करती हूं, ऐसे लोगों का विवाह विच्छेद हो सकता है, यह पूरा विधेयक लाने के बजाय आप एक एक विधेयक ला रहे हैं और लोगों को बिना बताए हुए जल्दबाज़ी में जितनी जल्दी हो सके हिन्दुओं में आज से नहीं हज़ारों वर्षों से जो विवाह संस्कार की प्रथा चली आ रही है और इस बारे में जो उन के विचार हैं, उन को आप एक दम बदलने जा रहे हैं और मैं यह कहना चाहता हूं कि इस प्रकार का आक्रमण करते समय इस लेजिस्लेशन में जिस में अनेक नये नये क़ानूनों का संदर्भ है, इस में डाइवोर्स ऐक्ट का उल्लेख है, इस में रिमूवल आफ़ कास्ट डिसएबिल्टीज़ ऐक्ट और इंडियन सक्सेशन ऐक्ट का उल्लेख है, लेकिन चूंकि वह ऐक्ट हमारे सामने नहीं है इस कारण भी मैं उस का विरोध करता हूं। इस के अलावा मेरे विरोध करने का सब से बड़ा कारण यह है कि यह बिल देखने में तो बड़ा सीधासादा लगता है, लेकिन वास्तव में यह बड़ी दूर तक जाने वाला है और इस के परिणाम मेरी राय में हिन्दू समाज और संस्था के लिए बहुत अलाभकारी होने वाले हैं। साथ ही मैं आज के यहां के नेताओं को समाज का नेता मानने के लिए तैयार नहीं हूं और मैं यह भलीभांति जानता हूं कि देश की जनता इन के विचारों का इस सम्बन्ध में समर्थन नहीं करेगी। आज हज़ारों वर्षों से चली आ रही शास्त्रानुकूल विवाह पद्धति के स्थान पर यह एक नई विवाह प्रथा जारी करना चाहते हैं और उन का दावा है कि यह जो विवाह प्रथा वह चलाना चाहते हैं, यह भी बड़ा अच्छा आदर्श है, ऐसा उन का मत है।

जिस प्रकार से गीता में कहा है :—

"यः शास्त्र विधि मुतसृज्य वर्तते कामकारतः।" (इस प्रकार से जो केवल इच्छानुकूल चलते हैं।)

मैं तो ऐसा नहीं मानता, लेकिन जो दो चार शर्तें उन्हों ने दी हैं, आप उन्हीं को देखिये, शास्त्रों को छोड़ दीजिये, तो आप उन में क्या पाते हैं और मैं नहीं समझ पाता कि आखिर यह कौन सा जीवन निर्माण करना चाहते हैं? The parties have completed the age of eighteen years. यानी अगर पति १८ साल का हो और औरत ७२ साल की हो, तो भी वह विवाह इस में हो सकता है, आखिर जनता के सामने आप यह किस प्रकार का आदर्श रखने जा रहे हैं, मुझे तो कुछ पता नहीं लगता? आठ साल की लड़की का विवाह एक वृद्ध के साथ कराया जा सकता है। इंग्लड में भी और यहां भी जरठ और कुमारी के विवाह का निषेध नहीं है।

आप जो नया हिन्दू कोड बिल लाने वाले हैं, पिछले बिल में विवाह विच्छेद और अन्य बहुत सी बातें उस में लिखी गई थीं, वह बातें आज के स्पैशल मैरिज ऐक्ट में नहीं हैं। जैसे असाध्य रोग (incurable disease) वाले का विवाह न हो। और मैं समझता हूं कि इस तरह का बिल बड़ी जल्दबाज़ी में इस देश के सामने ला रहे हैं। इंग्लैंड में जब विवाह में सुधार करने का निश्चय किया गया, तो वहां इस तरह की बातें नहीं की गयीं या कही गयीं कि जैसा कि कुछ लोग यहां कहते हैं कि यह औरतों का बिल है, वीमेन बिल, मेरी तो समझ में नहीं आता कि इस से उन का क्या मतलब है, केवल स्त्री का विवाह क्या मानी रखता है, या किसी ने कह दिया कि चूंकि इस के लिए वीमेन

मेम्बर जल्दी कर रहे हैं, इसलिए ज़रा प्रोसीज्योर को दूर कर दिया । स्त्री पुरुष का विवाह केवल वैयक्तिक समस्या नहीं है, विवाह बन्धन एक बड़ा पवित्र सम्बन्ध है जिस का असर केवल आज की समाज पर ही नहीं बल्कि भावी समाज पर और आने वाली सन्तानों पर पड़ने वाला है । दसियों और बीसियों पीढ़ियों पर उस का परिणाम आने वाला है और इसलिए आप के लिए यह उचित नहीं है कि आप एक गुस्से या जल्दी में आ कर या लोगों को डरा अथवा धमका कर इस तरह का क़ानून पास करा लें ।

अन्त में मैं और अधिक न कह कर सिर्फ़ इतना कहना चाहता हूं कि सरकार को जनता की भावना और विचारों का आदर करना चाहिये । निर्वाचन के सम्बन्ध में क्या हुआ, यह मैं जानता हूं और इस के लिए आज इस सदन में मैं यह चुनौती देना चाहता हूं कि यदि आप यह समझते हैं कि इस मेज़र में जनता आप के पीछे है, तो यह आप की बड़ी भारी भूल है और अगर आप जनता की राय हासिल करना चाहते हैं तो इस पर आप रेफ़रेंडम ले सकते हैं या इस विषय पर आप चुनाव के लिये खड़े हो सकते हैं और जनता से इस के पक्ष में मत मांग सकते हैं, यह तथा और दूसरे बिल जो आप लाने जा रहे हैं जैसे सगोत्रों में विवाह, दो पीढ़ियों में एक चचेरे भाई की लड़की और दूसरे चचेरे भाई के लड़के की शादी आप कराना चाहते हैं, यह विधेयक ले कर आप जनता के सामने निर्वाचन में जायें और अगर आप चुनाव में जीतते हैं तो मैं कहता हूं कि आप उन बिलों को अवश्य पास कराइये, लेकिन आज की अवस्था में अपनी बूट मेजारिटी के बल पर सदन में इस को न सें, यही मेरी प्रार्थना ह ।

श्री नन्द लाल शर्मा (सीकर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बड़े खेद के साथ इस विशेष विवाह विधेयक का विरोध यहां सदन के सामने उपस्थित होने से पूर्व करना पड़ता है । मुझे विश्वास है कि स्पीकर महोदय, अथवा उपाध्यक्ष महोदय जो भी उस समय होंगे जिस समय यह विधेयक इस संसद के सामने उपस्थित होगा, तो फिर हमें इस पर अपने विचार पेश करने की अनुमति मिलेगी । दो एक बातें १८७२ के विशेष विवाह कानून के अनुसार हिन्दू को हिन्दू कह कर जो विवाह करने का अधिकार था, आज उस को हिन्दू कहने पर भी उसका हिन्दुत्व छीन लिया गया है । यहां विवाह यदि हिन्दू हिन्दू करता था, तो आज इस बिल के अनुसार आज हिन्दू की किसी भी संस्था में किसी भी धर्म में, हिन्दू स्त्री हो अथवा हिन्दू पुरुष हो, विवाह करने की जो बात है, और हिन्दू कोड बिल बनाने वालों के मन में इस को बनाते समय एक भावना जरूर रही होगी कि ऐसा कानून बना कर के हिन्दू शास्त्रों को सदा के लिए समाप्त कर दिया जाय और उस दिशा में हिन्दू शास्त्रों को नष्ट करने के लिए यह स्पैशल मैरिज बिल प्रथम प्रारूढ़ है ।

मैं इस को अच्छी तरह से जानता हूं कि शायद आप यह समझते हैं कि जनता को यह पता नहीं लगेगा कि हम हिन्दुओं के बारे में यहां पर कोई कानून बना रहे हैं, इसलिये वह इस स्पेशल मैरिज बिल का विरोध नहीं करेगी । लेकिन मैं आप को इस का स्मरण करवाता हूं कि जनता हर एक बात को बड़े खेद से और दुःख से अनुभव करती है और देख रही है कि आप क्या कर रहे हैं । मनु जिन को आप लोग अक्सर किसी न किसी विषय में कोट करते हैं और कहते हैं कि वह "One of the best

[श्री नन्द लाल शर्मा]

and greatest law-givers of the world." संसार के सर्वोत्तम तथा महानतम विधिवेत्ताओं में से है। वही मनु कहते हैं कि सवर्ण स्त्री की सवर्ण मनुष्य के द्वारा जो सन्तान उत्पन्न होती है वही द्विजाति हो सकती है। आप द्विजाति का समूल उन्मूलन कर डालने की प्रतिज्ञा ले कर के इस बिल को स्वीकृत करना चाहते हैं। कोई उपाय नहीं है। इस सदन में, इस संसद में, मैं अपने घर में अपने सदस्यों को किसी प्रकार के अपराध का दोष तो देता नहीं क्योंकि उन्हों ने भी वैधानिक आपत्ति खड़ी कर के इस का विरोध किया है। किसी ने अपनी स्वीकृति प्रदान नहीं की है। किन्तु एक व्यक्ति हैं जिन के मन में इस हिन्दू धर्म को नष्ट कर देने की इच्छा है, जिन्हों ने जितने भी समाज के नियम हैं उन सब को मिटाने का निश्चय कर लिया है, वह अपनी मनमानी गवर्नमेंट के द्वारा चलाते हैं और मैं समझता हूं कि लोकतंत्र की हत्या करने वाला सब से बड़ा यही मार्ग है। जनता जिन बातों का निरन्तर विरोध करती है उसी को कर के एक मुट्ठी भर आदमी जो जनता को मूर्ख समझते हैं कहते हैं कि जनता कुछ नहीं समझती इसलिये हम जनता को ठुकरायें। अगर जनता गो हत्या बन्दी के लिये मांग करती है, भारत के एक कोने से दूसरे कोने तक, तो एक व्यक्ति गवर्नमेंट के अन्दर खड़ा हो कर कहता है नहीं, हम गो हत्या बन्द होने नहीं देंगे। सारा देश निराश हो कर देखता है, समस्त जनता निराश हो कर देखती है कि क्या होगा। अगर यह एक व्यक्ति नहीं मानेगा तो क्या गो हत्या बन्द नहीं होगी? शुरू से बाहर की किसी भी संसद में, किसी भी पार्लियामेंट में, किसी भी देश में आठ, दस वर्षों तक किसी भी कानून का विरोध नहीं किया जनता ने, लेकिन भारत में किया गया। १९४३ से ले कर १९५३ हो गया है जब से हिन्दू कोड बिल के पास करने का प्रयत्न ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय से हो रहा है। सर सुल्तान अहमद ने, जो कि इस के प्रथम पिता हैं, अनन्त पिता बदले। तभी से जनता निरंतर इस का विरोध करती है और अन्त में जैसा हमारे प्रिय मित्र देशपांडे जी ने कहा कि प्रयाग के चुनाव में हमारे प्रधान मंत्री को भी इस का स्वाद चखना पड़ा। अन्त में उन को यह कहना पड़ा कि मुझे मालूम नहीं था कि जनता इस के विरुद्ध है और प्रतिज्ञा की कि हम जनता की भावना के विरुद्ध कोई कार्य नहीं करेंगे।

मेरे सामने स्पैशल मैरिज बिल पर आई हुई सम्मतियों का पुलिंदा पड़ा है। उन को आप उठा करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हिन्दू जाति के अन्दर से किन किन लोगों के मत मांगे गये हैं। जो हिन्दू जाति के अन्दर जाति व्यवस्था मिटा देना चाहते हैं, जो हिन्दू जाति के धार्मिक सिद्धान्तों का समूल उन्मूलन कर देना चाहते हैं उन्हीं लोगों की व्यवस्था मांगी गई और राय मांगी गई। इस के अतिरिक्त उन तमाम बड़े बड़े आचार्यों, शंकाराचार्यों, वल्लभाचार्यों, धर्माचार्यों, जैनाचार्यों और सिखाचार्यों में से अथवा किसी भी धार्मिक संस्था की ओपीनियन सामने नहीं आती है। परन्तु इस पर भी मुझे खेद के साथ बधाई देनी पड़ती है अपने मुसलमान बन्धुओं को। किसी भी मुसलमान का नाम मैं ने इन सारे के सारे पुलिंदों में नहीं देखा जिसने कि इस बिल का स्वागत किया हो। सभी ने मिल कर के एक शब्द से इस का विरोध किया है।

मैं इस संसद में बैठे उन महानुभावों से, जो हिन्दू धर्म की भलाई चाहते हैं, क्षमा चाहता हूं, अगर वह यह समझते हैं कि

दूसरों के धर्म को मिटा कर अपने धर्म का भला हो जायेगा। मैं कहता हूं कि यह विचार गलत है। लड़कियां तुम्हारे घर में भी हैं और दूसरों के घर में भी हैं, और हो सकता है कि अगर हम ने कोई गलत स्टेप अख्त्यार किया तो हमें ही धोखा खाना पड़े "दूसरों के साथ अन्याय मत कर, दूसरों के अन्याय को मत सह" यह सब से बड़ा सिद्धान्त है। मैं कहता हूं कि जनता अब चुप रहने वाली नहीं है। अगर हम हिन्दू नहीं रहेंगे, अगर हमारा हिन्दू धर्म ही आपने मिटा दिया तो हमारे बीच में अगर दस लाख नहीं, दस करोड़ नहीं, दस अरब लोग भी आ जायेंगे तो भी हमारा कोई फायदा होने वाला नहीं है क्योंकि हमारा तो घर ही मिट जायेगा। जिस हिन्दू जाति के अन्दर मनु की कीमत नहीं, वेद की कीमत नहीं, जहां मनु की हिन्दू जाति वाली वर्णाश्रम व्यवस्था न रहेगी उस हिन्दू जाति में आप कहते हैं कि हमारी संख्या दस करोड़, बीस करोड़ या पचास करोड़ बढ़ जायेगी। लेकिन जब हमारी जाति ही न रहेगी तो संख्या का क्या प्रश्न रहेगा ?

श्री नवल प्रभाकर (बाह्य दिल्ली—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : हिन्दू की परिभाषा तो कर दीजिये।

श्री नन्द लाल शर्मा : हिन्दू की परिभाषा ? सुनिये। आप को पता चल जायगा। हिन्दू वह है जो दुष्ट का दमन करता है, जो धर्म से पतित को पतित कह सकता है, जो शास्त्रों के आगे, आचार्यों के आगे, भगवान के आगे सिर झुकाता है, नमन करता है, जो दुष्ट की हिंसा करता है जो शास्त्रों का अध्ययन करता है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं उन की जानकारी के लिये यह और बतला दूं कि :

आसिंधु सिंधुपर्यन्ता यस्य भारत भूमिका
मातृभू पुण्यभूश्चैव स एव हिन्दू इति स्मृतः।

सिंध से ले कर सिंधु पर्यन्त जो भारत भूमि है, वह जिस की मातृ भूमि है, पुण्य भूमि है, वही हिन्दू कहलाता है। साथ में इस का भी जानना जरूरी है। हिन्दू शब्द के लिये उन लोगों ने जिन्हों ने दूसरों के बहकावे में आ कर कहा कि हमारे ग्रंथों में हिन्दू नाम ही नहीं है, उन्हों ने अपने साथ भी अन्याय किया है और हिन्दू जाति के साथ भी अन्याय किया है।

उपाध्यक्ष महोदय, इस विशेष विवाह विधेयक में बात यह है कि "काजल की कोठरी में कैसेहू सयानों जाय, कालिख तो लगना ही है हम कितना ही बचना चाहें। जिस को ईश्वर में, धर्म में, परलोक में, समाज के मौलिक नियमों पर जिन पर समाज आधारित है, उन पर आस्था नहीं है, उस अनादि विधान पर जिन का आधार नहीं है, वह बहरे से बन गये हैं, पत्थर कहां लुढ़केगा, इस का पता नहीं, उस रोलिंग स्टोन का कोई स्थान हमारे यहां नहीं। इस बिल में कन्या और वर वधू दोनों की एज के सम्बन्ध में कुछ आप के सामने कहने के लिये खड़ा हो गया। वृद्ध के विवाह का तमाशा तो हम ने संसद में ही देख लिया। दूसरों का सुधार करने के लिये जाते हैं लेकिन स्वयं यहां बैठ कर विवाह करते हैं। क्या कहा जाय। मैं किसी पर व्यक्तिगत आक्षेप नहीं करना चाहता। खैर, मैं दूसरी बात कहता हूं। ईश्वर का डर नहीं, धर्म का डर नहीं, ऐसा चाहते हैं कि नियमों को ही बदल डालें। हमारे यहां शास्त्रकारों ने स्पष्ट रूप से बतलाया है कि —कन्या अपने विवाह में देखती है रूप को, माता देखती है गुण को और बाकी के सब लोग देखते हैं मिठाई को। निवेदन यह है कि उस में कन्या केवल चाहिये, कितने वर्ष की भी हो जाय। वहां मुख्य ध्येय रूप में रहता है। इसलिये कोर्टशिप मैरिजेज में जो दोष है वह यह है कि बाहर

[श्री नन्द लाल शर्मा]

के रूप को देखने के बाद, थोड़ी देर तक बातचीत होने के बाद, उस में न कोई प्रेम होता है, न स्नेह होता है, केवल कामवासना के वश में आ कर किसी के साथ सम्पर्क हो जाता है । फिर सम्पर्क होने के बाद दूसरे दिन जब प्रत्यक्ष होता है तो यह सब नशा उतर जाता है और वहां त्रिचक्षु की हानि हो जाती है । इसीलिये हमारे यहां कहा गया है कि माता पिता में सब प्रकार की भावना आ जाती है । आज भी आप देखेंगे कि कन्या को माता पिता स्वयं केवल गर्त में गिरा देने की ही भावना रखते हैं, ऐसी बात नहीं है । जो लोग इस प्रकार का चित्र खींचा करते हैं वह केवल प्रचार भावना से और हमारे सिद्धान्तों को, नियमों को और समाज को मिटाने की भावना से ऐसा करते हैं । माता और पिता दोनों ही मिल कर इस समाज के बनाने वाले हैं, एक कन्या पक्ष का है, दूसरा पुरुष पक्ष का है, एक वर पक्ष का होता है तो दूसरा वधू पक्ष का । एतावत इस में नहीं कहा जा सकता कि अमुक व्यक्ति ने ऐसा काम किया ।

दूसरी बात यह है कि वर्णाश्रम धर्म को मिटा देने के अतिरिक्त इस में दूसरी जातियों में और दूसरे मतों में भी विवाह करने की छूट दे दी गई है ।

एक माननीय सदस्य : वह तो चाहिये ।

श्री नन्दलाल शर्मा : चाहिये तो यह कि चाहे जो मनुष्य हो और चाहे जो स्त्री हो, किसी भी पुरुष और स्त्री के बीच में विवाह करने की आप को छूट हो जाय, कामशील विवाह के अनुसार संसार में सब ठीक है । बस, मातृ योनि परित्यज्य, माता को छोड़ कर समस्त स्त्रियों से विवाह हो सकता है, यही ठीक है । और फिर अन्ततः यही भावना रही तो यह होगा कि कहेंगे कि जब शकर और ककर अपनी माता को नहीं छोड़ते हैं तो मनुष्य क्यों छोड़े । यही भावना रही तो फिर मैं समझता हूं कि न किसी मारैलिटी की आवश्यकता है, न किसी मारल ला की और न किसी और ला की आवश्यकता है । इस तरह आप को पीनल कोड में से भी अनेक इस प्रकार के क़ानून निकाल देने पड़ेंगे । (इस समय घंटी बजी)

श्री अलगू राय शास्त्री (जिला आजमगढ़—पूर्व व जिला बलिया—पश्चिम): यह बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिये मेरी राय है कि पंडितजी को ज़रा बोलने दीजिये । दस मिनट और समय दिया जाय ।

उपाध्यक्ष महोदय : यह तो पहली घंटी है ।

श्री नन्द लाल शर्मा : मैं केवल दो शब्द और कह कर बैठने का प्रयत्न करूंगा । मैं यह कहना चाहता हूं कि यह केवल हिन्दू धर्म के सिद्धान्तों के विरुद्ध है, ऐसी बात नहीं । यह इस्लाम के सिद्धान्तों के विरुद्ध है । जब हम यहां संसद् में बैठते हैं तो सभी जातियों और सम्प्रदायों का ध्यान रखना हमारा कर्तव्य हो जाता है । ऐसी परिस्थिति में जो सिद्धान्त यहूदियों के हैं, उन सिद्धान्तों के भी यह विरुद्ध है । यह रोमन कैथालिकों के सिद्धान्तों के भी विरुद्ध है । यदि हम बाक़ी धर्मों का भी निरीक्षण करने लगे तो वहां भी ऐसे प्रतिबन्ध लगे रखे हैं कि यह उन के विरुद्ध पड़ेगा, इस तरह का अन्धेर हिसाब इस बिल में है कि मैं तो यह समझता हूं कि वाम मार्ग से भी यह दस गुना अधिक होगा । चाहे जो पुरुष हो, चाहे जो स्त्री हो, बस रास्ता चलते हुए साथ हो गया और रजिस्ट्रार के सामने चले गये और विवाह कर लिया । इसलिये मेरा निवेदन है कि मैं इस बिल का सिद्धान्ततः विरोध करता हूं ।

फिर यह बात कि यह परमिसिव है, यह भी केवल धोका देने की चीज़ है । जनता

की आंखों में धोका डालने की बात है जो बेचारी क़ानून को अच्छी तरह देख भी नहीं सकती । जब आप मानोगैमी को एनफोर्स करते हैं तो जनता के लिये कोई कंडीशन नहीं छोड़ते, उसी दिन उस के लिए आप डाइवोर्स को ज़बरदस्ती उस के परिणाम-स्वरूप ले आते हैं । एक विवाह, एक पत्नी का जो रूप हम रख दें, एक पत्नी-पति का, तो उस के बाद यदि किसी कारण से कामना पूर्ण न हो तो फिर डाइवोर्स के अतिरिक्त दूसरा कोई मार्ग नहीं है । इसलिये यह कह देना कि डाइवोर्स केवल परमिसिव है, यह बिल्कुल झूठी बात है और जनता के साथ अन्याय और धोका करना है । फिर मानो-गैमी का क्या रूप आता है, यह मैं केवल जब अनुकूल समय आवेगा तब कहूंगा ।

इस सम्बन्ध में कहीं कहीं रामराज्य का नाम लिया जाता है कि कैसे राम ने एक पत्नीव्रत रखा था । हम भी कहते हैं कि एक पत्नी से बढ़ कर दूसरा आदर्श समाज के लिये कभी हो नहीं सकता, किन्तु शास्त्रों ने एक से अधिक पत्नी का निषेध किया हो, ऐसा नहीं है । जिस समय पुत्र की उत्पत्ति नहीं हो सकती हो, कुल के चलाने में हानि होती हो तो ऐसी परिस्थितियों में स्त्री की अनुज्ञा ले कर, अनुमति ले कर, दूसरा विवाह हो सकता है । ऐसा शास्त्रकारों का मत है । मेरा विश्वास है कि यह ऐसी आज्ञा दूसरे भी स्थानों पर दी गयी है ।

मैं इस समय इतना ही निवेदन करूंगा कि हिन्दू जाति के दृष्टिकोण से ही नहीं, बल्कि सारे समाज के हित के दृष्टिकोण से देखा जाय तो भी यह बिल महान हानि-कारक है । यह सिद्धान्त मान भी लिया जाय कि परमिसिव है तो जैसे आत्महत्या में पर-मिशन नहीं दी जा सकती कि जो चाहे आत्म-हत्या करे, जो चाहे न करे, परमिसिव कर दिया जाय, तो वह नहीं हो सकता । जैसे चौर्य और डकैती की परमिशन नहीं दी जा सकती, परमिसिव बना कर, कि जो चाहे करे, जो चाहे न करे, जैसे भ्रष्टाचार की अनुमति नहीं दी जा सकती कि जो चाहे करे, जो चाहे न करे, क्योंकि यह सब एक नियम के विरुद्ध है, उसी प्रकार इस के लिये भी परमिशन नहीं दी जा सकती । सदाचार के नियम के अनुसार इस की पर-मिशन देना सर्वथा अनुचित है । यह परशिमन का जो आरग्यूमेंट है यह भी हमारी मारैलिटी के ऊपर एक धोका देना है । इसलिये देश जाति के नाम से, अपनी जनता के नाम से, लोकतंत्र के नाम से और अपने को धर्म निरपेक्ष कहने के नाम से, हम कहते हैं कि किसी भी धर्म पर आप कुठाराघात न करें । नहीं तो आप को यह भी याद रहे कि जनता की आवाज़ बड़ी भयंकर है । रावण की लड़ाई भी लोगों ने लाखों वर्षों तक सही, लेकिन अन्त में उस को मारा तो आज तक यह लड़ाई याद रखी जाती है, हर साल उस का मुर्दा फूंकते हैं, भरवाते हैं और विभीषण को अमर बनाते हैं । इसी तरह दुर्योधन का भी हाल हुआ ।

इन शब्दों के साथ समाप्त कर के मैं आप को धन्यवाद देता हूं ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : हम इस विधेयक का समर्थन इस कारण से करते हैं कि इसके निहित सिद्धान्त प्रगतिशील हैं । इसका सम्पूर्ण विचार यह है कि धर्म का प्रत्याख्यान किये बिना जैसा कि १८७२ के विधेयक में यह आवश्यक था, विवाह को एक संविदा के रूप में स्वीकार करने का अवसर दिया जाय । हम इसका समर्थन इस कारण से भी करते हैं कि हमें आशा है कि भारत के नाग-रिकों पर लागू होने वाले विधान के संग्रही-करण की ओर यह पहला पग है । धर्म के प्रत्याख्यान किये बिना संविदा के रूप में विवाह का अधिकार देना इसी सिद्धान्त का

[श्रीमती रेणु चक्रवर्ती]

विधेयक के कुछ खंडों में प्रत्याख्यान किया गया है।

कुछ लोगों का विचार है कि यह हिन्दू समाज, हिन्दू धर्म के विरुद्ध है। समाज का ढांचा तो बदलता रहता है। यहां तक कि समाज की रीतियां भी बदल गई हैं। हमारा विश्वास है, और हम इस तथ्य को मानते हैं कि विवाह के सम्बन्ध में एक व्यक्ति को पूरी स्वतन्त्रता होनी चाहिए। अतएव संविदा के रूप में विवाह का जैसा कि इस विधेयक में कहा गया है हम समर्थन करते हैं। यह हो सकता है कि हम यह न चाहें कि हमारे पुत्र तथा पुत्रियां अपनी इच्छानुसार विवाह करें अथवा आजकल के ज़माने के अनुसार कार्य न करें, चाहे इस विषय में हमारे कितने ही कठोर विचार क्यों न हों, किन्तु हमें यह मानना होगा कि अब नया युग आ गया है, विचार बदल गये हैं, और इन नये विचारों के अनुसार विधान बनाना होगा। इस प्रकार के विवाहों को हम अवैधानिक नहीं रहने देंगे। इस प्रकार के विवाहों से उत्पन्न होने वाले बच्चों के बारे में तथा नवयुवक एवं नवयुवतियों के बारे में जो कि जीवन की नई आवश्यकताओं के अनुसार कार्य कर रहे हैं उनकी खुशी के बारे में भी सोचना होगा। चाहे हम इन्हें पसन्द करें अथवा न करें, हमें इसे स्वीकार करना होगा, और इसके लिए हमें विधान बनाना होगा।

वर्तमान स्थिति यह है कि यह विधेयक इस बात की छूट देता है कि लोग अपनी इच्छानुसार कार्य करें क्योंकि अब भी बहुत से यिव्क्त हैं जो रूढ़िवादी हैं जो प्रथागत विधानों के अनुसार विवाह करना चाहते हैं। उनको ऐसा करने से यह विधेयक रोकता नहीं है।

इसके पीछे सिद्धान्त आधुनिकता का है इसी कारण हम इसका समर्थन करते हैं। धर्म निरपेक्ष होने की घोषणा किये बिना अथवा धर्म का प्रत्याख्यान किये बिना विवाह को संविदा के रूप में मान्यता देने की एक ही बात १८७२ के विधान में जोड़ दी गई है। अन्यथा यह वही पुराना १८७२ का अधिनियम है।

रूढ़िवादी व्यक्तियों ने १८७२ के अधिनियम का पालन करने से रोकने के लिए नाना प्रकार के ढंग अपनाये। इसम पुराने अधिनियम की अन्य बातें ज्यों की त्यों रखी गई हैं, और आधुनिक मागों की इसके द्वारा सन्तुष्टि नहीं होती। अतएव मेरा कहना है कि यह विधेयक स्वतः ही अपने उद्देश्य को असफल कर देगा। सिद्धान्त अच्छे हैं, किन्तु इसमें वही खंड हैं जो कि इस प्रकार के विवाह करने वाले व्यक्तियों को कष्ट देने वाले हैं, अतएव विधेयक की यही बात बुरी होगी, अतएव इसी कारण मैं कहती हूं कि यह विधेयक ऐसा है कि इस हाथ देता है और उस हाथ ले लेता है। यह तो एक प्रकार से नकारात्मक विधेयक है जो कि समय की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करता। अतएव हम ज़ोरदार शब्दों में यह मांग करते हैं कि संयुक्त पारिवारिक सम्पत्ति से अलग करने के सम्बन्ध में रखे गये खंड नहीं होने चाहियें। जब हम यह बात मानते हैं कि इस विधेयक के अनुसार विवाह करने से व्यक्ति जातिच्युत नहीं होंगे अथवा धर्म का प्रत्याख्यान नहीं करेंगे तो फिर परिवार से विच्छेद और संयुक्त परिवार का अंश होने से मना करने वाला यह खंड फिर क्यों है?

दूसरी बात यह है कि यह विधेयक निर्देश द्वारा विधान बनाना है। सदैव आपको पुराने अधिनियमों का निर्देश देना है। जो कि कुछ मामलों में तो बहुत पहिले पारित हुए हैं तथा कुछ मामलों में अभी हाल ही में। किन्तु सामान्य रूप से ये पुराने अधिनियम हैं जिनका

कि निर्देश इस विधेयक में किया गया है। किन्तु जब कि स्थिति बदल गई है, और हमें वास्तव में नये विधान की आवश्यकता है, तो निश्चय ही स्वयं पूर्ण रूप में हमें विधान बनाना चाहिए न कि निर्देश द्वारा। विधान का सम्बन्ध केवल शब्द रचना में कौशल से नहीं है वरन् इसे समय की मांग को पूरा करना चाहिये। इस लिए केवल निर्देश द्वारा विधान प्रस्तुत नहीं करना चाहिये।

जब हम संविदा रूप विवाह को स्वीकार कर लेते हैं तो जाति के चले जाने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता और जाति निर्योग्यता निवारण अधिनियम की आवश्यकता नहीं रह जाती और न सम्बन्ध विच्छेद का प्रश्न उत्पन्न होता है। आज भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम का कोई उपयोग नहीं रहा क्योंकि आज ईसाई अथवा अन्य धर्मों में कोई अन्तर नहीं रहा। इस लिए इस विधेयक से कई अनियमित बातें उत्पन्न होने का भय है। यदि भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम को उन विवाहों पर लागू किया गया जो पहले हुए थे परन्तु अब उन्हें पंजीबद्ध किया जाएगा तो बच्चों की वैधता के सम्बन्ध में उलझनें उत्पन्न हो जाएंगी।

फिर भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की ओर निर्देश किया गया है। २९ तथा ५८ धाराओं का इस में समावेश करके हम और कठिनाई उत्पन्न कर रहे हैं। उदाहरणतः उन बच्चों के उत्तराधिकार के सम्बन्ध में कोई विधि नहीं है जो पहले विवाहों के हैं?

हमें बहुत पुराने और अनुपयोगी अधिनियमों की ओर निर्देश किया जा रहा है जो इसके सिद्धान्त के विरुद्ध हैं और अधिक कठिनाइयां तथा त्रुटियां उत्पन्न करते हैं। हम अनुभव करते हैं कि पुरानी विधियों की ओर निर्देश के बिना नई विधियों का निर्माण करना चाहिये।

हमें बच्चों के सम्बन्ध में विचार करते हुए प्रत्येक बात के सम्बन्ध में सोचना चाहिये। बच्चों के संधारण तथा वैधता के सम्बन्ध में प्रत्याभूति मिलनी चाहिये। ऐसे कुछ मामले अवश्य होंगे इस लिए इन के सम्बन्ध में उपबंधों की आवश्यकता है। बच्चों को परिवार में ही रहना चाहिये उन के साथ सम्बन्ध विच्छेद से भी और उलझनों का भय है।

विधेयक में अनुमति का प्रश्न भी रखा गया है। इस से भी उलझनें उत्पन्न होंगी। हिन्दू विवाह विच्छेद तथा विवाह विधेयक में अनुमति देने की आयु १६ वर्ष है जबकि यहां २१ वर्ष है। जब पहले १६ वर्ष की आयु का उपबंध है तो यहां भी उसे स्वीकार करना चाहिये था। इस सम्बन्ध में भी कोई उपबंध नहीं किया गया कि पिता की अनुपस्थिति में कौन संरक्षक होगा।

जब हम ने पुराण पंथी ढंग की अवहेलना करके विवाह की नई प्रणाली को अपना लिया है तो संरक्षक की अनुमति का प्रश्न नहीं रहना चाहिये।

अन्त में मेरा निवेदन है कि हमें बच्चों के लिए सुखद घर के निर्माण, तथा पारस्परिक प्रेम और आदर पर आधारित संविदा के विवाह की आवश्यकता है। इस से नैतिकता को कोई धक्का नहीं पहुंचता इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक के सिद्धान्त का समर्थन करती हूं।

डा० एन० बी० खरे : मैं केवल विशेष विवाह की इस प्रस्थापना के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं जो कि विधि मंत्री ने प्रस्तुत की है। इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में सभा के विचार में आकस्मिक परिवर्तन हुआ है। तिथि १४ को जब पहले जब पहले यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया तो बहुमत के दल की बहु संख्या भी प्रस्ताव के विरुद्ध थी। परन्तु आज सभा प्रस्ताव से बहुत कुछ सहमत नजर आती है।

[डा० एन० बी० खरे]

मैं समझता हूं कि इस विशेष विवाह से हमें कुछ प्रेम सा हो गया है और प्रेम तो अंधा है उसका नियमों से कोई सम्बन्ध नहीं।

[श्री पाटस्कर अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]।

सभा के दृष्टिकोण में परिवर्तन के सम्बन्ध में मुझे पौराणिक गाथा की याद आ जाती है जिस में कृष्ण भगवान् मुरली की मधुर ध्वनि से गोपियों और गायों को पथ पर लाया करते थे। इसी प्रकार यहां किसी एक व्यक्ति के मधुर मंत्र से सैकड़ों गोपियां आकर्षित हो जाती हैं और नाचने लगती हैं।

मैं एक विवाह का समर्थक हूं। इस विधेयक में भी एक विवाह का समर्थन किया गया है। परन्तु इस सभा में तो कई गोपियों का एक ही गोपी वल्लभ है।

पंडित के० सी० शर्मा : इस देश में हिन्दू, ईसाई और मुस्लिम धर्मों में विवाह संस्था व्यक्तिगत विधि से शासित है। परन्तु कुछ ऐसे विवाह भी हुए जिन में लोगों का कोई भी धर्म नहीं था। इस लिये १८७२ में विशेष विवाह अधिनियम पारित किया गया। इसके अधीन संविदा के आधार पर विवाह किया जा सकता था जिस में युवक युवती को अपनी पत्नि के रूप में और युवती युवक को पति के रूप में ग्रहण कर लेते थे। पति, तथा पत्नी शब्दों में भी विशेष अभिप्राय तथा अर्थ है। इस लिए वह विवाहित दम्पत्ति सामाजिक व्यवहार तथा नैतिकता को तिलांजलि नहीं दे देते थे। ऋग्वेद में भी कहा है कि युवक और युवती विवाह करें और समाज के कल्याण के लिए वीर बच्चे उत्पन्न करें। इस प्रकार आग्रह यज्ञ करने पर नहीं है वरन् समाज तथा जाति के कल्याण पर है। ऋग्वेद के उद्धरण के अनुसार धर्म तो पृष्ठ भूमि में रह जाता है। सर्वप्रथम प्रश्न जाति का है। इसलिए यदि हम ऋग्वेद के भाव को स्वीकार करें तो एक हिन्दू वंश वृद्धि के लिए एक अहिन्दु से विवाह कर सकता है।

१९२३ में सर हरी सिंह गौर ने १८७२ के विधेयक का संशोधन प्रस्तुत किया जिसके अनुसार यह उपबंध किया गया कि यदि विवाह करने वाले दोनों व्यक्ति एक ही धर्म के हों तो वे इस प्रकार की घोषणा करें कि वे एक ही धर्म के हैं। अब प्रस्तावित अधिनियम में इस संशोधन के उपबंध को समाप्त किया जा रहा है। अर्थात् विशेष विवाह को सर्वथा संविदा का रूप दे दिया है। परन्तु इस का यह अभिप्राय कदापि नहीं है कि इससे जीवन की नैतिकता समाप्त हो जाएगी। इस विधेयक के अधीन धर्म आदि के विचार के बिना कोई भारतीय किसी अन्य भारतीय के साथ विवाह कर सकेगा।

अब तक ऐसा भी होता रहा है कि कोई व्यक्ति किसी युवती से विवाह करने की इच्छा से अपने धर्म सम्बन्धी गलत घोषणा कर देता था। अब प्रस्तावित विधेयक के अनुसार उसे इस प्रकार की गलत घोषणा नहीं करनी पड़ेगी।

विधि आर्थिक, सामाजिक बौद्धिक तथा नैतिक स्थितियों के अधीन बनाई जाती है। किसी विधि के अच्छे अथवा बुरे होने का आधार परिस्थितियां होती हैं। बम्बई में हाल में ऐसा विवाह हुआ है जिस में दम्पत्ति रजिस्ट्रार के पास भी नहीं गया और उन्होंने पति पत्नी के रूप में रहने के लिए कुछ शर्तों को स्वीकार कर लिया। इससे विदित होता है कि इस प्रकार की विधि परिस्थितियों के सर्वथा अनुसार है।

इसमें "दूसरी प्रकार से हुए विवाहों को पंजीबद्ध करना" शीर्षक का एक परिच्छेद है। विशेष विवाह अधिनियम में यह संशोधन

किया गया था कि यदि विवाह किसी अन्य प्रकार से किया गया हो और पति पत्नि सहमत हों तो वे विवाह को उक्त अधिनियम के अधीन ला सकते हैं। इसमें कुछ नवीनता नहीं है। मैंने इस संशोधन का इस आधार पर विरोध किया था कि इससे उत्तराधिकार के मामले में दो विधियां अर्थात् उत्तरजीवी विधि और उत्तराधिकार की विधि लागू होंगी। मेरा अब भी यह मत है कि अन्य प्रकार से हुए विवाह को पंजीबद्ध करना अच्छी विधि नहीं है क्योंकि धर्मानुसार हुआ विवाह केवल पवित्र ही नहीं होता वरन् उस संविदा का भी कुछ अंश रहता है। पति पत्नी कुछ उत्तर-दायित्वों को स्वीकार करते हैं। वे उन उत्तर-दायित्वों को कभी भी अस्वीकार नहीं कर सकते। इस विधेयक में अनैतिक कुछ नहीं हैं। आप चाहे सामाजिक पवित्रताओं के आधार पर विवाह बंधन को स्वीकार करें अथवा पवित्र पुस्तकों के आधार पर ऐसा करें, बात एक ही है। जब मैं कहता हूं कि विधि में बौद्धिक आधार भी रहना चाहिये तो उस में नैतिकता स्वतः ही आ जाती है। आज की परिस्थितियों के अनुसार ऐसी विधि की आवश्यकता है। इस में नैतिक सिद्धान्तों का विरोध कदापि नहीं है।

श्री डी० सी० शर्मा (होशियारपुर) : मैं समझता हूं कि यह प्रश्न लोगों की सामाजिक विवेक का माप बन रहा है। किसी भी प्रगतिपूर्ण सामाजिक विधान के लिए आश्चर्यजनक प्रतिक्रिया का होना स्वाभाविक है। इस लिए मैं कुछ माननीय सदस्यों के इस तर्क पर स्तंभित नहीं हुआ कि इस विधेयक से स्वर्ग भूमिसात हो रहा है। मुझे विश्वास है कि स्वर्ग का पतन नहीं हो रहा। मैं समझता हूं कि इससे हमारा नया सामाजिक दृष्टिकोण बनेगा और हमारे गृह जीवन और सामाजिक जीवन को शक्ति प्राप्त होगी। मैं कल भाषण को जारी रखूंगा।

विस्थापित व्यक्तियों को अन्तरिम प्रतिकर

सभापति महोदय : अब हम पाकिस्तान में छोड़ी सम्पत्तियों के लिए विस्थापित व्यक्तियों को अन्तरिम प्रतिकर या क्षतिपूर्ति देने के सम्बन्ध में योजना के महत्वपूर्ण विषय पर विचार करेंगे। माननीय सदस्य श्री गिडवानी ने इसकी सूचना दी है। हमारे पास केवल एक घंटे का समय है, इस लिए माननीय मंत्री और श्री गिडवानी को १५, १५ मिनट मिलेंगे तथा अन्य प्रत्येक सदस्य को ५ मिनट दिये जायेंगे।

श्री गिडवानी (थाना) : सरकार ने अचल नागरिक सम्पत्ति के सम्बन्ध में प्रतिकर की जिस योजना की घोषणा की है, उसमें बहुत त्रुटियां हैं। लोगों में यह धारणा थी कि ७५ प्रतिशत दावेदारों को प्रतिकर मिल जायेगा। किन्तु यह ठीक नहीं। वर्तमान योजना के अन्तर्गत कुल ४,५०,००० दावेदारों में से, जिन के दावों की पड़ताल हो चुकी है, केवल ५०,००० दावेदारों को प्रतिकर मिल सकेगा। ये पहली श्रेणी के या अति प्राथमिकता प्राप्त दावेदार होंगे और इन्हें तीन या चार मास बाद प्रतिकर मिल जायेगा इस के बाद दूसरी श्रेणी के १५०,००० दावेदारों के दावे चुकाये जायेंगे। इस में कम से कम एक वर्ष लगेगा। उसके बाद तीसरी श्रेणी के २½ लाख या तीन लाख दावेदारों के दावे चुकाये जायेंगे और इस में दो या तीन वर्ष और लगेंगे। यह देख कर विस्थापित व्यक्तियों को, जिन्होंने यह समझा था कि ६ वर्ष और तीन मासों के बाद अब प्रतिकर दिया जाने लगा है, बहुत निराशा हुई है और उन में बहुत असंतोष फैल गया है।

माननीय मंत्री ने जब यह योजना प्रसारित की थी, तो विस्थापित व्यक्तियों ने यह समझा था कि १–११–१९५३ से उन सब दावेदारों को जो कि अब भी निष्क्रांत

[श्री गिडवानी]

या सरकार द्वारा बनाये हुए मकानों में रहते हैं किराया नहीं देना पड़ेगा । समाचार पत्रों में भी इस अभिप्राय के समाचार प्रकाशित हुए थे । किन्तु बाद में सरकार ने यह घोषणा की कि उन से किरायों और ऋणों की किश्तों की वसूली उस समय तक जारी रखी जायेगी, जब तक कि उन के दावे नहीं चुका दिये जाते । इस बात को देख कर ही मैं कहता हूं कि यह योजना त्रुटिपूर्ण है और इस से बहुत लोगों को लाभ नहीं पहुंचेगा । अधिकांश शरणार्थियों को बहुत देर तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी । उन लोगों को जिन्होंने सरकार से किसी प्रकार की सहायता नहीं ली या जिन्होंने निष्क्रांत मकान नहीं लिये तो तीन या चार वर्ष तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी । यह समझ लेना कि ऐसे लोग धनवान हैं गलत है । हो सकता है कि इन में से १०प्रतिशत, १५ प्रतिशत या २० प्रतिशत की स्थिति अच्छी हो किन्तु अधिकांश की स्थिति दयनीय है । आप समझ सकते हैं कि यदि बहुत से विस्थापित व्यक्तियों को सहायता प्राप्त करने में तीन या चार वर्ष लगे, तो ये इस योजना का क्या स्वागत करेंगे ।

एक और बात की ओर मैं माननीय मंत्री का ध्यान दिलाना चाहूंगा । यदि वे समझते हैं कि इस सारे प्रश्न का निर्णय पाकिस्तान के साथ समझौता कर के हो जायेगा, तो यह उनका भ्रम है । मैं उन्हें बतला देना चाहता हूं कि पाकिस्तान कभी समझौता नहीं करेगा । अगस्त से लेकर आज तक हमारी सरकार पाकिस्तान को ११ पत्र भेज चुकी है किन्तु अभी तक कोई उत्तर नहीं मिला । इसी लिए मैं कहता हूं कि हमें यह भ्रम दूर कर देना चाहिए । सरकार को सारी निष्क्रांत सम्पत्ति का संग्रह कर लेना चाहिए और कम से कम वे मकान जो सरकार ने बनाए हैं लोगों को स्थायी आधार पर देने शुरू कर देने चाहियें । इन्हें बेच कर इन का स्वामित्व लोगों को देना चाहिए, ताकि उनकी साख बढ़े । सरकार को अपनी ओर से भी पर्याप्त अंशदान देना चाहिए । ऐसा करने से ही लोगों में उत्साह पैदा हो सकेगा और विस्थापित अपनी पुरानी शिकायतों को भूल जायेंगे ।

मैं माननीय मंत्री से अपील करता हूं कि वे पहली, दूसरी और तीसरी श्रेणी के दावेदारों से किराये और ऋणों की वसूली बन्द कर दें और वे शीघ्र यह घोषणा करें कि पहली किस्त, चाहे वह नकदी के रूप में हो, वस्तु के रूप में हो या बांड के रूप में, सब दावेदारों को दी जायेगी । मैं आशा करता हूं कि सरकार मेरे सुझाव पर सावधानी से विचार करेगी ।

सरदार हुकम सिंह (कपूरथला-भटिंडा) : यह पहले कहा जा चुका है कि अधिकांश दावों की पड़ताल हुई ही नहीं है । मैं इस बात को फिर कहना चाहता हूं कि सारी चल सम्पत्ति और ग्रामीण अचल सम्पत्ति पर ध्यान नहीं दिया गया । नियम यह है, कि यदि किसी दावेदार की जिसे चार एकड़ से कम भूमि दी गई है, सम्पत्ति का दावा १०,००० रुपये से कम का हो, तो उसे शुमार नहीं किया जायेगा । इसी तरह उस ४ एकड़ से अधिक भूमि वाले दावेदार का दावा भी, यदि यह २०,००० रुपयें से कम हुआ, शुमार नहीं किया जायेगा । ऐसे लोगों की संख्या बहुत है और इस नियम से उन्हें बहुत हानि हुई है । यद्यपि सरकार का कहना है कि वह गरीब लोगों का ख्याल रखती है, फिर भी जहां तक दावों की पड़ताल का सम्बन्ध है, इन सब गरीब काश्तकारों, भूमिहीन मज़दूरों छोटे छोटे किसानों, कारीगरों और दुकानदारों की उपेक्षा की गई है । हमें आशा थी कि पडताल किये हुए दावों की कम से कम ६० प्रतिशत राशि तो दी जायेगी । परन्तु अब जबकि समय आया है, ज्ञात हुआ है कि यह राशि इससे बहुत कम है । इस लिए लोगों

में निराशा की भावना है। मेरा निवेदन यह है कि इन लोगों के दावों की पड़ताल की जानी चाहिए और प्रतिकर का जो भी भाग उन के हिस्से में आये, वह उन्हें मिलना चाहिए। दूसरी बात यह है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं, जो कि कालावधि के समाप्त हो जाने के कारण अपने दावों की पड़ताल नहीं करवा सके थे। इन लोगों को दंड न मिलना चाहिए। मैं कुछ ऐसे मामले जानता हूं जिनमें कुछ लोग कालावधि के समाप्त हो जाने के बाद पाकिस्तान से आये हैं। इन लोगों के दावों की पड़ताल के लिए कुछ व्यवस्था की जानी चाहिए। तीसरी बात यह है कि उन लोगों से जिन के दावों की पड़ताल हो चुकी है, कोई किराया नहीं लेना चाहिए। इस समय कुछ सौ रुपयों का किराया या बकाया वसूल करने के लिए दबाव से काम लेना अच्छा नहीं लगता।

निष्क्रांत सम्पत्ति से मूल्यांकन के बाद अब इसका आवेदन किया जाना है। मेरे मित्र श्री गिडवानी ने कहा है कि स्वामित्व के अधिकार स्थायी रूप से दे देने चाहिएं। परन्तु कुछ लोगों ने इसे स्वीकार नहीं किया। इस सम्बन्ध में मेरा सुझाव यह है कि हम विस्थापित व्यक्तियों को स्थायी तुल्य अधिकार दे सकते हैं। यह प्रणाली अपनाने से वे लोग भी बेघर नहीं होंगे जिन्हें पहले से स्वामित्व अधिकार प्राप्त हैं।

श्रीमती सुचेता कृपालानी (नई दिल्ली): मैं माननीय पुनर्वास मंत्री को इस अन्तरिम क्षतिपूर्ति योजना के लाने पर बधाई देती हूं। हमें यह जान कर प्रसन्नता है कि लोगों को भुगतान भी किया जाने लगा है।

यह योजना पश्चिमी पाकिस्तान से आये ५०,००० शरणार्थियों के बारे में है, पूर्वी पाकिस्तान के शरणार्थियों पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस योजना के महत्व को अच्छी तरह समझने के लिये, हमें सबसे पहले यह देखना चाहिये कि शरणार्थियों को कितनी तरह के नुक़सान हुए। हम इन नुक़सानों को चार श्रेणियों में बांट सकते हैं। (१) निजी तथा घरेलू सामान का नुक़सान जिसमें लॉकर, सेफ़ डिपाज़िट आदि आते हैं। (२) व्यापार सम्बन्धी माल और सम्पत्ति का नुक़सान। इसमें करोड़ों रुपये का नुक़सान आता है क्योंकि वहां की बड़ी बड़ी फ़र्में अपनी इमारतें और माल वहीं छोड़ कर चली आई हैं; इस नुक़सान का अब तक कोई हिसाब नहीं लगाया गया है। (३) कृषि सम्पत्ति यानी ज़मीनों का नुक़सान। (४) नगरीय अचल सम्पत्ति का नुक़सान।

अब हमें यह देखना चाहिये कि इन चारों श्रेणी के नुक़सानों का किस तरह अन्दाज़ लगाया गया है। निजी तथा घरेलू सामान के बारे में एक के बाद दूसरा सम्मेलन होता रहा है परन्तु कोई नतीजा नहीं निकल सका है। हमें नहीं मालूम कि हमारे लोगों को अपने सामान के लिये, जिसे वे वहां छोड़ आये हैं, कुछ मिलेगा भी या नहीं। व्यापार सम्बन्धी माल क्षतिपूर्ति के क्षेत्र में नहीं आता। वहां जो गोदाम, बैंक, दुकानें आदि रह गई हैं उनके मूल्य का किसी ने निर्धारण नहीं किया। इसके लिये हमने पाकिस्तान के सामने अपना मामला भी नहीं रखा है।

जहां तक कृषि सम्पत्ति का सम्बन्ध है, पंजाब में सरकार ने ज़मीन के बदले ज़मीन देने की योजना क्रियान्वित करने का प्रयत्न किया था। बहुत से पंजाबी शरणार्थियों को ज़मीनें अर्द्ध-स्थायी आधार पर दी भी गई हैं। परन्तु सिन्ध, बिलोचिस्तान, बहावलपुर व उत्तर-पूर्व सीमाप्रान्त के शरणार्थियों के लिये कोई योजना नहीं बनाई गई है। ये शरणार्थी जानना चाहते हैं कि इन्हें क्या दिया जायेगा। इस योजना में भी ज़मीन देने में कटौती लगा दी गई है। फिर ज़मीन की क़िस्म

[श्रीमती सुचेता कृपालानी]

के प्रश्न को बिल्कुल छोड़ दिया गया है। हमारे यहां के लोग लायलपुर और मंटगुमरी में बहुत अच्छी ज़मीनें छोड़ कर आये हैं। इस चीज़ की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। हमारे शरणार्थी पाकिस्तान में जो ज़मीन छोड़ कर आये हैं वह मुसलमानों द्वारा यहां छोड़ी गई ज़मीन से कहीं अधिक है। परन्तु हमने इसके बारे में पाकिस्तान से कोई दावा नहीं किया है।

इसके बाद हम नगरीय अचल सम्पत्ति पर आते हैं। सरकार ने जो हिसाब लगाया है उसके अनुसार पाकिस्तान में छोड़ी गई सम्पत्ति का मूल्य ५०० करोड़ रुपये है। मुस्लिम निष्क्रांत सम्पत्ति का मूल्य ९० करोड़ रूपये होता है। इन दोनों में काफ़ी अन्तर होने के कारण सरकार ने कुछ रुपया दिया है और ऋणों तथा मकानों पर खर्चा किया है जो ८० करोड़ आता है। इस तरह ९० और ८० यानी १७० करोड़ रुपया क्षतिपूर्ति देने के लिये उसके पास है। परन्तु आप सरकार का हिसाब लगाने का तरीक़ा देखिये। हमें बताया गया है कि शरणार्थियों को सहायता देने पर सरकार ने अब तक २०० करोड़ रुपया लगाया है। क्षतिपूर्ति देने के लिये इन २०० करोड़ में से ८० करोड़ रुपया घटाया जाता है। इससे तो यह कहना ठीक होगा कि पुनर्वास पर १२० करोड़ रुपये खर्च हुए हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि यह हिसाब किस तरह लगाया जा रहा है।

अब, आप योजना की और बातें देखिये। हमने जितने दावों की जांच की है। उनमें से पुनर्वास मंत्री ने शुरू में ५०,००० लोगों को क्षतिपूर्ति देना स्वीकार किया है। ऐसे भी बहुत से लोग होंगे जिन्होंने दावे प्रस्तुत ही न किये हों और जिनके दावों की जांच ही नहीं हुई हो। जो लोग पहली प्राथमिकता की श्रेणी में आते हैं वे वो लोग हैं जिन्हें निर्वाह भत्ता दिया जा रहा है और जो आश्रमों में रह रहे हैं। मैं आपका ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि जो निर्वाह भत्ता उन्हें दिया जाता है वह सरकारी अनुदान में से नहीं, बल्कि निष्क्रांत सम्पत्ति से होने वाली आय में से दिया जा रहा है। इसलिये, निर्वाह भत्ता भी हमें शरणार्थियों में बांटे जाने वाली क्षतिपूर्ति से प्राप्त हो रहा है।

फिर आश्रमों को लीजिये। दूसरी श्रेणी में जिसे हम क्षतिपूर्ति दे रहे हैं आश्रमों में रहने वाली विधवायें और स्त्रियां आती हैं। हरेक विधवा को ५०० से १८०० रुपये तक राशि मिलेगी। इन विधवाओं का निर्वाह चलाना सरकार की ज़िम्मेदारी है परन्तु अब क्षतिपूर्ति के रूप में इतना थोड़ा रुपया देकर वह इस ज़िम्मेदारी से अलग हो रही है और अपना बोझ हल्का कर रही है।

इस योजना के मुख्य भाग का प्रभाव उन शरणार्थियों पर पड़ेगा जो १८ या २० शरणार्थी बस्तियों में रह रहे हैं। जैसा मैं पहले बता चुकी हूं दावों पर बहुत संकुचित तथा सीमित आधार पर विचार हुआ था। इसके अलावा, उन्हें क्षतिपूर्ति के रूप में अपने दावों का केवल २० या २५ प्रतिशत भाग मिलेगा। यह दूसरी कटौती है; फिर, एक व्यक्ति को दो लाख रुपये से अधिक नहीं मिल सकता। इसके अतिरिक्त, दावों का निर्धारण सरकार ने किया है और क्षतिपूर्ति देते समय सम्पत्ति का निर्धारण भी सरकार ही करेगी। राजेन्द्रनगर का ही उदाहरण लीजिये। वहां ज़मीन शायद १ रु० ८ आ० प्रति गज़ के हिसाब से ली गई थी; अब ज़मीन के दाम बढ़ कर ५ रु० प्रति गज़ हो गये हैं। मकान २७०० या ३००० रु० की लागत पर बने थे। अब उनका मूल्य ४००० और ५००० तक आंका जा रहा है। इस तरह भी शरणार्थियों को नुक़सान ही हो रहा है।

इसके अलावा आप यह देखिये कि शरणार्थियों को सम्पत्ति तो मिलेगी परन्तु वे उसके मालिक नहीं हो सकेंगे । जहां तक निष्क्रांत सम्पित्ति का सम्बन्ध है, उस पर स्वामित्व अधिकार न देने को तो समझा जा सकता है, परन्तु सरकारी सम्पत्ति में भी उनको स्वामी बनने से रोकने की बात समझ में नहीं आती । यह एक ग़लत चीज़ है और मैं आशा करती हूं कि सरकार इस पर विचार करेगी ।

मैंने इस योजना की जो आलोचना की है वह इसलिये नहीं की है कि मैं सिर्फ़ आलोचना करना चाहती हूं । मैंने समस्या को और अच्छी तरह सुलझाने की भावना से ऐसा किया है । मेरा यह सुझाव है कि संसद् की एक समिति बनाई जाये, जिसमें विभिन्न दृष्टिकोण रखने वाले लोगों का प्रतिनिधित्व हो, जो क्षतिपूर्ति देने के काम में सरकार की सहायता करे और कठिन मामलों में उसे राय दे सके ।

श्री अलगूराय शास्त्री (ज़िला आज़मगढ़—पूर्व व ज़िला बलिया—पश्चिम) : श्रीमान् जी, मैं इससे पहले कि माननीय मंत्री जी साहब कुछ कहें, एक सुझाव देना चाहता हूं कि ११ खतों का जवाब तो नहीं आया, अब १२ वां खत और चला जाये जिसमें यह लिखा हो :

"मिटने वाला मिट गया,
फिर सलाम आया तो क्या,
दिल के मिट जाने के बाद,
उनका प्याम आया तो क्या ।"

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : मैं अन्तरिम क्षतिपूर्ति योजना के बारे म कुछ शब्द कहने के लिये इस अवसर का स्वागत करता हूं । मुझ से ज्यादा किसी और को इस बात का ख्याल नहीं हो सकता कि इस महत्वपूर्ण समस्या पर बहस करने के लिये जो समय दिया गया है वह बहुत कम है । मैं चाहता था कि इस विषय पर वाद विवाद करने के लिये हमें और अधिक समय मिलता ।

क्षतिपूर्ति की इस योजना को तैयार करने में, मेरी बराबर विस्थापित व्यक्तियों का सहयोग प्राप्त करने की इच्छा रही है । बख्शी टेकचन्द समिति, जिसमें केवल विस्थापित व्यक्ति ही थे इसी उद्देश्य से नियुक्त की गई थी । इस अवसर पर मैं इस समिति को, जिसने इस कार्य में बड़ी मदद की है, धन्यवाद प्रकट करता हूं ।

इस विषय पर आगे बढ़ने से पहले, मैं चाहता हूं कि सदन क्षतिपूर्ति योजना के बारे में सरकार की अथवा मंत्री की स्थिति को समझें । एक ओर तो परिसम्पत् है और दूसरी ओर प्रमाणित दावे । परिसम्पत् के दो भाग हैं एक निष्क्रांत सम्पत्ति और दूसरा वह अंशदान जो सरकार ने मकानों या अन्य सम्पत्तियों के रूप में तथा ऋणों के रूप में विस्थापितों को दिया है । इन दोनों को मिला कर जो परिसम्पत् हमारे पास है, उसी में से प्रभावित दावों के आधार पर क्षतिपूर्ति दी जायेगी । यहां मैं श्री गिडवानी द्वारा दिये गये कुछ आंकड़ों को ठीक करना चाहता हूं । प्रमाणित दावों की, जिनमें कृषि भूमि के दावे भी शामिल हैं, कुल संख्या लगभग ३,९०,००० है । इस में से २ लाख दावे नगरीय सम्पत्तियों के लिये हैं । १,५०,००० से कुछ कम दावे ग्राम्य सम्पत्तियों, मकानों आदि के लिये हैं और ४०,००० से कुछ अधिक कृषि भूमि के लिये हैं जिनमें से १०,००० केवल कृषि भूमि के लिये और लगभग ३०,००० कृषि भूमि और ग्राम्य मकानों के लिये हैं । आज मेरी स्थिति एक न्यासधारी की स्थिति की तरह है । एक ओर मुझे परिसम्पत् का कुछ भाग सौंपा जा रहा है, जिसे विस्थापित व्यक्तियों में एक निश्चित अनुपात में बांटा जाना है; यह अनुपात प्रमाणित दावों पर आधारित किया जायेगा । जहां तक प्रमाणित दावों का सम्बन्ध है, हमने इस विषय में अपनी पूरी कोशिश की है, परन्तु यदि कोई मुझ से

[श्री ए० पी० जैन]

यह पूछे कि क्या हर व्यक्ति के दावे को बिल्कुल ठीक तरह से प्रमाणित किया गया है तो मैं साफ़ कह दूंगा कि "नहीं"। इसमें ग़लतियां हुई हैं परन्तु फिर भी सामाजिक दृष्टिकोण से देखते हुए यह कहा जा सकता है कि शरणार्थियों में कोई भेदभाव नहीं हुआ है और समानता के आधार पर ही सारा काम हुआ है।

श्रीमती सुचेता कृपलानी ने उन दावों का ज़िक्र किया जो प्रमाणित नहीं हुए हैं। मैं सदन को यह सूचित करना चाहता हूं कि मैं संसद् के इस सत्र में एक विधेयक पुरः स्थापित कर रहा हूं जिसके अनुसार उन दावों को, जिन्हें प्रमाणित नहीं किया गया है या जिनका एक पक्षीय प्रमाणीकरण हुआ है और जिनके बारे में अधिसूचना जारी होने पर दुबारा जांच करने के लिये प्रार्थना की गई है; प्रमाणित किया जायेगा। इसके अलावा कुछ दावों की फिर से जांच करने के बारे में जो अलग प्रार्थनापत्र आये हैं उन पर भी विचार किया जायेगा। मैं विधेयक में एक खंड रख रहा हूं जिसके अनुसार ऐसे मामलों पर जिनमें कहीं कोई ग़लती हो गई हो, फिर से विचार किया जा सकता है; परन्तु मैं यहां यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि यदि इन दावों की फिर से कड़े पैमाने पर जांच शुरू कर दी गई तो इससे योजना को क्रियान्वित करने में और अधिक देर लगेगी। इसलिये इस विधेयक का क्षेत्र केवल ऐसे शरणार्थियों तक ही सीमित होगा जो दावों के प्रमाणीकरण के मामले में सहायता के पात्र होंगे।

गांव के मकानों, किरायों और अन्य बातों के मामले में बहुत से सुझाव दिये गये हैं। दावा करने वाले विभिन्न व्यक्तियों में इस सम्पत्ति के बांटे जाने का मामला शरणार्थियों के बीच का मामला है। जो किराया मैं वसूल कर रहा हूं वह क्षतिपूर्ति 'पूल' (संग्रह) में जाता है, सरकारी ख़जाने म नहीं। यदि कुछ वर्ग के लोगों के देहाती मकानों को प्रमाणीकृत न करने का फ़ैसला किया गया था, तो ऐसा फ़ैसला करने के उचित कारण मौजूद थे।

किसी विस्थापित व्यक्ति को जो मिलना चाहिए, उस से अधिक देता हूं तो वह अतिरिक्त धन किसी और विस्थापित व्यक्ति की जेब से जायगा। मैं इस सम्बन्ध में ग्रामीण मकानों का एक और उदाहरण देता हूं। पंजाब तथा पेप्सू में अर्ध-स्थायी संस्थापन से पहले, भारत और पाकिस्तान में, पश्चिमी पंजाब, पूर्वी पंजाब और पेप्सू में स्थित गांवों के सभी मकानों तथा कृषि भूमि के सम्बन्ध में फैसला हो गया था। पश्चिमी पंजाब के गांवों के २०,००० रुपये से कम मूल्य के सभी मकान और कृषि भूमि एक ओर थी और दूसरी ओर पूर्वी पंजाब और पेप्सू के गांवों के सभी ऐसे मकान और कृषि भमि। पश्चिमी पंजाब में छोड़ी गई कृषि भूमि तथा गांवों के मकानों के बदले पूर्वी पंजाब और पेप्सू में ज़मीनें बांट दी गईं। यदि हम गांवों में स्थित मकानों सम्बन्धी दावे फिर से सुनें तो जिन लोगों को ऐसे मकानों के लिए एक बार क्षतिपूर्ति मिल चुकी है, उन्हें दोहरी क्षतिपूर्ति मिल जायगी। यदि दोनों ओर की इस कृषि भूमि और गांवों के मकानों को लें तो हमें मालूम होगा कि भारत में इस प्रकार की सम्पत्ति का अनुपात, दोनों ओर छोड़ी गई सम्पत्ति की तुलना में नागरिक सम्पत्ति से बहुत अधिक है। उदाहरण के लिए जो व्यक्ति उस ओर दस एकड़ भूमि छोड़ आया है उसे इस ओर साढ़े सात एकड़ भूमि मिल गई है। इस में भूमि के गुण प्रकार—जैसे कि सिंचाई वाली भूमि है या नहीं, शहर के समीप है या नहीं आदि सभी बातों—का ध्यान रखा गया है। दोनों ओर की भूमि का परिमाप एकड़ों में किया

गया और जिस के पास उस ओर दस एकड़ भूमि थी, उसे ७,१/२ एकड़ भूमि दे दी गई। मैं तो यह कल्पनात्मक संख्या बता रहा हूं परन्तु मान लीजिए कि एक एकड़ का मूल्य ५०० रुपये है, तो उस ओर दस एकड़ भूमि छोड़ आने वाले का प्रमाणीकृत दावा ५००० रुपये का होगा। और इसकी तुलना में उसे ३७५० रुपये तो मिल ही चुके हैं। नगरों में सम्पत्ति छोड़ आने वालों में से ५,००० रुपये का दावा करने वालों को अन्तरिम योजना के अधीन क्या मिलेगा ? लगभग २३०० रुपये, मुझे इसमें सन्देह है कि अन्तिम योजना के अधीन भी यह राशि बढ़ कर ३,७५० रुपये होगी या नहीं। इससे यह पूर्णतया स्पष्ट है कि गांवों में रहने वालों को नगरों में रहने वालों की अपेक्षा कहीं अधिक क्षतिपूर्ति मिली है। यदि आप गांवों के मकानों सम्बन्धी दावों की पड़ताल फिर से करें तो क्षतिपूर्ति तो उसी सम्पत्ति में से दी जायगी जो हमारे पास है और इससे किसी अन्य को हानि तो पहुंचेगी ही। ऐसा करना उचित है या नहीं, यह प्रश्न विचारणीय है। मैंने इस पर काफ़ी समय तक विचार किया है और मुझे इस में कोई सन्देह नहीं है कि २०,००० या १०,००० रुपये से कम मूल्य के ग्रामीण मकानों की पड़ताल का कोई औचित्य नहीं। कुछ प्रकरणों में १०,००० रुपये से अधिक मूल्य के मकानों का मूल्यांकन करना मान कर हम ने रियायत ही की है।

यह प्रश्न उठाया गया है कि सभी किरायों का लेना रोक दिया जाय। हमने पहले पहल ५०,००० के लगभग लोगों से प्रार्थना पत्र मांगे हैं। इन लोगों से पहली नवम्बर से किराया लेना बन्द कर दिया गया है और आदेश दे दिए गए हैं। इन के बाद मैं ऐसे प्रत्येक व्यक्ति का मामला निपटाना चाहता हूं जो या तो किसी निष्क्रान्त मकान में रह रहा है या सरकार द्वारा बनाए गए मकान में। मेरा विचार एक ऐसी ही तिथि निश्चित करने का है जब से इस श्रेणी के लोगों से भी किराये लेना रोक दिया जायेगा। इन दोनों तिथियों के बीच कुछ ही मास का अन्तर होगा जोकि अधिक नहीं होगा। पैसे के लालच के कारण ये दो विभिन्न तिथियां निश्चित नहीं की जा रही हैं। प्रशासन की कठिनाई के कारण सारे किराये लेना रोक देने में बाधा आ रही है। हम किराया कैसे छोड़ते हैं ? पहली बात तो यह कि किसी व्यक्ति के दावे की पड़ताल हो चुकी हो और फिर वह क्षतिपूर्ति की प्रार्थना करे। इसप्रार्थना-पत्र में बहुत सी ब्योरेवार जानकारी देनी पड़ती है। हमें यह मालूम करना पड़ता है कि वह निष्क्रान्त मकान या सरकारी मकान में रह रहा है और तब प्रत्येक प्रकरण में एक चिट दे दी जाती है कि अब आप को किराया नहीं देना पड़ेगा। परन्तु यदि मैं यह घोषणा कर दूं कि निष्क्रान्त सम्पत्ति या सरकार द्वारा बनाए गए मकानों में रहने वालों से किराया नहीं लिया जायेगा तो दो और श्रेणियों के लोगों को भी, जिन्हें यह रियायत नहीं देनी है, इस का लाभ पहुंच जायेगा। उनके दावे नहीं हैं परन्तु चूंकि वे शरणार्थी हैं मैं उन्हें कुछ रियायत देने को तैयार हूं। बहुत से स्थानीय लोग भी हैं जो शरणार्थी नहीं हैं। लगभग एक लाख निष्क्रान्त सम्पत्तियां उनके अधिकार में हैं। विशेषकर बड़ी बड़ी सम्पत्तियां स्थानीय लोगों के हाथ में हैं। तो ये कठिनाइयां हैं। यदि माननीय सदस्य मुझे कोई ऐसी व्यवहार्य योजना बता सकें जिससे सरकारी अथवा निष्क्रान्त मकानों में रहने वाले अन्य लोगों को किराए का कुछ आराम मिल सके तो मैं उस पर विचार करने के लिए तैयार हूं।

एक और महत्वपूर्ण बात श्रीमती सुचेता कृपलानी ने उठाई और वह सरकार द्वारा बनाए गए मकानों के सम्बन्ध में है। उन्होंने कहा है कि राजेन्द्रनगर में भूमि सस्ती खरीदी

[श्री ए० पी० जैन]

गई थी और अब उस सम्पत्ति का मूल्य बढ़ गया है। यह बिल्कुल सच बात है; मैंने इस की पड़ताल करने का प्रयत्न किया है। ज़मीन के ५० या ६० टुकड़े ज़ब्त कर लिए गए थे। उनके लिए हम ने टेण्डर मांगे। कुछ प्रकरणों में मूल्य २०० प्रतिशत बढ़ा, कुछ में १०० प्रतिशत और कुछ में ५० प्रतिशत। इस प्रश्न पर भी विस्थापित लोगों में समानता के दृष्टिकोण से विचार करना चाहिए। यदि कालकाजी में स्थित मकान का मूल्य उतना ही आंका जाय जितना कि राजेन्द्रनगर के मकान का तो राजेन्द्रनगर में रहने वाले विस्थापित व्यक्ति को, कालकाजी वाले की अपेक्षा कहीं अधिक मूल्यवान मकान मिल जाता है। तो मेरा कर्त्तव्य क्या है ? क्या यह ठीक होगा कि मैं एक शरणार्थी को अधिक मूल्यवान मकान दे दूं केवल इसलिए कि वह संयोगवश राजेन्द्रनगर में रह रहा है और दूसरे को कम मूल्य का, इसलिए कि वह संयोगवश कालकाजी में रह रहा है ?

श्री नन्द लाल शर्मा : क्या माननीय मंत्री कालकाजी में रहने वालों को इस सम्बन्ध में क्षतिपूर्ति देंगे ?

श्री ए० पी० जैन : जी हां, अवश्य। यदि 'ए' प्रकार के मकान का मूल्य कालकाजी में ५,००० रुपये लगाया जाता है तो राजेन्द्र-नगर में उसका मूल्य ८,००० रुपये आंका जायेगा। दोनों को एक ही आधार पर लाना पड़ेगा। मेरी स्थिति तो एक ट्रस्टी की है। मुझे सभी विस्थापित लोगों के साथ न्याय करना है। यदि मैं एक को अनुचित रियायत दे दूं तो यह ईमानदारी नहीं होगी।

मेरे पास समय अधिक नहीं है। श्रीमती सुचेता कृपलानी ने कहा है कि मुझे इस सदन की एक समिति को, इस योजना को लागू करने में साथ लेना चाहिए। मैं इस सुझाव को स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। सम्भव है कि केवल संसद् सदस्यों की या कुछ बाहर वालों की समिति को इस काम में साथ ले लिया जाय। मैं तो यह चाहता हूं कि इस योजना के लागू करने में जितने भी जनता या शरणा-थियों के प्रतिनिधि हो सकें, साथ लिए जायं।

श्री गिडवानी : और बाकी जो इन दो म से किसी भी श्रेणी में नहीं आते, उनके बारे में क्या विचार है ?

श्री ए० पी० जैन : स्थिति यह है। अन्तरिम क्षतिपूर्ति योजना इस ढंग से बनाई गई है कि इसे आसानी से अन्तिम क्षतिपूर्ति योजना में मिला दिया जायेगा। तो, दो सम्भावनाएं हैं। मेरी इच्छा है कि अन्तिम क्षतिपूर्ति योजना को, यथासम्भव शीघ्र, उसके पूर्ण होने से पहले ही, लागू कर दिया जाय। मान लीजिए कि मैं इस में सफल नहीं हो पाता हूं। सर्वप्रथम हम ने लगभग ५०,००० लोगों से प्रार्थनापत्र मांगे हैं। दूसरी श्रेणी में उन लोगों के प्रार्थना पत्र होंगे जो सरकार द्वारा बनाए गए मकानों या निष्क्रान्त मकानों में रह रहे हैं। बाकी लोगों की बारी तीसरी खेप में आएगी। परन्तु इसके विपरीत यदि, जैसी कि मुझे आशा है, इस अन्तरिम क्षतिपूर्ति योजना को अन्तिम योजना में मिला दिया जाय तो कोई कठिनाई नहीं होगी और हम अन्तिम योजना को लागू करना प्रारम्भ कर देंगे। मान लीजिए कि चार लाख प्रार्थनापत्र इकट्ठे ही आ जायं। हम इन सभी का फ़ैसला एक सप्ताह एक मास या एक साल में नहीं कर सकते। वह तो धीरे धीरे ही होगा। यदि हम बहुत से प्रार्थना पत्र फौरन ही मांग लें तो कर्मचारियों पर काम का बोझ बहुत बढ़ जायेगा। प्रश्न यह नहीं है कि कुछ क्लर्क भर्ती कर लिए जायं। प्रश्न यह है कि प्रत्येक मामले की जांच ईमानदारी बुद्धिमानी और न्याय की भावना से की जाय जिससे कि विस्थापित लोगों से अन्याय न हो।

एक बात और मैंने लगभग १२६५ प्रार्थनापत्रों की जांच कराई । मैंने यह देखा है कि कुछ बातें ग़लत बताई गई हैं या छिपाई गई हैं, जिस कारण से हमारा काम बड़ा कठिन हो जाता है । इन १२६५ प्रार्थियों में से, ३८८ व्यक्तियों ने यह नहीं बताया कि वे सरकार द्वारा बनाए गए मकानों में रह रहे हैं या कि निष्क्रांत मकानों में । जो पते उन्होंने दिए, उन से हम यह मालूम करने में सफल हुए कि वे ऐसे मकानों में रह रहे हैं । ऐसी बातें होती रहें तो मेरी कठिनाई बहुत बढ़ जाती है । मैं सभी से, विशेषकर विस्थापित लोगों से प्रार्थना करता हूं कि यदि वे चाहते हैं--और वे चाहते अवश्य ह--कि इस योजना को शीघ्र लागू किया जाय तो वे प्रार्थना पत्रों में पूरी जानकारी तथा ब्यौरा दें ।

इस योजना को शीघ्र लागू करना विस्थापित लोगों के सहयोग पर निर्भर है । मुझे इस वाद विवाद से यह जान कर बड़ी प्रसन्नता हुई है कि इस योजना के लिए काफ़ी सद्भावना मौजूद है । सम्भव है कि इसके किसी पहलू में दोष हों । कोई सर्वथा सम्पूर्ण योजना बनाना तो असम्भव सा ही है । परन्तु मुझे आशा है कि हम विस्थापित लोगों के सहयोग से उनके लिए कुछ कर सकेंगे ।

इस के बाद सदन की बैठक बृहस्पतिवार, १७ दिसम्बर, १९५३ के डेढ़ बजे तक क लिए स्थगित हो गई ।